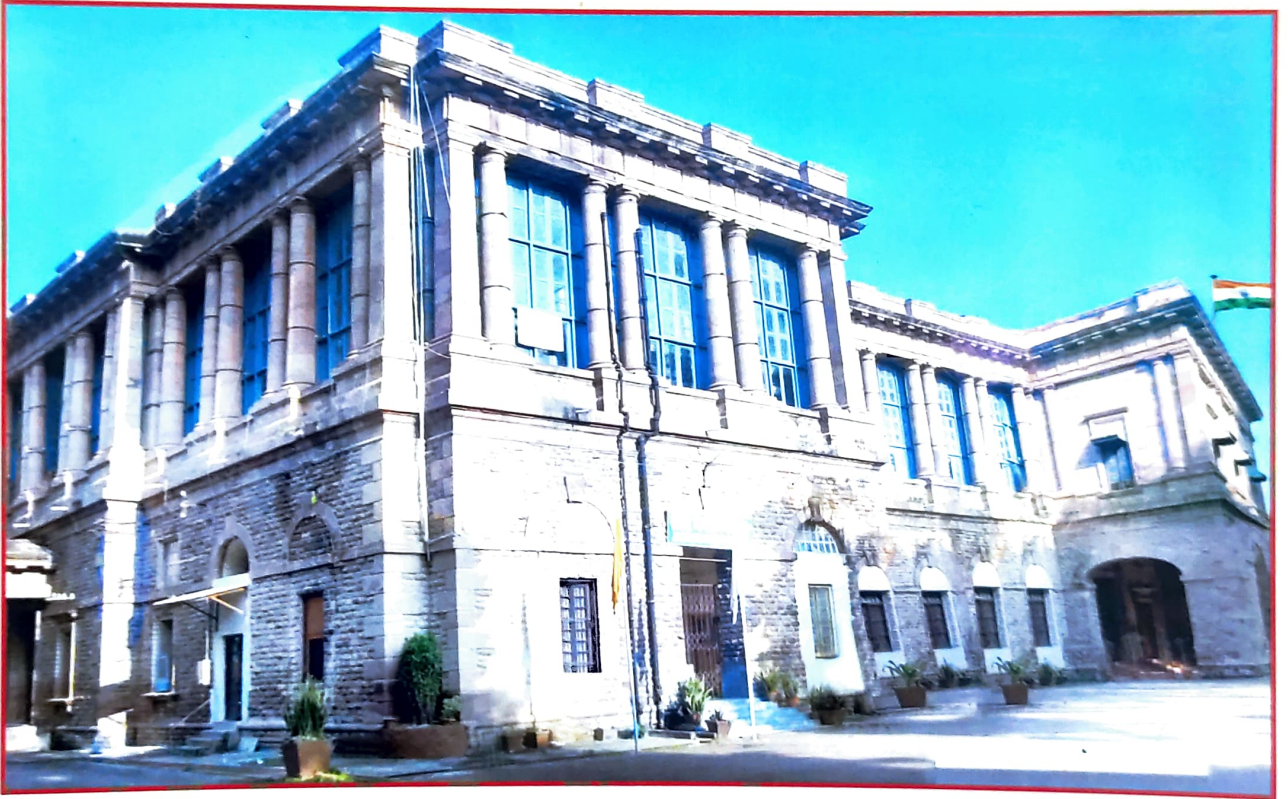




लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा

उत्तर प्रदेश के कोषागारों एवं उपकोषागारों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक समीक्षा वर्ष 2019-2020



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश के कोषागारों एवं उपकोषागारों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक समीक्षा वर्ष 2019-2020



लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

प्राक्कथन

यह वार्षिक समीक्षा आख्या भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 10, 18(1) के अन्तर्गत मार्च 2020 को समाप्त हुये वर्ष हेतु उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव (वित्त), निदेशक कोषागार उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित किये जाने हेतु तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में वर्ष 2019-20 की अवधि के लेखांकन एवं निरीक्षण के दौरान नमूना जॉच में आये प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है। वार्षिक समीक्षा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप तैयार की गयी है।

हम यह अपेक्षा करते हैं कि प्रस्तुत समीक्षा मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों के लिए कोषागारों को और अधिक कार्यदक्ष रखने के साथ-साथ भविष्य में अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने में प्रेरणादायी सिद्ध होगी।

रस. र. पंडा
(एस० आह्लादिनि पंडा)

महालेखाकार

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

इलाहाबाद

दिनांक:-29/10/2020

Table of Contents

2.1	प्रदेश के कोषागारों से वाउचर प्राप्त न होना।.....	9
2.2	प्रदेश कोषागारों के असमायोजित ए.सी. बिल।.....	10
2.3	प्रदेश कोषागारों के बकाया सहायता अनुदान बिल।.....	10
2.4	सामान्य भविष्य निधि (राज्य) के लेखे।.....	12
2.4.1	अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि लेखे में प्रारम्भिक अवशेष ऋणात्मक होने के बाद भी अग्रिम स्वीकृत किया जाना।.....	12
2.4.2	सामान्य भविष्य निधि के पूर्ण वाउचर/शिड्यूल लेखे के साथ प्रेषित न किया जाना।.....	12
2.4.3	नई पेंशन स्कीम से सम्बन्धित कर्मचारियों के अशंदानों को गलत लेखाशीर्ष में दर्ज किया जाना।.....	12
2.4.4	मासिक शिड्यूलों में सामान्य भविष्य निधि अभिदाता का नाम एवं लेखा संख्या त्रुटिपूर्ण होने के कारण अनपोस्टेड आइटम की संख्या में वृद्धि होना।.....	12
2.4.5	चतुर्थ श्रेणी से भिन्न सामान्य भविष्य निधि लेखे में नई पेन्शन योजना से आच्छादित कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कटौतियों का योग में सम्मिलित होना।.....	13
2.5	आर0बी0डी0 की धनराशियों में अन्तर:.....	13
2.5.1	कोषागार द्वारा प्रेषित भुगतान/प्राप्ति की सूची और वी0डी0एम0एस0 से प्राप्त आर0बी0डी0 की धनराशियों में अन्तर।.....	13
2.5.2	कोषागार द्वारा प्रेषित आर0बी0डी0 और आर0बी0आई0 द्वारा प्रेषित मन्थली क्लोजिंग स्टेटमेन्ट (एम0सी0एस0) में अन्तर।.....	14
2.6	व्यक्तिगत जमा/व्यक्तिगत लेखा खाता।.....	14
2.6.1	धन-ऋण ज्ञापन में मार्च माह का अन्तिम अवशेष एवं अप्रैल माह के प्रारम्भिक अवशेष में अन्तर।.....	14
2.6.2	कोषागार द्वारा प्लस-माइनस मेमोरेन्डा में पी0एल0ए0 वाइज पूर्ण विवरण प्रदर्शित न करना।.....	14
2.6.3	कोषागारों से प्लस-माइनस मेमोरेन्डा प्राप्त न होना।.....	15
2.6.4	कोषागारों द्वारा वैयक्तिक लेखों का मिलान महालेखाकार को प्रेषित न किया जाना।.....	15
2.6.5	व्यक्तिगत लेखा खातों को बन्द न किया जाना-.....	16
2.8	एल0ओ0पी0/कैश एकाउन्ट में लेन-देनों का पूर्ण वर्गीकरण न होना।.....	17
2.9	मासिक लेखाओं की विलम्ब से प्राप्ति।.....	17
2.10	स्तरिकृत प्रति चयन विधि के द्वारा चयनित वाउचरों का परीक्षण।.....	17
2.11	कर्जों एवं उधारों का लेखाकरण।.....	17
2.11.1	ऋण के चालान प्रपत्र पर पूर्ण विवरण जैसे-एस0एल0आर0 सं0 शासनादेश सं0 आदि को अंकित न किया जाना।.....	18
2.11.2	लेखाशीर्ष 7610 के एच0बी0ए0/एम0सी0ए0 से सम्बन्धित डेबिट वाउचरों में इम्प्लाइ आई0डी0 अंकित न होना।.....	18
2.11.3	एच0बी0ए0/एम0सी0ए0 की रिकवरी के वांछित अनुसूची/चालान का संलग्न न होना।.....	18
2.12	अखिल भारतीय सेवा के पेंशनरों को भुगतानित पेंशन की प्रतिपूर्ति न किया जाना।.....	18
2.13	उत्तर प्रदेश सरकार में आई0एफ0एम0एस0 माड्यूल की स्थिति।.....	19
3.1	वर्ष के दौरान निरीक्षित कोषागारों/उपकोषागारों का विवरण।.....	21
3.2	निरीक्षित प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रतिवेदन एवं प्रस्तर।.....	21
3.3	अभिलेखों का समुचित या बिल्कुल रख-रखाव न किया जाना।.....	21
3.3.1	स्टाम्प वेण्डर को दिये जाने वाले एक प्रतिशत छूट का विवरण न तैयार किया जाना:-.....	21
3.3.2	आर0बी0डी0 रजिस्टर तैयार न किया जाना:-.....	21
3.3.3	राजपत्रित अधिकारी के रजिस्टर का रख-रखाव न किया जाना:-.....	22
3.4	नवीन पेंशन योजना की धनराशि के प्रेषण में विसंगतियाँ।.....	22
3.4.1	अंशदान की कटौती न किया जाना:.....	22
3.4.2	डी0सी0आई0 की धनराशि का अन्तरण न किया जाना:.....	22
3.4.3	प्रान का आवंटन न किया जाना:-.....	22
3.5	व्यपगत जमा का विवरण प्रेषित न किया जाना।.....	22
3.6	उचित जॉच के अभाव में पेंशन सम्बन्धी लाभों का अनियमित भुगतान।.....	22
3.6.1	उपादान का कम भुगतान:.....	22
3.6.2	राशिकरण का कम भुगतान:.....	22
3.7	पेंशन एवं उपादान का अधिक भुगतान।.....	22
3.7.1	₹ 90059/- पेंशन का अधिक भुगतान:.....	22
3.7.2	बिना आयु सत्यापन के अतिरिक्त पेंशन ₹ 41220/- का अधिक भुगतान:.....	23

3.7.3	₹ 62357/- मृत्यु उपादान का भुगतान न किया जाना:.....	23
3.7.4	₹ 6315/-राशिकरण का अधिक भुगतान:.....	23
3.8	अनाहरित पेंशन/बन्द पेंशन भुगतान आदेशों को अनाधिकृत रूप से रखा जाना।.....	23
3.9	स्टाम्प लेखा:.....	23
3.9.1	स्टाम्पों का मानक से अधिक भण्डारण:.....	23
3.9.2	गलत क्रमांक प्राप्त स्टाम्पों का निस्तारण न किया जाना:.....	23
3.10	स्ट्रॉग रूम का निरीक्षण तथा सुरक्षा प्रमाण पत्र का निर्गमन।.....	24
	मानक के अनुसार सुरक्षा बलों की तैनाती न किया जाना:.....	24
3.11	कोषागारों में जमा किये गये बहुमूल्य वस्तुओं का वार्षिक सत्यापन:.....	24
3.12	आयुक्त/उपायुक्त द्वारा कोषागारों का निरीक्षण न किया जाना।.....	24
3.13	उच्च अधिकारियों द्वारा उपकोषागार का निरीक्षण न किया जाना:.....	25
	प्रावधानों के अनुसार उपजिलाधिकारी द्वारा उपकोषागार के द्वितालक कक्ष का निरीक्षण न किया जाना।.....	25
3.14	पेंशन सम्बन्धी अन्य अनियमिततायें।.....	25
3.14.1	नियत समय में प्रथम पेंशन का भुगतान प्रारम्भ न किया जाना :.....	25
3.14.2	बैंक में मृतक पेंशन की धनराशि का अवरुद्ध रखना :.....	25
3.14.3	अतिरिक्त पेंशन का भुगतान न किया जाना:.....	25
3.14.4	पेंशनरों से आयकर की श्रोत से कटौती न किया जाना:-.....	25
3.14.5	पेंशन डेटाबेस में डुप्लीकेट पी0पी0ओ0 सं0 एवं बैंक के अलग-अलग खाते का उपलब्ध होना:-.....	26
3.14.6	एक पी0पी0ओ0 पर आवश्यक प्रपत्रों के सत्यापन के बिना 2 पेंशनरों को ₹ 11.98 लाख का भुगतान किया जाना:-.....	26
3.14.7	विभाग द्वारा 2 पेंशनरों को जारी एक पीपीओ पर ₹ 35.04 लाख का भुगतान किया जाना:-.....	27
3.14.8	पेंशनरों को पी0पी0ओ0 सं0 के बिना पेंशन का भुगतान किया जाना:.....	27
3.14.9	पेंशन प्रकरणों में जीवित, रोजगार, विवाह सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न न होना:-.....	27
3.14.10	डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश के अनुपालन में शिथिलता।.....	27
3.14.11	पेंशनरों को मेंहगाई राहत का भुगतान न किया जाना।.....	27
3.14.12	निर्धारित न्यूनतम पेंशन से कम पेंशन का दिया जाना।.....	27
3.15	सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित कमियों/त्रुटियों।.....	27
3.15.1	सामान्य भविष्य निधि के कालातीत प्राधिकार पत्रों को कार्यालय महालेखाकार को वापस न किया जाना:-.....	27
3.15.2	कालातीत प्राधिकार पत्रों को बिना पुनर्वैधीकरण कराये भुगतान:.....	28
3.16	लेखा सम्बन्धी क्षेत्र.....	28
3.16.1	विभागीय प्राप्ति के आंकड़ों का मिलान कोषागार के आंकड़ों से न किया जाना:.....	28
3.16.2	खण्डीय लेखाकारों द्वारा विभागीय व्यय के आंकड़ों का मिलान न किया जाना:.....	28
3.16.3	कोषागार नियम-27 के अन्तर्गत आहरित धनराशि का वर्षान्त तक असमायोजित रहना:.....	28
3.16.4	राजस्व/पूँजीगत प्राप्ति चालानों पर लेखाशीर्ष का पूर्ण विवरण अंकित न किया जाना:-.....	28
3.16.5	सी0सी0एल0/डी0सी0एल0 को नियत समय में बैंकों को निर्गत न किया जाना:-.....	28
3.16.6	ऋण अदायगी के चालानों पर विस्तृत विवरण न अंकित किया जाना:-.....	28
3.16.7	वेतन का गलत निर्धारण:-.....	29
3.16.8	गबन/लूट के प्रकरण।.....	29
	गबन की धनराशि ₹ 5.09 करोड़ की वसूली लम्बित होना:.....	29
3.16.9	वैयक्तिक जमा लेखाओं के प्रशासकों से अवशेष के स्वीकार्य प्रमाण पत्र न प्राप्त करना:.....	29
3.16.10	तीन वर्ष से अंशचालित पी0एल0ए0 खाते को बन्द न किया जाना:.....	29
3.16.11	लेखाशीर्ष 8338 में जमा के अवशेषों को लेखाशीर्ष 8009 में स्थानान्तरित न करना:.....	29
3.16.12	चुनाव जमानत राशि को जब्त न किया जाना:.....	30
3.16.13	चुनाव से सम्बन्धित धनराशि को एक ही लघुशीर्ष में जमा किया जाना:.....	30
3.16.14	एजेन्सी बैंक में प्राप्ति के रूप में जमा धनाशियों के प्रेषण का मिलान न किए जाने से आर0बी0आई0 को ₹ .63 करोड़ का विलम्ब से अंतरण।.....	30
3.16.15	लेखा शीर्षक 7610 के अपूर्ण शिडयूल्स का महालेखाकार कार्यालय को प्रेषण :.....	30
3.16.16	बोनस का अनियमित भुगतान:-.....	30
3.16.17	बिना कोटेशन के ₹ 109614 का अनियमित भुगतान किया जाना:-.....	31
3.17	ई-भुगतान में कमियाँ:.....	31
3.18	स्टाम्प लेखे का रख-रखाव.....	31
3.18.1	खराब एवं निष्प्रयोज्य पैडलाकों का निस्तारण न किया जाना :.....	31

3.18.2	स्टाम्प वेंडरों से शपथ पत्र/आयकर विवरणी न प्राप्त किया जाना:.....	31
3.18.3	स्टाम्प बिक्री से प्राप्त धनराशि का असुरक्षित परिवहन:.....	32
3.18.4	द्वितालक कक्ष के स्टाम्प का भौतिक सत्यापन न किया जाना:.....	32
3.18.5	एकतालक कक्ष के स्टाम्पों का भौतिक सत्यापन न किया जाना:.....	32
3.18.6	द्वितालक से निर्गमन एवं एक तालक कक्ष में प्राप्ति का मिलान न हो पाना:.....	32
3.18.7	निष्प्रयोज्य स्टाम्पों के विनिष्टीकरण की कार्यवाही न किया जाना।.....	32
3.19	भूतपूर्व विधायक से वाहन अग्रिम पर देय ब्याज की वसूली शेष रहना।.....	32
3.20	कोषागार पर भुगतान प्राधिकृत करने वाले अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर को कम्प्यूटर में सुरक्षित न किया जाना:.....	32
3.21	अप्रस्तुत अभिलेख:.....	33
4.1	उत्तर प्रदेश में कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण।.....	34
4.2	सामान्य नियंत्रण।.....	35
4.2.1	कोई भी सुरक्षा नीति का न पाया जाना।.....	35
4.2.2	सूचना सुरक्षा.....	35
1.	सूचना प्रणाली सुरक्षा के उपाय.....	35
2.	सूचना सुरक्षा नियंत्रण.....	35
3.	कम्प्यूटिंग वातावरण.....	36
4.	भौतिक सुरक्षा.....	36
5.	नेटवर्क सुरक्षा.....	36
4.3	अनुप्रयोग नियंत्रण.....	36
4.3.1	इम्प्लॉई की ट्रॉन्जेक्शन फाइल में पायी गयी विसंगतियों के सम्बन्ध में।.....	36
1.	समान बेनीफिशियरी आई0डी0 पर एक ही माह में एक से अधिक बार समान धनराशि क्रेडिट होना।.....	36
2.	ट्रॉन्जेक्शन फाइल का मिलान इम्प्लॉई मास्टर से करने पर मास्टर में रिकार्ड का न पाया जाना।.....	37
3.	एक ही Beneficiary_Id पर सितम्बर 2019, अक्टूबर 2019, फरवरी 2020 माह की ट्रॉन्जेक्शन फाइल में एक से अधिक भुगतान प्रदर्शित होना।.....	38
4.3.2	इम्प्लॉई मास्टर में पायी गयी विसंगतियों के सम्बन्ध में.....	38
1.	डुप्लीकेट इम्प्लॉई कोड (EMP_code) पाया जाना।.....	38
2.	एक ही PEMP_code का आवंटन एक से अधिक बार किया जाना।.....	38
3.	इम्प्लॉई मास्टर में सामान बैंक खाते एक से अधिक व्यक्ति के सापेक्ष दर्ज होना।.....	39
4.	इम्प्लॉई मास्टर में एक ही नाम, जन्म तिथि एवं एकाउन्ट नं0 के कर्मचारियों का पाया जाना।.....	39
6.	18 वर्ष से कम उम्र के कर्मचारियों की तैनाती के सम्बन्ध में।.....	40
7.	AGGPF_Emp कालम में सा0भ0नि0 स्थिति "Y/N" अंकित न होना।.....	40
8.	कर्मचारियों की जन्म तिथि (D_O_B) अंकित न किया जाना।.....	40
9.	कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति (D_O_R) की तिथि अंकित न होना।.....	40
10.	कर्मचारियों की पैन संख्या (PAN_NO) फील्ड में दर्ज न किया जाना या डुप्लीकेट एवं गलत पैन संख्या का अंकन किया जाना।.....	40
4.3.3	अपूर्ण मास्टर।.....	41
1.	कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता (EMP_Qual) न भरा जाना।.....	41
2.	मास्टर में पिता का नाम (S_F_NAME) अंकित न किया जाना।.....	41
3.	पिता के नाम में विसंगतियां:.....	41
4.	FAMILY_PLANNING की फील्ड का रिक्त पाया जाना।.....	41
5.	GPF_STAT की फील्ड रिक्त होना।.....	41
6.	LOCATION की फील्ड रिक्त होना।.....	41
7.	INC_DUE_ON की फील्ड रिक्त होना।.....	41
8.	कर्मचारियों का पता (ADDR-1, ADDR-2, ADDR-3) फील्ड का रिक्त होना।.....	41
9.	EMAIL_ID की फील्ड रिक्त पाया जाना।.....	42
10.	इम्प्लॉई मास्टर में मोबाइल नम्बर (MOBILE_NO) फील्ड न भरा जाना।.....	42
11.	LOCATION_ID की फील्ड रिक्त होना।.....	42
4.3.4.	पेंशन से सम्बन्धित फाइलों में पायी गयी विसंगतियां।.....	42
1.	एक ही कोषागार द्वारा पेंशनर को एक ही GRD नं0 आवंटित किया जाना।.....	42
2.	पेंशनरों को डुप्लीकेट PPO या शून्य PPO जारी किया जाना।.....	42
3.	डुप्लीकेट GRD नं0 एवं डुप्लीकेट PPO सं0 आवंटित किया जाना।.....	43

4.	जीआरडी संख्या, पीपीओ संख्या व टीएस संख्या एक समान होना।.....	43
5.	एक ही खाते एवं बैंक कोड पर अलग-अलग व्यक्तियों के नाम प्रदर्शित होना।.....	43
6.	अपूर्ण D_O_J कालम।.....	44
7.	D_O_B_ कालम रिक्त होना।.....	44
8.	D_O_B, D_O_J_D_O_R/DOD कालम रिक्त होना।.....	44
9.	D_O_P कालम रिक्त होना।.....	44
10.	Pay Commission कालम में 7 th Pay न भरा होना।.....	44
4.3.5	पेंशन की ट्रॉन्जेक्शन फाइल में पायी गयी विसंगतियों के सम्बन्ध में।.....	44
	एक ही कोषागार की एक ही GRD पर एक से अधिक भुगतान।.....	44
4.3.6	आयकर की कटौती न किया जाना।.....	45
4.3.7	ट्रॉन्जेक्शन फाइल का मिलान पेंशन मास्टर से करने पर मास्टर में रिकार्ड का न पाया जाना।.....	45
4.4	आडिट ट्रेल्स तथा लाग्स।.....	45
4.5	एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का अपूर्ण विकास।.....	45

विहंगावलोकन

- 1- 02 कोषागारों में ₹ 90059/- पेंशन का अधिक भुगतान। (प्रस्तर 3.7.1)
- 2- 01 कोषागार में ₹ 41220 अतिरिक्त पेंशन का अधिक भुगतान। (प्रस्तर 3.7.2)
- 3- 02 कोषागारों में ₹ 62357/- मृत्यु उपादान का अधिक भुगतान। (प्रस्तर 3.7.3)
- 4- कोषागार में राशिकृत ₹ 6315/- का अधिक भुगतान स्वीकृति के आधार पर किया गया। जिसे स्वीकृतकर्ता अधिकारी के पुनर्विचारार्थ प्रकाश में लाया गया। (प्रस्तर 3.7.4)
- 5- 31 कोषागारों एवं 57 उपकोषागारों में स्टाम्पों का अधिक भण्डारण। (प्रस्तर 3.9.1)
- 6- 64 कोषागार 154 उपकोषागारों में सुरक्षा बलों की कम तैनाती। (प्रस्तर 3.10)
- 7- 64 कोषागारों 80 उपकोषागारों में बहुमूल्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। (प्रस्तर 3.11)
- 8- वित्तीय वर्ष 2019-20 में 50 कोषागारों में 463 प्रकरणों में प्रथम पेंशन का भुगतान निश्चित समय सीमा के अन्दर प्रारम्भ नहीं किया गया। (प्रस्तर 3.14.1)
- 9- पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की मृत्यु के उपरान्त 45 कोषागारों में 583 पेंशनरों से ₹ 2.28 करोड़ की वितरित पेंशन राशि बैंक से ब्याज सहित वापस लिया जाना शेष है। (प्रस्तर 3.14.2)
- 10- सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप 30 कोषागारों में 80 वर्ष या उससे ऊपर आयु वाले 4681 पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। (प्रस्तर 3.14.3)
- 11- आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा 60 कोषागारों से राजस्व प्राप्तियों का मिलान नहीं किया गया। (प्रस्तर 3.16.1)
- 12- दातागंज उपकोषागार जनपद बदायूँ में ₹ 5.09 करोड़ का गबन प्रकाश में आया। (प्रस्तर-3.16.8)
- 13- 3 कोषागारों में लेखाशीर्ष 8338 के स्थानीय निधियों में जमा के अवशेष ₹ 3.28 करोड़ को लेखाशीर्ष 8009 राज्य भविष्य निधि में स्थानान्तरित नहीं किया गया। (प्रस्तर 3.16.11)
- 14- ई-भुगतान के फेल होने पर 13 कोषागारों में लाभार्थियों को भुगतान विलम्ब से प्राप्त हुआ। (प्रस्तर 3.17)
- 15- 53 कोषागारों व 99 उपकोषागारों के द्वितालक कक्ष में भण्डारित स्टाम्पों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। (प्रस्तर 3.18.4)

भाग-1

परिचयात्मक

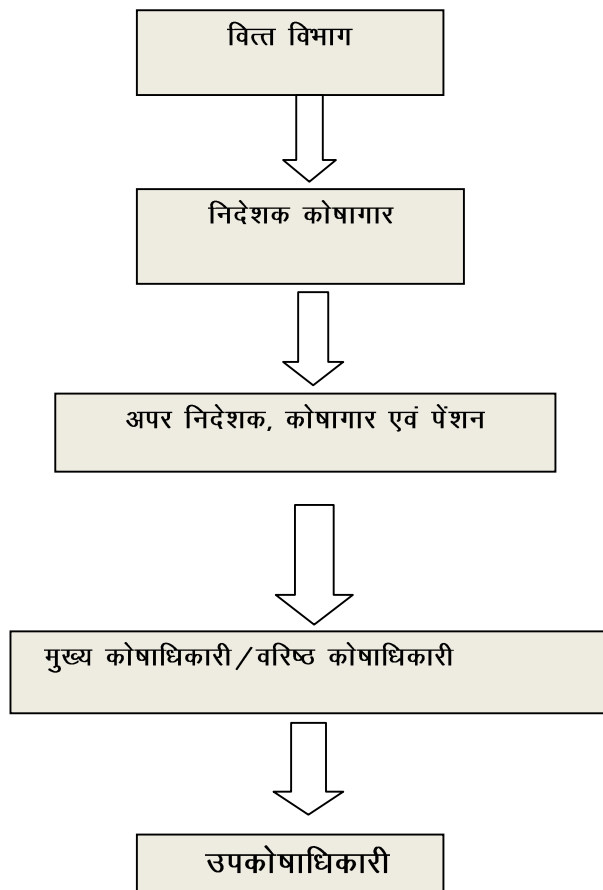
शासकीय राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से कोषागारों की स्थापना की गई है। सभी कोषागार उत्तर प्रदेश शासन के वित्त लेखा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। ये शासकीय लेखा प्रणाली के मुख्य एवं महत्वपूर्ण अंग हैं। ये सभी निदेशक, कोषागार उत्तर प्रदेश, लखनऊ के प्रशासनिक नियंत्रण में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते हैं। कोषागारों की कार्य प्रणाली के सुचारु रूप से संचालन हेतु शासन के वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारियों को मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। कुछ उपकोषागारों में तहसीलदार को सहायक कोषाधिकारी का अतिरिक्त कार्य प्रभार दिया जाता है। सभी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन कर सकें, इसके लिए शासन ने कुछ नियमावलियां/नियमसंहिताएं बनायी हैं। इन्हीं नियमों/विनियमों के अधीन उन्हें अपने दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है।

सभी कोषागारों में मुख्यतः निम्नलिखित दो प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन किया जाता है:-

- 1- शासन को प्रदेय धनराशि की प्राप्ति एवं शासन की ओर से भुगतान की गई धनराशि को लेखे में समुचित ढंग से दर्शाना।
- 2- प्रारम्भिक लेखाओं को तैयार कर कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रेषित कराना, जिससे कि महालेखाकार लेखाओं का संकलन कर, मासिक लेखा वार्षिक वित्त एवं विनियोजन लेखा समय से तैयार कर, विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।

संगठनात्मक ढांचा—उत्तर प्रदेश में कुल 82 कोषागार तथा 209 उपकोषागार हैं। सभी कोषागार/उपकोषागार बैंकिंग हैं। इनका समस्त लेन-देन भारतीय स्टेट बैंक अथवा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं ई-कुबेर (भारतीय रिजर्व बैंक) के माध्यम से होता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 78 कोषागारों एवं 208 उपकोषागारों का इस कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया। 45 उपकोषागारों को शासनादेश सं०-एस-3-667/दस-2019-34(2)/2017 दिनांक 1 अक्टूबर 2019 के द्वारा बन्द कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश शासन के कोषागारों/उपकोषागारों का सांगठनिक ढांचा निम्न प्रकार से है:-



कोषागारों में कर्मचारी वर्ग की स्थिति—प्रदेश के सभी कोषागारों में कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति निम्न विवरणानुसार है :-

तालिका-1.1

वर्ष	स्वीकृत पद	तैनाती	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित
2019-20	2222	1323	407	916

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वीकृत पद के सापेक्ष तैनाती बहुत कम है, अर्थात् 59 प्रतिशत है। 1323 तैनाती के सापेक्ष मात्र 407 ही प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात हैं। जो कि मात्र तैनाती के 30 प्रतिशत हैं। इतने कम कर्मचारी होने के कारण कार्य का बोझ अधिक हो गया है। जिसके कारण त्रुटियाँ होने की सम्भावना अधिक रहती है, तथा सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना भी अनिवार्य होना चाहिये।

कोषागार/उपकोषागार के निरीक्षण का उद्देश्य

कोषागार शासकीय राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान करने के साथ भुगतान पर नियन्त्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोषागार अपने दायित्वों को सुनिश्चित रूप से नियमानुसार एवं निर्बाध गति से निर्वहन कर सके, इसके लिए शासन द्वारा विभिन्न संहिताओं एवं वित्तीय नियमों/विनियमों को बनाया गया है जिससे कि निर्धारित उपबन्धों के विचलन से राज्य सरकार के वित्तीय प्रबन्धन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े एवं कोषागारों/उपकोषागारों की कार्य क्षमता का विकास मितव्ययिता के साथ हो सके। उपर्युक्त उद्देश्यों के पूर्ति की दृष्टि से यह कार्यालय कोषागारों/उपकोषागारों का वार्षिक निरीक्षण करता है। उक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त कोषागार/उपकोषागार के निरीक्षण का अन्य उद्देश्य निम्न प्रकार है -

- सरकार के वित्तीय स्थिति का उनके लेखाओं में स्पष्ट प्रदर्शन को सुनिश्चित करना।
- सरकार के अधिदेशाधीन कार्यकलापों के कार्यान्वयन में मितव्ययी, दक्षता तथा प्रभावकारिता की प्राप्ति का निर्धारण सुनिश्चित करना।
- पेन्शन मन्जूरी करने को शासित करने वाली अर्हता शर्तें, पूरी की गयी हैं को सुनिश्चित करना।
- पेन्शन स्वीकृत एवं आहरित की राशि सही है।
- बहुमूल्य वस्तुओं का रख-रखाव एवं भौतिक सत्यापन नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करना।
- स्टाम्पों की माँग, भण्डारण, भौतिक सत्यापन, सुरक्षा एवं बिक्री स्टाम्प मैनुअल के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करना।

*_*_*

भाग-2

लेखाओं के संकलन एवं सत्यापन के दौरान संज्ञान में आई कमियाँ/त्रुटियाँ/अनियमितताएँ

नियंत्रक महालेखा परीक्षक के स्थाई आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हक0) खण्ड-1 के अध्याय-2 के अनुसार सभी लेखाकरण कार्य और लेखा एवं हक0 कार्यों से सम्बन्धित जॉच कार्य महालेखाकार कार्यालय (ले0 एवं हक0) को सौंपे गये हैं।

महालेखाकार (लेखा एवं हक0) निम्नलिखित कार्यों के लिये उत्तरदायी है:-

- राज्य सरकारों के विभिन्न खजानों और लोक निर्माण तथा वन मण्डलों से प्राप्त हुये वाउचरों और अनुसूचियों के आधार पर व्यय और प्राप्तियों के मासिक लेखे को संकलित करना।
- विनियोग एवं वित्त लेखे तैयार करना।
- जहाँ कहीं अपेक्षित हो कर्मचारियों की विनिर्दिष्ट श्रेणियों के सा0भ0नि0 लेखाओं को रखना।
- जहाँ कहीं अपेक्षित हो कर्मचारियों की पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों को प्राधिकृत करना।
- विभिन्न जमाशीर्षों के अन्तर्गत लेन-देनों के सम्बन्ध में महालेखाकार कार्यालयों में रखे गये लेखाओं का खजाना लेखा से मिलान करना।
- जहाँ कहीं अपेक्षित हो विभिन्न दीर्घ कालिक कर्जों एवं अग्रिमों के लेखे रखना।

कोषागारों से प्राप्त मासिक लेखों को इस कार्यालय में संकलित व अंकन करते समय पाई त्रुटियों/कमियों/अनियमितताओं का विवरण निम्नवत् है :-

2.1 प्रदेश के कोषागारों से वाउचर प्राप्त न होना।

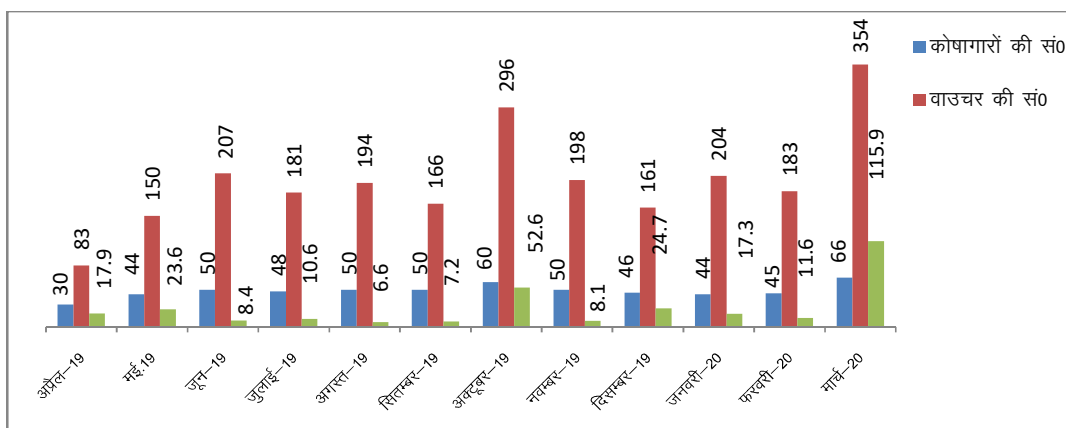
मासिक लेखे तथा अदायगी सूची प्राप्त होने पर उनकी यह देखने के लिये जॉच की जानी चाहिये कि लेखे और समर्थित अनुसूचियाँ तथा अन्य दस्तावेज जो निरपवाद रूप से लेखे के साथ आने चाहिये, पूर्ण स्थिति में प्राप्त हो गये हैं, यदि कोई दस्तावेज गायब है तो उन्हें तुरन्त मँगाया जाना चाहिये।

प्रदेश के कोषागारों से महालेखाकार कार्यालय में वाउचरों की सूची विलम्ब से प्राप्त होती है या उपलब्ध नहीं करायी जाती है। जो वाउचर अदायगी सूची के साथ आने चाहिये वो वाउचर मासिक लेखे के पूरे किये जाने के समय तक प्राप्त नहीं हुये हैं। उनकी एक सूची आपत्ति ज्ञापन में शामिल किये जाने के लिये तैयार की जाती है। कोषागार द्वारा अदायगी सूची के साथ वाउचर अप्राप्त होना कोषाधिकारी की उदासीनता को प्रदर्शित करता है।

अप्राप्त वाउचरों की माहवार सूची निम्नलिखित है:-

तालिका-2.1

माह	कोषागारों की सं0	अप्राप्त वाउचर की संख्या	धनराशि ₹
04-2019	30	83	179287760
05-2019	44	150	236283238
06-2019	50	207	84937743
07-2019	48	181	106254238
08-2019	50	194	66259645
09-2019	50	166	72243991
10-2019	60	296	526473845
11-2019	50	198	81517116
12-2019	46	161	247526412
01-2020	44	204	173604241
02-2020	45	183	116690053
03-2020	66	354	1159159937
योग-	583	2377	3050238219



2.2 प्रदेश कोषागारों के असमायोजित ए.सी. बिल।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक के स्थाई आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हक0) खण्ड-1 के अध्याय-5 के अनुसार भुगतान के बाद प्रति हस्ताक्षरित बिलों के मामले में धन वस्तुतः एक संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल में आहरित किया जाता है, और उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन जैसा कि उसके प्रतिहस्ताक्षरित द्वारा दर्शाया गया व्यौरेवार प्रतिहस्ताक्षरित बिल पर महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा बाद में प्राप्त किया जाता है। संक्षिप्त बिल तथा व्यौरेवार बिल दोनों की महालेखाकार कार्यालय में संवीक्षा अपेक्षित होती है। संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल में आहरित अग्रिमों के सम्बन्ध में व्यौरेवार आकस्मिक बिल की प्राप्ति पर निगरानी रखना लेखाकरण का कार्य है।

अनुभागीय जाँच में पाया गया कि प्रायः ए0सी0 बिल पर लाल पेन से ए0सी0/डी0सी0 बिल चिन्हित नहीं किया जाता है एवं निम्नलिखित वर्षों के ए0सी0 बिलों के समायोजन के लिये डी0सी0 बिल अप्राप्त है, जबकि नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत डी0सी0 बिलों का वाउचर्स/सब-वाउचर्स से विस्तृत परीक्षण करने के उपरान्त बिल को हस्ताक्षरित करते हुए 3 माह के अन्दर कार्यालय महालेखाकार को प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये। ए.सी. बिलों के समायोजन के लिये डी.सी. बिल प्रेषित करने हेतु वित्त सचिव, उ0प्र0 शासन, निदेशक कोषागार, सी.सी.ओ. एवं डी.डी.ओ. से निरन्तर पत्राचार किया जा रहा है। जिसकी सूची परिशिष्ट 'क' में संलग्न है:-

मार्च 2020 तक के असमायोजित ए.सी. बिलों का विवरण :-

तालिका-2.2

वर्ष	कोषागार की सं०	असमायोजित ए0सी0 बिल	धनराशि ₹
2001-02	03	14	1085845
2003-04	08	252	16664811
2004-05	08	164	6994413
2005-06	10	128	5923480
2006-07	06	124	3960631
2007-08	07	127	47301400
2008-09	06	129	5658111
2009-10	06	107	11771043
2010-11	05	60	1109848
2011-12	04	34	3337657
2012-13	01	01	100000
2013-14	02	05	165000
2014-15	03	11	920000
2015-16	02	04	2366040
2016-17	03	03	1570900
2017-18	01	21	802999
2018-19	04	30	1591250
2019-20	12	90	63771843
योग-	91	1304	175,095,271

2.3 प्रदेश कोषागारों के बकाया सहायता अनुदान बिल।

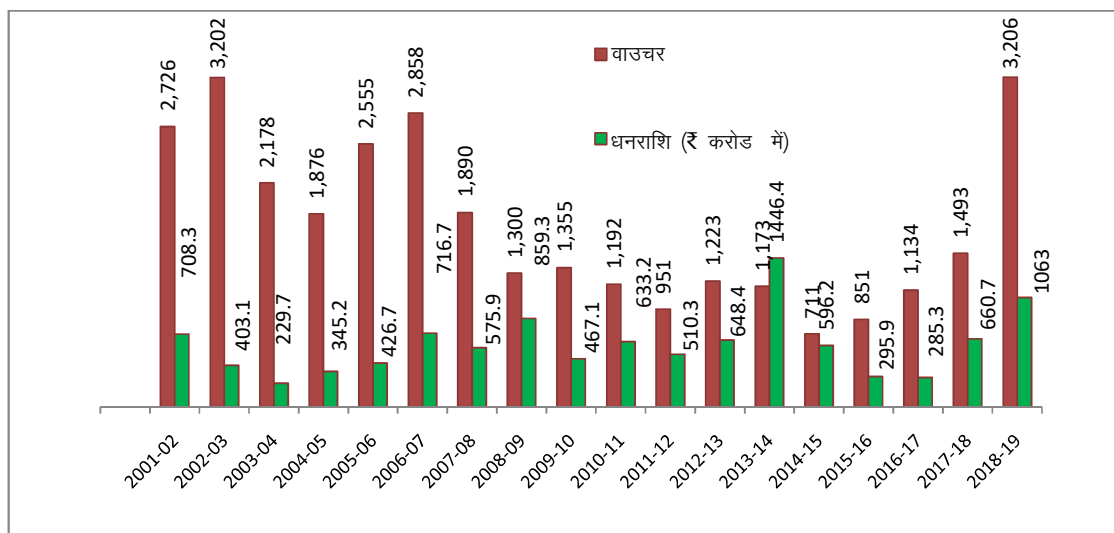
विभिन्न श्रेणी के स्थानीय निकायों तथा संस्थाओं को विभिन्न श्रेणियों के अनुदानों का भुगतान जैसे अस्पताल तथा औषधालयों को अभिदाय, शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान, सड़क इत्यादि की मरम्मत के लिये अभिदाय आदि प्रत्येक श्रेणी

के भुगतानों के सरकार के साधारण या विशेष आदेश के अधीन वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियम 369A के निर्देशों से विनियमित होते हैं।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियम 369-H के अनुसार जब केवल विशिष्ट वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान उपभोग के लिये वार्षिक रूप में अनुदान या गैर चालू अनुदान दिया जाता है तो प्रशासकीय विभाग या कार्यालय जो अनुदान को मंजूर करें वर्ष के 30 सितम्बर पर या उसके पूर्व जिससे अनुदान सम्बन्धित है, का एक प्रमाण पत्र महालेखाकार को अग्रेसर किया जाय। परन्तु इस सम्बन्ध का प्रमाण पत्र विभिन्न वर्षों में महालेखाकार को अग्रेसर नहीं किया गया है जिसका वर्ष वार विवरण निम्नलिखित है:-

तालिका-2.3

वित्तीय वर्ष	सहायता अनुदान वाउचरों का योग		प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्र		अवशेष सहायता अनुदान	
	वाउचर	धनराशि (हजार ₹ में)	वाउचर	धनराशि	वाउचर	धनराशि (हजार ₹ में)
2001-02	32,777	42,039,402	30,051	34,956,242	2,726	7,083,159
2002-03	34,784	35,348,926	31,582	31,317,649	3,202	4,031,276
2003-04	37,071	42,169,374	34,893	39,872,119	2,178	2,297,255
2004-05	29,924	55,875,438	28,048	52,422,658	1,876	3,452,780
2005-06	30,999	76,304,244	28,444	72,036,327	2,555	4,267,917
2006-07	62,117	92,350,145	59,259	85,182,338	2,858	7,167,807
2007-08	30,989	119,924,435	29,099	114,165,228	1,890	5,759,206
2008-09	20,406	68,114,808	19,106	59,521,655	1,300	8,593,153
2009-10	25,393	79,861,248	24,038	75,189,384	1,355	4,671,863
2010-11	25,257	99,437,315	24,065	93,104,484	1,192	6,332,831
2011-12	23,839	107,185,163	22,888	102,081,306	951	5,103,856
2012-13	35,770	127,073,260	34,547	120,588,699	1,223	6,484,561
2013-14	25,706	166,342,815	24,533	151,878,549	1,173	14,464,266
2014-15	18,087	198,894,709	17,376	192,932,085	711	5,962,624
2015-16	18,768	230,566,671	17,917	227,607,023	851	2,959,648
2016-17	22,192	304,730,481	21,058	301,877,284	1,134	2,853,196
2017-18	16,324	230,752,816	14,831	224,145,559	1,493	6,607,256
2018-19	18,417	377,805,161	15,211	367,175,021	3,206	10,630,140
2019-20	19,353	349,650,019	3,217	76,909,460	16,136	272,740,559
योग-	528,173	2,804,426,441	480,163	2,422,963,079	48,010	381,463,361



2.4 सामान्य भविष्य निधि (राज्य) के लेखे।

वर्ष 2019-20 के दौरान सामान्य भविष्य निधि खातों में निम्नलिखित विसंगतियाँ पायी गयी।

2.4.1 अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि लेखे में प्रारम्भिक अवशेष ऋणात्मक होने के बाद भी अग्रिम स्वीकृत किया जाना।

उत्तर प्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1985 के नियम-13 के उपनियम-06 के अनुसार किसी अग्रिम की धनराशि का निर्धारण करने में स्वीकृत प्राधिकारी निधि में अभिदाता के खाते में जमा धनराशि पर सम्यक् ध्यान देगा। जब कभी अभिदाता अपने सामान्य भविष्य निधि पास बुक या नियम 27 के अधीन लेखाधिकारी द्वारा जारी किये गये सामान्य भविष्य निधि लेखा के नवीनतम उपलब्ध विवरण तथा अनुवर्ती अभिदानों के साक्ष्य सहित निधि में अपने जमा खाते में विद्यमान धनराशि के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का समाधान करने की स्थिति में हो तो सक्षम प्राधिकारी सीमा के भीतर अग्रिम स्वीकृत कर सकता है। ऐसा करने में सक्षम प्राधिकारी अभिदाता को पहले से स्वीकृत किसी अग्रिम या प्रत्याहरण को ध्यान में रखेगा।

परन्तु वर्ष 2019-20 के दौरान 92 प्रकरणों में अभिदाताओं का सामान्य भविष्य निधि लेखे में प्रारम्भिक अवशेष ऋणात्मक होने के बाद भी अभिदाताओं को स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा अग्रिम स्वीकृत किया गया है, जो कि गम्भीर अनियमितता है। जिसकी सूची परिशिष्ट 'ख' में संलग्न है।

2.4.2 सामान्य भविष्य निधि के पूर्ण वाउचर/शिड्यूल लेखे के साथ प्रेषित न किया जाना।

कोषागार द्वारा सामान्य भविष्य निधि का लेखा वाउचर/शिड्यूल के साथ प्रतिमाह कार्यालय महालेखाकार को प्रेषित किया जाता है, एवं इसकी पोस्टिंग का कार्य सम्बन्धित लेखाकारों द्वारा किया जाता है। पोस्टिंग के दौरान प्रायः यह पाया जाता है कि कोषागारों द्वारा विभिन्न विभागों के सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित कर्मचारियों के अंशदानों की कटौतियों के शिड्यूल/वाउचर प्रेषित नहीं किये जाते हैं। जिसे फुल वान्ट या पार्ट वान्ट के रूप में रखा जाता है।

2.4.3 नई पेंशन स्कीम से सम्बन्धित कर्मचारियों के अंशदानों को गलत लेखाशीर्ष में दर्ज किया जाना।

राज्य सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि अभिदान की अनुसूची में न्यू पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) से सम्बन्धित कुछ कर्मचारियों के अंशदानों को भी मुख्य लेखाशीर्ष 8009-01-101-02 में शामिल कर इस कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है जबकि इसे एन.पी.एस. के लेखाशीर्ष 8342 के अन्तर्गत अंकित किया जाना चाहिए। माहवार सूची निम्नलिखित है:-

तालिका-2.4

माह	कोषागारों की सं०	एन0पी0एस0 की धनराशि ₹
04/2019	40	6154905
05/2019	34	8214890
06/2019	37	6159064
07/2019	40	12052882
08/2019	40	7237006
09/2019	34	1664799
10/2019	36	4154937
11/2019	17	774382
12/2019	25	224814
01/2020	11	199782
02/2020	19	281314
03/2020	28	285447
योग-	361	47404222

2.4.4 मासिक शिड्यूलों में सामान्य भविष्य निधि अभिदाता का नाम एवं लेखा संख्या त्रुटिपूर्ण होने के कारण अनपोस्टेड आइटम की संख्या में वृद्धि होना।

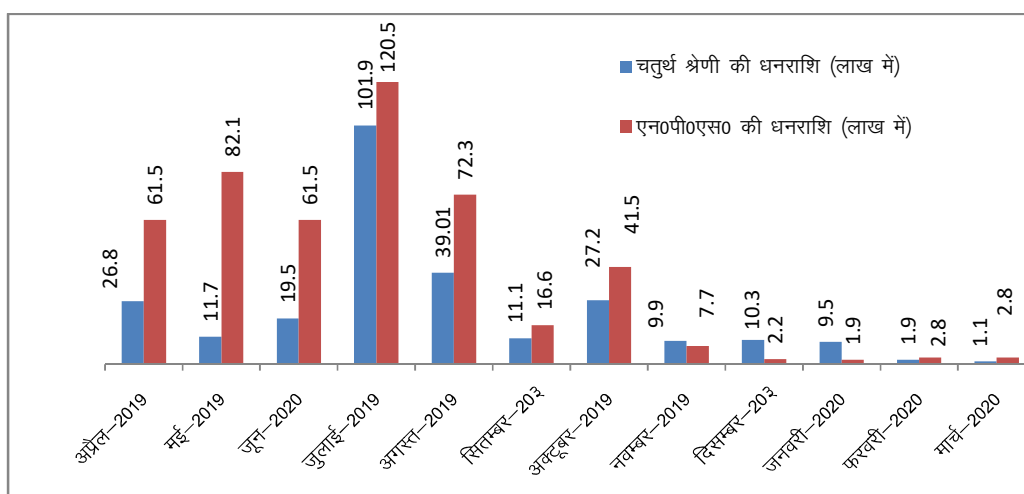
मासिक क्रेडिट शिड्यूलों में अभिदाताओं की सही-सही लेखा संख्या एवं नाम जो इस कार्यालय द्वारा आवंटित किये गये हैं, अंकित होना आवश्यक है और इसी आवंटित लेखा संख्या के सापेक्ष अभिदाताओं के अंशदानों की कटौतियों को अंकित होना चाहिये किन्तु अभिदानों से सम्बन्धित शिड्यूल के अवलोकन के उपरान्त यह पाया गया कि इस कार्यालय में प्राप्त होने वाले सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित देयको (वाउचर) में अभिदाताओं के अंशदान जिस लेखा संख्या के सापेक्ष प्राप्त हो रहे हैं वह इस कार्यालय के डेटा बेस से मेल नहीं खाते हैं। इस प्रकार सा0भ0नि0 शिड्यूलों का दोषपूर्ण होना अभिदाताओं को कठिनाई एवं कष्ट पहुंचाता है। डेबिट प्रमाणकों में गलत खाता संख्या को दर्शाने का परिणाम कम या अधिक भुगतान हो सकता है। अनपोस्टेड आइटम की कोषागारवार सूची परिशिष्ट-'ग' में संलग्न है।

2.4.5 चतुर्थ श्रेणी से भिन्न सामान्य भविष्य निधि लेखे में नई पेन्शन योजना से आच्छादित कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कटौतियों का योग में सम्मिलित होना।

इस कार्यालय द्वारा चतुर्थ श्रेणी से भिन्न कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के लेखे का रख-रखाव किया जाता है। अभिदाताओं के चतुर्थ श्रेणी से भिन्न सामान्य भविष्य निधि लेखे में नई पेन्शन योजना से आच्छादित एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अंशदान प्राप्त हो रहे हैं, जो कि लेखे के साथ प्राप्त नहीं होने चाहिये जिनका मासिक विवरण निम्न है:-

तालिका-2.5

माह	चतुर्थ श्रेणी की धनराशि	एन0पी0एस0 की धनराशि ₹
04/2019	2689815	6154905
05/2019	1170902	8214890
06/2019	1958772	6159064
07/2019	10199654	12052882
08/2019	3901319	7237006
09/2019	1117397	1664799
10/2019	2724512	4154937
11/2019	993068	774382
12/2019	1034952	224814
01/2020	956624	199782
02/2020	1970213	281314
03/2020	1132375	285447
योग-	29849603	47404222



2.5 आर0बी0डी0 की धनराशियों में अन्तर:

एजेन्सी बैंक द्वारा माह के अन्त में डेट वाइज मन्थली स्टेटमेंट (DMS) तैयार कर कोषागार/उपकोषागारों को उनके अभिलेखों से मिलान हेतु प्रेषित किया जाता है। कोषागार/उपकोषागार द्वारा (DMS) की प्राप्ति के दो दिन के भीतर "चेक एण्ड फाउन्ड करेक्ट" के प्रमाण पत्र के साथ बैंक को वापस कर दिया जाना चाहिये। इस प्रमाणित (DMS) को VDMS कहा जाता है जिसमें आर0बी0डी0 की धनराशि होती है। VDMS के अतिरिक्त निम्नलिखित श्रोतों से RBD की धनराशि प्राप्त होती है।

- 1-कोषागार द्वारा प्रेषित भुगतान/प्राप्तियों की सूची के माध्यम से।
- 2-RBI कानपुर के माध्यम से प्रेषित MCS (मन्थली क्लोजिंग स्टेटमेंट) द्वारा।

2.5.1 कोषागार द्वारा प्रेषित भुगतान/प्राप्ति की सूची और वी0डी0एम0एस0 से प्राप्त आर0बी0डी0 की धनराशियों में अन्तर।

मासिक लेखे के साथ भुगतान/प्राप्ति की सूची और वी0डी0एम0एस0 कार्यालय महालेखाकार को प्रेषित किये जाते हैं। उनके द्वारा प्रेषित एल0ओ0पी0 और कैश एकाउन्ट में सूचित आर0बी0डी0 की धनराशि और वी0डी0एम0एस0 में सूची आर0बी0डी0 की धनराशि समान होनी चाहिये। एल0ओ0पी0/कैश एकाउन्ट एवं वी0डी0एम0एस0 में सूचित आर0बी0डी0 की धनराशि में भिन्नता होने पर समायोजन हेतु सम्बन्धित कोषागारों से लेखा संशोधन प्राप्त कर समायोजित किया जाता है परन्तु उपरोक्त सम्बन्ध में कोषागार द्वारा लेखा संशोधन प्रेषित नहीं किया जा रहा है। विगत 4 वर्षों की

कोषागार द्वारा प्रेषित भुगतान/प्राप्ति की सूची और वी0डी0एम0एस0 से प्राप्त आर0बी0डी0 की धनराशि में अन्तर **परिशिष्ट-‘घ’** में संलग्न है।

2.5.2 कोषागार द्वारा प्रेषित आर0बी0डी0 और आर0बी0आई0 द्वारा प्रेषित मन्थली क्लोजिंग स्टेटमेन्ट (एम0सी0एस0) में अन्तर।

एजेन्सी बैंक के लिंक आफिस द्वारा प्रस्तुत किये गये लेन-देन का मासिक स्टेटमेन्ट आर0बी0आई0 से कार्यालय महालेखाकार को प्राप्त होता है जिसे मन्थली क्लोजिंग स्टेटमेन्ट कहा जाता है।

आर0बी0आई0 द्वारा कार्यालय महालेखाकार को प्रेषित आर0बी0डी0 की धनराशि एवं कोषागार द्वारा प्रेषित आर0बी0डी0 की धनराशि में भिन्नता है। विगत 4 वर्षों से आर0बी0डी0 में अन्तर आने वाले कोषागारों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है। एवं इससे सम्बन्धित सूची— **परिशिष्ट-‘ड.’** में संलग्न है:—

तालिका-2.6

वर्ष	कोषागार/उपकोषागारों की संख्या
2016-17	31
2017-18	38
2018-19	48
2019-20	67
योग—	184

कोषागारों से निर्धारित प्रोफार्मा में लेखा संशोधन एवं बैंक स्तर पर त्रुटि होने पर सम्बन्धित बैंक से भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से समायोजन उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर पत्राचार किया जाता है, साथ ही विभिन्न स्तर पर बैठक के माध्यम से भी आर.बी.डी. विसंगतियों के समायोजन हेतु प्रयास किया जाता है।

2.6 व्यक्तिगत जमा/व्यक्तिगत लेखा खाता।

साधारणतः व्यक्तिगत खाता लेखा का खोला जाना सरकार द्वारा महालेखाकार से परामर्श करने के बाद संस्वीकृत किया जाता है यह सामान्यतः मान्य है कि सरकार ऐसे लेखाओं से खोलने के लिये तब तक सहमत नहीं होगी जब तक कि इस बात से सन्तुष्ट नहीं हो जाती कि वैयक्तिक खाता लेखे में धन के आरम्भिक लेखे उपर्युक्त रूप से रखे जाते हैं और वे लेखा परीक्षा के अध्यधीन हैं।

सरकार के पास जमा के रूप में रखे जाने के लिये प्राप्त धन के मामले में महालेखाकार को इस बात की संतुष्टि कर लेनी चाहिये कि यह धन सांविधिक प्रावधान या सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के आधार पर उचित रूप से राज्य के लोक लेखे को क्रेडिट किये जा सकते हैं। यह भी देखना चाहिये कि सरकार के लेखाओं में कोई ऐसी मद जमा के रूप में क्रेडिट नहीं की जाती है जो उस सरकार की राजस्व प्राप्ति या सामान्य व्यय में कमी के रूप में जमा की जा सकती थी।

महालेखाकार का यह देखना भी एक कर्तव्य है कि जमा लेखाओं में शेष वर्षानुवर्ष सही रूप में आगे ले जाए गए हैं कि जहाँ आवश्यक और व्यवहार्य है प्रत्येक लेखे में वर्ष के अन्त में शेष राशि के सही के रूप में स्वीकृति की पावती सम्बन्धित व्यक्ति या निकाय द्वारा दी जाती है और यह कि ऐसी अवधि जो इस बारे में सरकार द्वारा निर्धारित की जाय, के लिये अदावित पड़ी कोई राशि सरकार को राजस्व के रूप में क्रेडिट की जाती है। वैयक्तिक जमा खाता के लेखांकन में निम्नलिखित कमियों/विसंगतियों पाई गयी—

2.6.1 धन-ऋण ज्ञापन में मार्च माह का अन्तिम अवशेष एवं अप्रैल माह के प्रारम्भिक अवशेष में अन्तर।

वित्तीय सांख्यिकीय उत्तर प्रदेश से प्राप्त वैयक्तिक लेखा खातों में वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तिम अवशेष एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रारम्भिक अवशेष में अन्तर परिलक्षित हो रहा है। इस सम्बन्ध में निदेशालय स्तर से पत्राचार करने पर उत्तर प्राप्त हुआ कि निदेशालय स्तर पर वैयक्तिक लेखा खातों से सम्बन्धित ऑकड़ों का संकलन लेखाशीर्षवार किया जाता है तथा प्रारम्भिक अवशेष एवं अन्तिम अवशेष के अन्तर के सम्बन्ध में सम्बन्धित कोषागार स्तर से ही स्थिति स्पष्ट की जा सकती है, किन्तु कोषागार सीतापुर, अलीगढ़, सोनभद्र, लखीमपुरखीरी तथा उन्नाव ने सूचित किया कि उनके अनुसार वर्ष 2018-19 का अन्तिम अवशेष एवं 2019-20 के प्रारम्भिक अवशेष में कोई अंतर नहीं है उक्त के सम्बन्ध एफ0एस0डी0 के स्तर से स्पष्टीकरण प्रतीक्षित है। इससे सम्बन्धित सूची **परिशिष्ट-‘च’** में संलग्न है।

2.6.2 कोषागार द्वारा प्लस-माइनस मेमोरेन्डा में पी0एल0ए0 वाइज पूर्ण विवरण प्रदर्शित न करना।

कोषागार द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने वाले प्लस माइनस मेमोरेन्डा में पी0एल0ए0 वाइज पूर्ण वर्गीकरण होना आवश्यक है। जिससे सटीक ढंग से लेखांकन किया जा सके।

निम्नलिखित कोषागारों द्वारा प्लस-माइनस मेमोरेन्डा में पी0एल0ए0 वाइज पूर्ण विवरण प्रदर्शित नहीं किया गया है:—

तालिका-2.7

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	श्रावस्ती	10	बदायूँ
2	बलिया	11	कौशाम्बी
3	खीरी	12	एटा
4	बिजनौर	13	हापुड
5	संतरविदासनगर	14	रायबरेली
6	गाजियाबाद	15	सिद्धार्थनगर
7	आगरा	16	सम्भल
8	शाहजहाँपुर	17	इलाहाबाद-2
9	मैनपुरी	18	सोनभद्र

2.6.3 कोषागारों से प्लस-माइनस मेमोरेन्डा प्राप्त न होना।

कोषागारों से प्राप्त प्लस-माइनस मेमोरेन्डा के आधार पर पी०एल०ए० खातों ब्राडशीट बनायी जाती है। निम्नलिखित कोषागारों द्वारा प्लस-माइनस मेमो इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किये गये हैं:-

तालिका-2.8

क्र०सं०	कोषागार का नाम	अप्राप्त प्लस माइनस मेमों का माह
1	आगरा	03/2020
2	आजमगढ़	03/2020
3	बौदा	03/2020
4	बाराबंकी	03/2020
5	चित्रकूट	03/2020
6	देवरिया	03/2020
7	इटावा	12/2019, 02/2020, 03/2020
8	फैजाबाद	03/2020
9	फर्रुखाबाद	08/2019, 01/2020, 02/2020, 03/2020
10	फिरोजाबाद	02/2020
11	गाजीपुर	08/2019
12	गाजियाबाद	03/2020
13	गोण्डा	02/2020
14	गोरखपुर	01/2020, 02/2020, 03/2020
15	जौनपुर	08/2019, 03/2020
16	कानपुर नगर	03/2020
17	कानपुर देहात	03/2020
18	खीरी	09/2019
19	लखनऊ कले०	06/2020, 03/2020
20	लखनऊ जवाहर भवन	04/2019 से 03/2020
21	मैनपुरी	03/2020
22	मेरठ	03/2020
23	महोबा	03/2020
24	शाहजहाँपुर	04/2019, 08/2019, 12/2019, 03/2020
25	संतकबीरनगर	04/2019
26	उन्नाव	06/2019, 03/2020
27	वाराणसी	03/2020
28	सम्भल	12/2019
29	शामली	11/2019 से 03/2020

2.6.4 कोषागारों द्वारा वैयक्तिक लेखों का मिलान महालेखाकार को प्रेषित न किया जाना।

वैयक्तिक जमा खाता धारको द्वारा प्रतिवर्ष अपने खातों से सम्बन्धित अवशेषों का मिलान कोषागारों के लेखों से कराया जाना चाहिये तत्पश्चात् कोषागार में खुले पी०एल०ए० खाता धारकों से 31 मार्च तक का अवशेष स्वीकार्य प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार को प्रेषित किया जाना चाहिये। 46 कोषागारों द्वारा वर्ष 2019-20 के वैयक्तिक लेखों का मिलान महालेखाकार को प्रेषित नहीं किया गया है। इससे सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट 'छ' में संलग्न है।

2.6.5 व्यक्तिगत लेखा खातों को बन्द न किया जाना—

वित्तीय वर्ष 2019-20 के उपलब्ध आकड़ों के आधार पर उ०प्र० सरकार के अधीन कुल 781 वैयक्तिक लेखा खाते हैं, जिनमें से 558 वैयक्तिक लेखा खाते संचालित हैं एवं 223 खाते असंचालित हैं। उ०प्र० सरकार द्वारा मुख्य लेखाशीर्ष 8443 सिविल डिपार्जिट-106, जो वैयक्तिक लेखा खाते के उद्देश्य से सर्वथा उपयुक्त लेखा शीर्ष है, के तहत खोले जाने वाले खातों के अतिरिक्त अन्य मुख्य/लघु लेखा शीर्षों के तहत भी वैयक्तिक लेखा खाते खोले जा रहे हैं। वैयक्तिक लेखा खातों का मुख्य लेखा शीर्षवार विवरण तथा दिनांक-31-3-2020 को उनकी सं० व उनमें अवशेष की स्थिति इस प्रकार है:-

तालिका-2.9

लेखाशीर्ष	उपशीर्ष का नाम	पी०एल०ए० की कुल सं०	31-3-2020 को जमा धनराशि	असंचालित वैयक्तिक लेखा खातों की सं०	असंचालित वैयक्तिक लेखा खातों में जमा धनराशि (31-3-2020)	संचालित वैयक्तिक लेखा की सं०	31-3-2020 को पी०एल०ए० में जमा धनराशि
1	2	3	4	5		7=(3-5)	8=(4-6)
8342 अन्य जमा	120 विविध जमा	28	24555229419	3	1111917	25	24554117502
	106 वैयक्तिक जमा	14	99913944	2	290	12	99913654
8443 सिविल जमा	123 शैक्षणिक संस्थानों की जमा	37	224623755	5	2455022	32	222168733
	800 अन्य जमा	22	3572295275	5	40021091	17	3532274184
8448 स्थानीय निधियों की जमा	101 जिला निधि	21	119951234	9	22724832	12	97226402
	102 निकाय निधि	266	2519877474	89	16526713	177	2503350761
	106 राज्य परिवहन निगम निधि	24	261653266	4	3564935	20	258088331
	109 पंचायत निकाय निधि	26	100899575	12	1424405	14	99475170
	110 शिक्षा निधि	30	60012934	7	6316911	23	53696023
	120 अन्य निधियाँ	293	11669660614	87	22773348	206	11646887266
8229 विकास एवं कल्याण निधि	000अवर्गीकृत	1	4422500	0	0	1	4422500
	102 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के उद्देश्य के लिये विकास निधि	3	95142800	0	0	3	95142800
	200 अन्य विकास एवं कल्याण निधि	4	56005551	0	0	4	56005551
8338 स्थानीय निधियों की जमा	104 अन्य स्वायत्त निकाय की जमा	12	148339023	0	0	12	148339023
	योग-	781	43488027364	223	116919464	558	43371107900
			4348.80 करोड़		11.69 करोड़		4337.11 करोड़

उपर्युक्त सारणी से यह प्रदर्शित है कि कुल-781 वैयक्तिक लेखा खातों में से ₹ 2455.52 करोड़ की धनराशि वाले 28 खाते (56 प्रतिशत) मुख्य लेखाशीर्ष 8342-120 के तहत संचालित किये जा रहे हैं।

दिनांक 31-3-2020 को 223 असंचालित लेखा खाते थे, जिनमें ₹ 11.69 करोड़ की धनराशि अवशेष थी। इस कार्यालय के सतत प्रयासों के उपरान्त उ०प्र० शासन ने दिनांक 4-1-2018 को ऐसे असंचालित वैयक्तिक जमा खातों को बन्द करने की विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन करते हुए इन्हें तत्काल बन्द करने के आदेश निर्गत किया था। बन्द किये गये वैयक्तिक जमा लेखों की धनराशि मुख्य लेखाशीर्ष 2075-00-911 (डिडक्ट रिकवरी आफ ओवर पेमेंट) में जमा करा दिया जाता है शेष 223 असंचालित वैयक्तिक लेखा खातों को बन्द कराने के लिए नियमित प्रयास किये जा रहे हैं।

2.7 लोक निर्माण प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत लंबित धनराशियों का समाधान न किया जाना।

अभियंत्रण विभागों के खण्डों द्वारा कोषागार में जमा की गयी धनराशि खंडों के लेखों में '8782-नगद प्रेषण-00-102-लोक निर्माण प्रेषण-01' कोषागार में प्रेषण के अंतर्गत डेबिट की जाती है जबकि यह धनराशि कोषागार के लेखों में 'लेखाशीर्ष 8782-नगद प्रेषण-00-102-लोक निर्माण प्रेषण-02 लोक निर्माण चेक्स' के अंतर्गत क्रेडिट की जाती है जबकि चेक्स की भुगतान की धनराशि को कोषागार अपने लेखों में डेबिट करता है।

लोक निर्माण प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत लंबित धनराशियों के समाधान हेतु, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-742 एवं 743 तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 (भाग-2) के प्रस्तर 638 (ख) 1 तथा प्रस्तर-648 के प्रावधानों के अंतर्गत कोषागारों द्वारा खंडीय लेखाधिकारियों को प्रत्येक लेखा माह के अनुगामी माह की चार तारीख तक समेकित कोषागार रसीद (सी०टी०आर०) तथा समेकित कोषागार निर्गमन (सी०टी०आई०) उपलब्ध कराया जाना चाहिये तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-5 (भाग-2) के प्रस्तर 650 एवं शासनादेश सं० ए-2-1967/दस-ससी-83/14(6)/83, दिनांक 15.07.1983 के प्रावधानों के अनुरूप कोषाधिकारी द्वारा खण्डीय अधिकारियों से उनके समस्त प्रेषणों की मासिक समाधान की व्यवस्था की जानी चाहिये।

इस कार्यालय के अभिलेखानुसार दिनांक 31-3-2019 को प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निम्न अवशेष है:-

तालिका-2.10

क्र०सं०	वर्ष	लेखाशीर्ष 8782-00-102-01	लेखाशीर्ष 8782-00-102-02
		डेबिट (करोड़ में ₹)	क्रेडिट (करोड़ में ₹)
1	Upto-2015	5.73	105.48
2	2015-16	11.95	6.22
3	2016-17	7.35	15.11
4	2017-18	-53.78	26.38
5	2018-19	-12.53	94.06
	योग-	-41.27	247.25

2.8 एल०ओ०पी०/कैश एकाउन्ट में लेन-देनों का पूर्ण वर्गीकरण न होना ।

प्रदेश के कोषागारों द्वारा महालेखाकार को प्रेषित किये जा रहे लिस्ट आफ पेमेंट एवं कैश एकाउन्ट में लोक लेख से सम्बन्धित रक्षित निधि के लेन-देनों का पूर्ण लेखाशीर्ष अंकित नहीं किया जा रहा है, केवल रूट लेवल अर्थात् मुख्य लेखाशीर्ष (चार अंक) ही अंकित किया जा रहा है। जिस कारण महालेखाकार कार्यालय स्तर पर राज्य सरकार के लेख में सुसंगत लेखाशीर्ष में लेखांकन करने में असुविधा होती है।

तालिका-2.11

क्र०सं०	मु.ले.शीर्ष	विवरण	कोषागार का नाम	माह	धनराशि ₹
1	8222	सिंकिंग फण्ड	लखनऊ जवाहर भवन	3/2020	711802333000
2	8235	जर्नल एण्ड अदर रिजर्व फण्ड	अयोध्या	3/2020	1188400

2.9 मासिक लेखाओं की विलम्ब से प्राप्ति ।

प्रत्येक कोषागार अपने मासिक लेखे, उपकोषागारों के लेखे को सम्मिलित करते हुए, दो सूचियों में तैयार कर कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) में प्राप्त कराते है। प्रत्येक माह की 01 तारीख से 10 तारीख तक किये गये सभी भुगतानों की प्रथम सूची सम्बन्धित माह की 13 तारीख तक तथा द्वितीय सूची, जिसमें माह की 11 तारीख से माह के अंतिम कार्य दिवस तक किये गये सभी भुगतान एवं सकल प्राप्ति (कैश एकाउन्ट) सम्मिलित होती है, अगले माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय में प्राप्त कराने की तिथि निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 80 कोषागारों में से 56 कोषागारों द्वारा अपने कोषागार के मासिक लेखे, इस कार्यालय में 3 से 6 दिनों तक विलम्ब से प्राप्त कराये गये।

(विवरण परिशिष्ट 'ज' में संलग्न है)

2.10 स्तरीकृत प्रति चयन विधि के द्वारा चयनित वाउचरों का परीक्षण ।

राजकोष समन्वय के संकलन अनुभागो द्वारा संकलित वाउचरों में से 472 वाउचरों का प्रतिमाह रैंडम स्ट्रेटीफाइड सैंपलिंग विधि द्वारा चयनित कर वाउचरों की जाँच की जाती है। वर्ष 2019-20 के उक्त वाउचरों में मुख्यतः पेड स्टाम्प की मोहर का न लगना पाया गया है।

2.11 कर्जों एवं उधारों का लेखाकरण ।

सरकार सार्वजनिक तथा अर्द्धसार्वजनिक निकायों को कर्ज तथा उधार देती है विशेष कानूनों के अधीन दिये गये कर्जों और उधारों के मामले में या जिनके सम्बन्ध में सरकार ने कोई सामान्य नियम या आदेश दिये हैं उनको छोड़कर महालेखाकार यह मॉग कर सकता है कि इनको लिये जाने के कारण और शर्तें जिन पर यह दिया जाता है कर्ज या उधार संस्वीकृत करने वाले आदेशों में पूर्ण रूप से बतायी जाय।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक के स्थायी आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हकदारी) खण्ड-1 के अध्याय-6 के अनुसार वर्तमान में विकास तथा अन्य प्रयोजनों के लिये राज्य सरकारों सांविधिक निगमों आदि, सरकारी कम्पनियों, अर्द्धसार्वजनिक निकायों तथा निजी संस्थाओं को मन्जूर किये गये भारी कर्जों के प्रसंग में महालेखाकार का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि वह न केवल उन विभिन्न शर्तों जिन पर कर्ज संस्वीकृत किये गये हैं को पूरा करने पर निगरानी रखें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि कर्जों का उन्हीं प्रायोजनों तथा उद्देश्यों के लिये उपयोग किया जाता है जिनके लिये वे संस्वीकृत किये गये हैं।

2.11.1 ऋण के चालान प्रपत्र पर पूर्ण विवरण जैसे-एस0एल0आर0 सं0 शासनादेश सं0 आदि को अंकित न किया जाना।

ऋण के लेखे इस कार्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् वाउचर पोस्टिंग के समय कम्प्यूटर में ऋण के सापेक्ष एक एस0एल0आर0 नम्बर जनरेट होता है इस कार्यालय द्वारा ऋण का एस0एल0आर0 पृष्ठ संख्या तथा लोन संख्या आवंटित होने के बाद लोन की वापसी की अदायगी को इसी के सापेक्ष सम्बद्ध किया जाता है।

चालान प्रपत्र पर ऋण के मूल धन की वापसी अथवा ब्याज का भुगतान करते समय ऋण का पूर्ण विवरण जैसे शासनादेश संख्या, दिनांक किस्त संख्या इस कार्यालय द्वारा आवंटित लोन पृष्ठ सं0 एवं एस0एल0आर0 सं0 अवश्य अंकित होनी चाहिये। जिससे इस कार्यालय के अभिलेख में सही ढंग से पुस्तांकन हो सके, परन्तु कोषागार लेखों में ऋण की अदायगी से सम्बन्धित चालानों पर एस0एल0आर0 संख्या शासनादेश सं0 एवं दिनांक का संदर्भ नहीं दिया जा रहा है। जिनकी सूची परिशिष्ट- 'झ' में अंकित है।

2.11.2 लेखाशीर्ष 7610 के एच0बी0ए0/एम0सी0ए0 से सम्बन्धित डेबिट वाउचरों में इम्प्लाइ आई0डी0 अंकित न होना।

कोषागार से लेखाशीर्ष 7610 डेबिट के जो वाउचर प्राप्त होते हैं उनके स्वीकृत ऋणी की इम्प्लाइ आई0डी0 (जी0पी0एफ0/प्रान संख्या) अंकित न होने के कारण उनकी स्वीकृति आई0डी0 खोले जाने में समस्या उत्पन्न होती है।

2.11.3 एच0बी0ए0/एम0सी0ए0 की रिकवरी के वांछित अनुसूची/चालान का संलग्न न होना।

कोषागार से प्राप्त कैश एकाउन्ट में विभिन्न मुख्य लेखाशीर्षों के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 7610 में प्राप्त धनराशियों, वाउचरों के साथ प्राप्त एस0ओ0पी0 में भिन्न-भिन्न धनराशियाँ प्रदर्शित होती हैं तथा वाउचरों के साथ संलग्न एच0बी0ए0/एम0सी0ए0 के शिड्यूल कभी-कभी अधूरे होते हैं इसके अतिरिक्त लेखाशीर्ष 7610 एवं 8009 के अन्तर्गत शामिल धनराशियाँ गलत लेखाशीर्ष की होती हैं एवं उनका करेक्शन ऑफ एकाउन्ट के साथ लेखाशीर्ष 7610 के अन्तर्गत चालान के माध्यम से प्राप्त धनराशि का विवरण भी प्राप्त नहीं होता है जिससे धनराशियों की पोस्टिंग निर्धारित ऋणी के खाते में नहीं की जा सकती है।

2.12 अखिल भारतीय सेवा के पेंशनरों को भुगतानित पेंशन की प्रतिपूर्ति न किया जाना।

अखिल भारतीय सेवा के पेंशनरों को प्रत्येक माह उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोषागारों के द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाता है। भुगतान के पश्चात् पेंशन की संकलित धनराशि अपर निदेशक कोषागार इलाहाबाद को प्रेषित की जाती है, अपर निदेशक कोषागार द्वारा धनराशियों का मिलान करने के पश्चात् दावा प्रेषित किया जाता है, प्राप्त कराये गये दावों के आधार पर संकलित धनराशियों का दावा केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय नई दिल्ली को प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रेषित किया जाता है।

उक्त पेंशन भोगियों को माह 2/2020 तक भुगतान की गयी पेंशन की धनराशि ₹ 139 करोड़ की प्रतिपूर्ति अभी तक लम्बित है, जबकि दावा प्राप्त होने के 7 दिनों के अन्दर भुगतान/प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिये। प्रतिपूर्ति नहीं किये जाने के कारण उच्चत लेखे में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जिसकी सूची निम्नलिखित है:-

तालिका-2.12

क्र0सं0	माह	धनराशि (₹)
1	04/2015	52538
2	06/2015	892088
3	11/2015	67053
4	02/2016	2678715
5	03/2016	1660848
6	07/2016	80176
7	03/2017	165508
8	09/2017	15493275
9	01/2018	881317
10	04/2018	57655
11	06/2018	538540
12	08/2018	45837
13	10/2018	150603
14	05/2019	130145424
15	06/2019	118820372
16	07/2019	160670110
17	08/2019	169250662
18	09/2019	126045321
19	10/2019	154538646
20	11/2019	122864473
21	12/2019	149142259
22	01/2020	117768966
23	02/2020	120091065
योग-		1392101451

2.13 उत्तर प्रदेश सरकार में आई0एफ0एम0एस0 माड्यूल की स्थिति।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में आई0एफ0एम0एस0 लागू किये जाने के विषय में निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के समस्त 82 कोषागार कम्प्यूटरीकृत हैं 209 उपकोषागारों को कम्प्यूटरीकृत किया जाना शेष है। सेंट्रल ट्रेजरी सर्वर कार्यालय निदेशक सांख्यिकी, जवाहर भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थापित है। सेंट्रल सर्वर से बैंक, आहरण वितरण अधिकारी, आर0बी0आई0, कोषागार, वित्त विभाग और कार्यालय महालेखाकार (Linked) जुड़े हुए हैं आई0एफ0एम0एस0 माड्यूलवार स्थिति निम्न है:-

माड्यूल (कार्यालय महालेखाकार विशिष्ट)

तालिका-2.13

क्र0सं0	आई0एम0एफ0सं0 माड्यूल का नाम	विवरण	लागू होने की स्थिति
1	यूपीकोष (UPKOSH)	लाभार्थी एवं ट्रॉन्जेक्शन फाइलों का निर्माण, डी0डी0ओ0 कोड द्वारा बिलों को बनाना एवं बिलों का उत्पादन शामिल है।	वर्ष 2017-18 में लागू
2	ई-कुबेर	समस्त लाभार्थियों के खाते में सीधे धनराशि का भुगतान किया जाना शामिल है।	ई-पेमेन्ट वर्ष 2013 में लागू किया गया था वर्ष 2018 से ई-कुबेर लागू हो गया।
3	बजट आवंटन माड्यूल	मूल बजट, प्रतिपूरक बजट, पुनर्विनियोग बजट एवं बजट समर्पण का आन लाइन वितरण शामिल है।	मूल एवं प्रतिपूरक बजट का ऑन लाइन वितरण वर्ष 2011-12 से लागू है। पुनर्विनियोग माड्यूल की जाँच पूर्ण की जा चुकी है। बजट अभ्यर्पण का विकसन शेष है।
4	सी0टी0एस0 ट्रेजरी सिस्टम	सभी प्रकार के बिलों का पारण, तथा डेटाबेस का भण्डारण शामिल है।	वर्ष 2013-14 से लागू
5	राजकोष	राजकोष माड्यूल स्टेट बैंक आफ इण्डिया के गेटवे का प्रयोग करते हुए कहीं से भी ऑन लाइन ई-पेमेन्ट का चालान जमा किये जाने, चालान जनरेट एवं सत्यापन की सुविधा प्रदत्त करता है। वर्तमान में ऑनलाइन प्राप्तियां लखनऊ कोषागार में केद्रित है।	वर्ष 2014 से लागू
6	सी0टी0एस0 ए0जी0 माड्यूल (इन्टर फेस)	निम्न शामिल है:- 1-जीपीएफ एवं लोन 2-एल0टी0ए0 3-सरन्डर 4-रिएप्रोप्रिएशन 5-मासिक लेखा बनाना 6-पी0एल0ए0/पी0डी0ए0 7-जी0आई0ए0	जाँच अधीन लागू (2019-20) प्रक्रियाधीन विकसित और जाँच पूर्ण लागू प्रक्रियाधीन जाँच अधीन
7	ऑनलाइन रिकंसिलेशन	समस्त भुगतानों एवं प्राप्तियों के लेखों का आन लाइन मिलान शामिल है।	जाँच अधीन
8	ए0जी0 अथराइजेशन	ऑनलाइन नये लेखाशीर्ष खोलने, स्थापना, एक कोषागार से दूसरे कोषागार की स्थापना विलय एवं नये आहरण वितरण अधिकारी बनाने हेतु आनलाइन ए0जी0 से अनुमोदन प्राप्त किया जाना शामिल है।	विकसित किया जाना है।
9	आडिट माड्यूल	आई0एफ0एम0एस0 माड्यूल के अन्तर्गत दो भागों में आडिट विभाग को एक्सेस दिया जाना जैसे:-	तदैव

		1- ए0जी0 आफिस के स्तर। 2- फीड आडिट के लिये डी0डी0ओ0 के स्तर का एक्सेस	
10	वामिस (Wamis) (Works & forest)	(Works & forest) विभाग से सम्बन्धित विलों को बनाना एवं लेखांकन सम्बन्धी कार्य	तदैव
11	इन्टर स्टेट ट्रान्जेक्शन माड्यूल (एकाउन्ट करेन्ट)	भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता अनुदान एवं लोन हेतु आर0बी0आई0 इन्टरफेस से विलयरेन्स में डाउन लोड किया जाना तथा पीएफएमएस के लिये इसी प्रकार का एक इन्टरफेस विकसित किया जाना।	आर0बी0आई0 राज्य सरकार के बीच विचाराधीन
12	ऋण प्रबन्धन (Debt Management)	राज्य सरकार के ऋण जैसे, स्वीकृत लोन, पुनर्भुगतान हेतु किश्तों का बनाना, लोन लेजर का रख रखाव, ब्याज की गणना, अदायगियों पर नजर रखना, मूलधन के एरियर एवं ब्याज की गणना, दण्ड हेतु नोटिस जारी करना, लोनी विभाग से मिलान किया जाना शामिल है।	विकसित किया जाना है।
13	जी0पी0एफ0 माड्यूल	एन0आई0सी0 द्वारा जी0पी0एफ0 के लिये विकसित किया गया इन्टरफेस एप्लीकेशन लाइव सर्वर पर लागू किया जाना। सी0टी0एस0 से डाउनलोड की गयी टेक्स्ट फाइल में क्रेडिट/डेबिट का सही एवं पूर्ण डेटा प्राप्त करना। कार्यालय महालेखाकार को टेक्स्ट डेटा में भेजी गयी स्वीकृति (sanction) से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की कमियों को जी0पी0एफ0 डेटा के साथ लिंक होना।	इस कार्यालय की साइट पर लाइव सर्वर पर इन्टरफेस एप्लीकेशन विकसित किये जाने हेतु एन0आई0सी0 से इन्जीनियर नियुक्त करना। 1- वेतन बिल के साथ सभी एरियर/विविध बिल डी0डी0ओ0 पोर्टल से तैयार किये जाने चाहिये। 2- डेबिट वाउचर का पूर्ण विवरण डी0डी0ओ0 स्तर से प्राप्त (कैचर) होनी चाहिये। कोषागार से यह केवल पास/रिजेक्ट होना चाहिये। स्वीकृति (sanction) से सम्बन्धित त्रुटियों एन0आई0सी0 द्वारा सही किया जाना।
माड्यूल (राज्य सरकार विशिष्ट)			
14	कोषवाणी	समस्त एम0आई0एस0 रिपोर्ट शामिल है।	2005 से लागू है।
15	सी0टी0एस0 ए0जी0 माड्यूल (ई-पेंशन UOPS के द्वारा स्वीकृति)	पेंशन एवं अन्य लाभ से सम्बन्धित	ई-पेंशन वर्ष 2014-15 से लागू है।

वर्तमान में डी0डी0ओ0 पोर्टल से जनरेटेड एवं हस्तलिखित कोषागार वाउचर कोषागार से प्राप्त हो रहे हैं। डी0डी0ओ0 पोर्टल से जनरेटेड बिलों पर अभी डिजिटल सिग्नेचर नहीं किया जा रहा है। पे बिल से सम्बन्धित बिल जो कि डी0डी0ओ0 पोर्टल से जनरेट किये जा रहे हैं, महालेखाकार द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं। पे बिल के अतिरिक्त अन्य बिलों पर जो कि डी0डी0ओ0 पोर्टल से जनरेट किये जा रहे हैं, पर महालेखाकार का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। यह कार्य NIC/FSD द्वारा विकसन के अधीन है।

*_*_*

भाग-3

कोषागारों/उपकोषागारों के निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आयी त्रुटियाँ/कमियाँ

3.1 वर्ष के दौरान निरीक्षित कोषागारों/उपकोषागारों का विवरण।

वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में उत्तर प्रदेश के 82 कोषागारों तथा 209 उपकोषागारों में से 79 कोषागारों एवं 209 उपकोषागारों के निरीक्षण कराये जाने की वार्षिक योजना बनायी गयी थी। जिसमें 78 कोषागारों एवं 208 उपकोषागारों का निरीक्षण सम्पन्न कराया गया। एक कोषागार मथुरा एवं उसके उपकोषागार मोंठ का निरीक्षण कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण निरीक्षण दल को वापस बुला लिया गया था निरीक्षित 78 कोषागारों एवं 208 उपकोषागारों का विवरण **परिशिष्ट-1** पर संलग्न है।

3.2 निरीक्षित प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रतिवेदन एवं प्रस्तर।

कोषागारों एवं उपकोषागारों के निरीक्षण की अवधि में संज्ञान में आयी त्रुटियों/कमियों को प्रस्तर के रूप में अनुपालन किये जाने हेतु सम्बन्धित कोषागारों एवं उपकोषागारों को प्रेषित किया जाता है, तथा प्रथम अनुपालन आख्या कार्यालय महालेखाकार को कृत कार्यवाही के सापेक्ष साक्ष्य अपने उच्चाधिकारियों की टिप्पणी सहित आख्या प्राप्त होने के एक माह के अन्दर प्रेषित करने के लिये कहा जाता है। कोषागारों से सम्बन्धित प्रस्तरों की एक प्रति निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं सम्बन्धित मण्डल के अतिरिक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन तथा उपकोषागारों से सम्बन्धित प्रस्तरों की एक प्रति मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं सम्बन्धित अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि प्रस्तरों पर त्वरित कार्यवाही कराये जिससे की प्रस्तरों का निस्तारण हो सके। अनेकों कोषागारों/उपकोषागारों द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित करने पर रुचि नहीं ली गयी। जिसके कारण निस्तारण किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। कोषागार कन्नौज एवं कोषागार राजभवन द्वारा वर्ष 2018-19 की तथा 2019-20 में 78 कोषागारों एवं 208 उपकोषागारों में से 55 कोषागारों एवं 144 उपकोषागारों ने प्रथम अनुपालन आख्या का प्रेषण कार्यालय महालेखाकार को प्रेषित नहीं किया। **(परिशिष्ट-2)** प्रस्तरों के निस्तारण में रुचि न लिये जाने के कारण पाँच वर्ष से अधिक समय से लेकर वर्ष 2019-20 तक 601 प्रतिवेदनों में कुल-3816 प्रस्तर अनिस्तारित हैं। विवरण निम्नवत् है:-

तालिका-3.1

अवधि	प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या
वर्तमान वित्तीय वर्ष (2019-20) के प्रतिवेदन/प्रस्तर	279	2446
एक वर्ष से दो वर्ष तक की अवधि के अनिस्तारित प्रतिवेदन/प्रस्तर	320	1362
दो वर्ष से अधिक पाँच वर्ष तक के अनिस्तारित प्रतिवेदन/प्रस्तर	1	6
पाँच वर्षों से अधिक अवधि के अनिस्तारित प्रतिवेदन/प्रस्तर	1	2
योग-	601	3816

अनिस्तारित 601 निरीक्षण प्रतिवेदनों में भाग-2 (अ) के 761 प्रस्तर तथा भाग-2(ब) के 3055 प्रस्तर अनुपालन के अभाव में लम्बित हैं जिनका वर्षवार, मण्डलवार, विवरण क्रमशः **परिशिष्ट-3 एवं 4** पर उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, वर्तमान वर्ष 2019-20 एवं पिछले वर्षों के कुल 179 निरीक्षण प्रतिवेदनों जिसमें भाग-2 (अ) के 349 प्रस्तर तथा भाग-2 (ब) के 1545 प्रस्तर, कुल 1894 प्रस्तर, अनुपालन के आधार पर निस्तारित किए गए।

3.3 अभिलेखों का समुचित या बिल्कुल रख-रखाव न किया जाना।

3.3.1 स्टाम्प वेण्डर को दिये जाने वाले एक प्रतिशत छूट का विवरण न तैयार किया जाना:- उत्तर प्रदेश स्टाम्प मैनुअल के नियम 161 के अनुसार स्टाम्प वेण्डर को स्टाम्प क्रय पर एक प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है। जिसके लिये पूरे वर्ष का स्टाम्प बिक्रेतावार किये गये स्टाम्प विक्रय का रजिस्टर बनाया जाना चाहिये, जिससे वर्ष के अन्त में यह ज्ञात हो सके कि स्टाम्प बिक्रेता को प्राप्त एक प्रतिशत छूट आयकर की सीमा में है कि नहीं, यदि वह आयकर की सीमा में आता है तो उसकी कटौती की जा सके। कोषागारों एवं उपकोषागारों के निरीक्षण के दौरान नमूना जॉच में पाया गया कि 18 कोषागारों एवं 32 उपकोषागारों में स्टाम्प वेण्डरों को दी गयी एक प्रतिशत छूट का विवरण तैयार नहीं किया गया है। एक प्रतिशत छूट का विवरण तैयार न किये जाने से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कितने वेण्डर आयकर की सीमा के अन्तर्गत आ रहे हैं। **परिशिष्ट-5**

3.3.2 आर0बी0डी0 रजिस्टर तैयार न किया जाना:- आर0बी0डी0 रजिस्टर का रख रखाव कोषागार में किया जाना चाहिये। शासकीय जमा चालानों के द्वारा आर0बी0डी0 रजिस्टर बनाकर बैंक से वी0डी0एम0एस0 प्राप्त कर मिलान किया जाना

चाहिये। यदि कोई अन्तर होता है तो अन्तर का समाधान किया जाना चाहिये तथा संशोधित लेखा महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाना चाहिये। निरीक्षण में पाया गया कि 1 कोषागार में उक्त का अनुपालन नहीं किया गया। **परिशिष्ट-6**

3.3.3 राजपत्रित अधिकारी के रजिस्टर का रख-रखाव न किया जाना:- वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग 2 के प्रस्तर 429 के अनुसार प्रत्येक कोषागार में एक पंजिका रखी जानी चाहिये जिसमें उस राजपत्रित अधिकारी के नाम दिये गये हों जो उस कोषागार से अपना वेतन लेते हों। स्वीकृत वेतन तथा भत्तों की राशि सम्बद्ध सरकारी कर्मचारियों के नाम के सम्मुख प्रविष्ट कर दी जानी चाहिये। प्रत्येक वेतन बिल जब भुगतान के लिये प्रस्तुत किया जाय तो इस पंजी से यह देख लिया जाना चाहिये कि वह स्वीकृत दर से अधिक तो नहीं है तथा अन्य आवश्यक विवरण दर्ज किया जाना चाहिये। निरीक्षण में पाया गया 15 कोषागारों में सम्बन्धित पंजिका का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। **परिशिष्ट-7**

3.4 नवीन पेंशन योजना की धनराशि के प्रेषण में विसंगतियाँ।

3.4.1 अंशदान की कटौती न किया जाना: उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या/ एस-3-485 / दस-2012-301(ए)-2011 दिनांक 16-03-2012 के अनुसार नई पेंशन योजना से आच्छादित राजकीय कर्मचारियों के वेतन देयक 2012 से कोषागारों में तैयार किये जायें तथा पेंशन अंशदानों को निदेशालय के माध्यम से एन0एस0डी0एल0 को भेजा जायें। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि 27 कोषागारों के प्रान आवंटन के पश्चात् भी अंशदानों की कटौती नहीं की जा रही है। **परिशिष्ट-8**

3.4.2 डी0सी0आई0 की धनराशि का अन्तरण न किया जाना: उत्तर प्रदेश शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 संख्या/ एस-3-486/ दस- 2013-301 (09)-2011 दिनांक 15-05-2013 द्वारा निर्देशित किया गया था कि जिन कार्मिकों का पंजीकरण (पी0आर0ए0एन0 आवंटन) पूर्ण हो चुका है एवं जिनके लेखों में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि नहीं हो रही है। पूर्व में की गई कटौतियों तथा नियोक्ता अंशदान से सम्बन्धित समस्त धनराशि का अन्तरण ट्रस्टी बैंक को तत्काल कर दिया जाये। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में यह प्रकाश में आया कि 21 कोषागारों द्वारा कटौतियाँ एवं नियोक्ता अंशदान से सम्बन्धित समस्त धनराशि का अन्तरण ट्रस्टी बैंक को नहीं किया गया। विवरण **परिशिष्ट-9**

3.4.3 प्रान का आवंटन न किया जाना:- निदेशक कोषागार के पत्र संख्या-पे0नि0/एन0पी0एस0/2011-12/6911 दिनांक 25-11-2019 के अनुसार नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को प्रपत्र एस0-01 के द्वारा कोषागार के माध्यम से माह मई 2012 तक पी0आर0ए0एन0 (प्रान) आवंटित कर दिये जाने के लिये निर्देशित किया गया था।

निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में यह प्रकाश में आया कि 49 कोषागारों द्वारा प्रान (Permanent Retirement Account Number) आवंटन नहीं किया गया। जिसके कारण अंशदान की कटौती नहीं हो पा रही थी, कर्मचारी उक्त योजना के लाभ से वंचित रहे। **परिशिष्ट-10**

3.5 व्यपगत जमा का विवरण प्रेषित न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-351 के अनुसार जमाशीर्षक के अन्दर जमा ऐसी धनराशियाँ जो तीन वर्ष से अधिक अवधि से जमा है, को शासन के पक्ष में व्यपगत करते हुए व्यपगत विवरण महालेखाकार को वांछित समायोजन हेतु अप्रैल के प्रथम सप्ताह में प्रेषित कर दिया जाना चाहिये। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में यह प्रकाश में आया कि 7 कोषागारों में ₹ 123 करोड़ द्वारा व्यपगत जमा के विवरण महालेखाकार को प्रेषित नहीं किया गया। **परिशिष्ट-11**

3.6 उचित जाँच के अभाव में पेंशन सम्बन्धी लाभों का अनियमित भुगतान।

3.6.1 उपादान का कम भुगतान: पेंशन नियम के अनुसार सेवानिवृत्ति उपादान, कर्मचारी द्वारा कम से कम 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर अनुमन्य होगी इसकी धनराशि पेंशन योग्य अर्ह सेवा के प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये अन्तिम आहरित परिलब्धियों के चौथाई भाग के बराबर होगी जिसका अधिकतम, अन्तिम परिलब्धियों के साढ़े सोलह गुना के बराबर होगी, किन्तु उपादान की धनराशि ₹ 20 लाख से अधिक नहीं होगी। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में यह प्रकाश में आया कि 15 कोषागारों में उपादान ₹ 6852613/- का कम भुगतान किया गया। **परिशिष्ट -12**

3.6.2 राशिकरण का कम भुगतान: राशिकरण के लिये कोई भी सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी अधिवर्षता पेंशन का चालीस प्रतिशत तक राशिकृत कराकर एक मुश्त धनराशि का भुगतान प्राप्त कर सकता है। राशिकरण की गणना शासन द्वारा अनुमोदित रेट तालिका के आधार पर पेंशनर की आयु के आधार पर की जाती है आयु की गणना, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि के बाद पड़ने वाली जन्म-तिथि के आधार पर की जाती है। राशिकृत मूल्य के रूप में राशिकृत पेंशन का भाग का बारह गुना तथा अगले जन्म-तिथि पर पड़ने वाले आयु के सम्मुख अंकित राशिकृत मूल्य के गुणांक के बराबर धनराशि देय होगी। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में यह प्रकाश में आया कि 5 कोषागारों में राशिकृत ₹ 19.43 लाख का कम भुगतान किया गया। **परिशिष्ट-13**

3.7 पेंशन एवं उपादान का अधिक भुगतान।

3.7.1 ₹ 90059/- पेंशन का अधिक भुगतान: कोषागारों के पेंशनर की पत्रावली के जाँच में यह पाया गया कि 2 कोषागारों में पेंशन का अधिक भुगतान किया गया है। **परिशिष्ट-14**

3.7.2 बिना आयु सत्यापन के अतिरिक्त पेंशन ₹ 41220/- का अधिक भुगतान: उ0प्र0 शासन (सामान्य) अनुभाग-3 संख्या सा0 9-3-1508/दस-2008308-97, लखनऊ दिनांक 8-12-2008 के कार्यालय ज्ञाप के अनुसार पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को उनकी आयु के अनुसार पेंशन की अतिरिक्त धनराशि का भुगतान पेंशनर्स की आयु 80 वर्ष, परन्तु 85 वर्ष से कम पर मूल पेंशन का 20 प्रतिशत करने का आदेश निर्गत किया गया है। कोषागार सुलतानपुर में उक्त आयु वर्ग के पेंशनर श्रीमती कृष्णा कुमारी, पी0पी0ओ संख्या P/6235 की जाँच में पाया गया कि उनको अतिरिक्त पेंशन ₹ 1800/- का भुगतान 17-11-20 से किया जा रहा है। कुल अतिरिक्त पेंशन ₹ 41220/- का भुगतान किया जा चुका है।

पेंशन पत्रावली में पेंशनर की अनुमानित आयु 42 वर्ष अंकित है तथा जन्म-तिथि से सम्बन्धित, आधार कार्ड वोटर आईडी अथवा अन्य कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है एवं कोषाधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृत करते समय भी इसकी जाँच नहीं की गयी।

3.7.3 ₹ 62357/- मृत्यु उपादान का अधिक भुगतान : पेंशन नियम के अनुसार यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुये होती है तो यदि उसकी सेवा 1 वर्ष से कम है तो परिलब्धियों का दो गुना, एक वर्ष या उससे अधिक 5 वर्ष से कम परिलब्धियों पर 6 गुना, 5 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 11 वर्ष से कम को परिलब्धियों पर 12 गुना, 11 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 20 वर्ष से कम है तो परिलब्धियों का 20 गुना, 20 वर्ष या उससे अधिक है तो योग्य अर्ह सेवा के प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये अन्तिम आहरित परिलब्धियों के आधे के बराबर होगी। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में यह प्रकाश में आया कि 02 कोषागारों में उपादान ₹ 62357/- का अधिक भुगतान किया गया। **परिशिष्ट-15**

3.7.4 ₹ 6315/- राशिकरण का अधिक भुगतान: राशिकरण के लिये कोई भी सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी अधिवर्षता पेंशन का चालीस प्रतिशत तक राशिकृत कराकर एक मुश्त धनराशि का भुगतान प्राप्त कर सकता है। राशिकरण की गणना शासन द्वारा अनुमोदित रेट तालिका के आधार पर पेंशनर की आयु के आधार पर की जाती है। आयु की गणना, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि के बाद पड़ने वाली जन्म-तिथि के आधार पर की जाती है। राशिकृत मूल्य के रूप में राशिकृत पेंशन का भाग का बारह गुना तथा अगले जन्म-तिथि पर पड़ने वाले आयु के सम्मुख अंकित राशिकृत मूल्य के गुणांक के बराबर धनराशि देय होगी। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में यह प्रकाश में आया कि लखीमपुरखीरी कोषागार में राशिकृत ₹ 6315/- का अधिक भुगतान किया गया। **परिशिष्ट-16**

3.8 अनाहरित पेंशन/बन्द पेंशन भुगतान आदेशों को अनाधिकृत रूप से रखा जाना।

पेंशन का आहरण न किया जाना: उ0प्र0 शासन के वित्त विभाग के (व्यय नियन्त्रण) आदेश सं0-1482/दस- (45) दि0 10-9-1998 के प्रस्तर यदि पेंशन का आहरण एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम अवधि तक अनाहरित रहता है तो जिलाधिकारी, दो वर्ष से अधिक परन्तु 6 वर्ष से कम अवधि तक अनाहरित रहने की स्थिति में मंडलायुक्त के आदेश से पेंशन का पुनः भुगतान एवं अवशेष धनराशि का भुगतान किया जा सकता है। इसी प्रकार 6 वर्ष से अधिक अवधि के लिये उत्तर प्रदेश शासन की अनुमति से पुनः पेंशन आहरण किया जा सकता है। निरीक्षण में पाया गया कि 38 कोषागारों में 16234 पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों ने विगत 3 वर्ष या उससे अधिक समय से पेंशनर का भुगतान नहीं प्राप्त किया। इसके विषय में शासनादेश के अनुसार उचित कार्यवाही नहीं की गयी। **परिशिष्ट-17**

3.9 स्टाम्प लेखा:

3.9.1 स्टाम्पों का मानक से अधिक भण्डारण: स्टाम्प मैनुअल के प्रस्तर-66 के अनुसार स्टाम्पों का द्वितालक कक्ष में भण्डारण विगत तीन माह की बिक्री के समतुल्य रखा जाना चाहिये। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में यह प्रकाश में आया कि 31 कोषागारों तथा 57 उपकोषागारों में स्टाम्प मैनुअल के अनुसार भण्डारण नहीं किया गया है। **परिशिष्ट-18**

3.9.2 गलत क्रमांक प्राप्त स्टाम्पों का निस्तारण न किया जाना: जौनपुर कोषागार को मंडल कोषागार वाराणसी के पत्रांक-2844/DLA/को0वा0 दिनांक 04-12-2009 द्वारा ₹ 5000 मूल्य वर्ग के स्टाम्प क्रमांक H-815001 से H-820000 प्राप्त हुआ। उक्त क्रमांक के एक बन्डल में H-815001 से H-817504 तथा H-817751 से H-818000 तक सही सीरीज के स्टाम्प प्राप्त हुये लेकिन बीच में H-817505 से H-817750 के स्थान पर H-747505 से H-747750 की सीरीज प्राप्त हुयी। बिक्री के दौरान क्रमांक H-815001 से H-817485 तक बिक्री करने के उपरान्त उक्त विसंगति प्रकाश में आयी तथा इस बन्डल के स्टाम्पों की बिक्री रोक दी गई। इस प्रकार इस बन्डल के स्टाम्प निम्नवत भण्डार में वर्ष 2009 से लगभग 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरान्त अनिस्तारित पड़े हुये हैं:-

तालिका-3.2

क्र0सं0	स्टाम्प क्रमांक	संख्या	स्टाम्प का मूल्य ₹
1	H- 817485 To H- 817504	20×5000	100000
2	H- 747505 To H- 747750	246×5000	1230000
3	H- 817751 To H- 818000	250×5000	1250000
		योग-	2580000

इस सम्बन्ध में कोषागार द्वारा मण्डलीय कोषागार एवं निदेशक कोषागार से पत्र व्यवहार किया जा रहा है तथा अंतिम पत्र निदेशक कोषागार उ०प्र० को पत्रांक 307/ मु०रे०/कोषा० जौ०/2018-19 दिनांक 22-05-18 द्वारा जारी किया गया है जिसकी प्रति अपर सचिव राजस्व परिषद को भी जारी की गयी है लेकिन निरीक्षण तिथि तक इनके निस्तारण की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

3.10 स्ट्रॉग रूम का निरीक्षण तथा सुरक्षा प्रमाण पत्र का निर्गमन।

द्वितालक कक्ष का सुरक्षा प्रमाण पत्र न प्राप्त करना: राजस्व मैनुअल के 1447 के अनुसार कोषाधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष द्वितालक कक्ष की सुरक्षा का प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता उसकी अनुपस्थिति में सहायक अभियन्ता द्वारा सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना चाहिये। इसी प्रकार उपकोषागार के द्वितालक कक्ष के सुदृढीकरण का प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग से प्रत्येक पाँच वर्ष में प्राप्त किया जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान नमूना जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कुल 14 कोषागारों तथा 22 उपकोषागारों द्वारा द्वितालक कक्ष का सुरक्षा प्रमाण पत्र या तो प्राप्त नहीं किया गया या उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया है। जबकि उक्त प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिये, क्योंकि स्ट्रॉग रूम में बहुमूल्य वस्तुएं एवं करोड़ों का स्टाम्प रहता है। द्वितालक कक्ष जर्जर या जीर्ण शीर्ण होने पर उसके गिरने की सम्भावना बनी रहती है जिससे शासकीय वस्तुएं/धनराशि की हानि से इनकार नहीं किया जा सकता। **परिशिष्ट-19**

मानक के अनुसार सुरक्षा बलों की तैनाती न किया जाना: द्वितालक कक्ष की सुरक्षा हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के परिशिष्ट 33 के अनुसार जनपद के पुलिस अधीक्षक से संतरी बीट एवं बीट चार्ट प्राप्त किया जाना चाहिये तथा उनके द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार सुरक्षा बलों की तैनाती कोषागार में की जानी चाहिये। निरीक्षण के दौरान नमूना जॉच में यह प्रकाश में आया कि उत्तर प्रदेश के 64 कोषागारों एवं 154 उपकोषागारों में स्वीकृत संख्या में सुरक्षा बल तैनात नहीं थे। **परिशिष्ट-20**

3.11 कोषागारों में जमा किये गये बहुमूल्य वस्तुओं का वार्षिक सत्यापन:

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-38 के अधीन मूल्यवान प्रतिभूति बन्धपत्र विलेख इत्यादि को निक्षेपण अधिकारी द्वारा उस बक्से में रखा जाना चाहिये जिसमें कि सुरक्षित पैडलाक की सुविधा हो या उस मजबूत ताले में जो अनुमोदित फर्म द्वारा बनाया गया है जिसकी चाभियाँ निक्षेपण अधिकारी के पास इस रूप में रहेंगी कि भविष्य में कोई भी कोषागार उसके सार से सम्बन्धित उत्पन्न विवाद के लिये दायित्वाधीन न हो। किन्तु फिर भी उन मामलों में जहाँ पैराग्राफ 6 के (v)(vi) (vii) में दी गयी विषय वस्तुओं के अधीन केवल एक या दो विलेख अथवा दस्तावेज निक्षेपित किये गये हैं। वहाँ पर उन्हें सन्दूक में नहीं रखा जायेगा फिर भी ये निर्देश उन प्रतिभूतिओं पर नहीं लागू होंगे जिन्हें कि सरकारी प्रतिभूति मैनुअल के अधीन निक्षेपित किया गया है।

38(i) उन सभी मामलों में जिसमें नकद तिजोरी मूल्यवान वस्तुएं या दस्तावेज कोष में सुरक्षित अभिरक्षा के लिये प्राप्त किये गये हैं उन्हें प्रस्ताव के लिए कोष में रखे गये रजिस्टर जिसमें कि पावती तथा वापसी इत्यादि है दर्ज किया जायेगा तथा उनकी सम्यक् अभिस्वीकृति होगी। ट्रेजरी द्वारा तिजोरी की चाभी नहीं रखा जाना चाहिये।

38(ii) विभागीय अधिकारी जिनके पास नकद बक्से की सुरक्षा के लिये अपने कार्यालय में पर्याप्त इन्तजाम नहीं है और पैराग्राफ 36 के अन्तर्गत नकद की सुरक्षा के लिए अपने बक्से को कोष के मजबूत कमरे में जमा करने के लिये अधिकृत किये गये हैं कोष गृह के बरामदा एवं अन्य किसी उचित स्थान पर जो कि सभी के आसानी से पहुँच के अन्तर्गत है रख सकते हैं। बक्से को जिस स्थान पर जड़ा जायेगा उसमें जिलाधिकारी की सहमति आवश्यक होगी। जिलाधिकारी इस कार्य में पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट से भी राय लेगा। इस कार्य में आये सभी खर्च विभाग द्वारा व्यय किये जायेंगे।

38(iii) के अनुसार द्वितालक कक्ष में रखे गए बहुमूल्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन जमाकर्ताओं द्वारा वर्ष में एक बार, मई माह में अवश्य किया जाना चाहिये। निरीक्षण के दौरान नमूना जॉच में यह प्रकाश में आया कि 64 कोषागारों एवं 78 उपकोषागारों में रखी बहुमूल्य वस्तुओं का जमाकर्ताओं द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। कोषागार के द्वितालक कक्ष में बहुमूल्य वस्तुएँ अनेकों वर्षों से जमा हैं भौतिक सत्यापन न कराये जाने से वस्तुएं खराब भी हो सकती हैं सील आदि क्षतिग्रस्त हो सकता है, सत्यापन हो जाने से वस्तुओं की सत्यता सुनिश्चित हो जाती है। **परिशिष्ट-21**

3.12 आयुक्त/उपायुक्त द्वारा कोषागारों का निरीक्षण न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के नियम-469 (क) के अनुसार प्रत्येक जिला कोषागार का वर्ष में एक बार बरसात के मौसम में डिवीजन का आयुक्त और जिलाधिकारी द्वारा, निरीक्षण किया जाना चाहिये जिलाधिकारी का निरीक्षण ऐसे समय पर किया जाना चाहिये कि उसके निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति आयुक्त को, जब वह निरीक्षण करने आय, उपलब्ध हो। 469 (ख) के अन्तर्गत प्रत्येक कोषागार का निरीक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 2 बार निदेशक कोषागार अथवा उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत कोषागार/लेखा निदेशालय के किसी अधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिये। इसमें एक निरीक्षण विस्तृत होना चाहिये जो कोषाधिकारी को सूचना देकर किया जाना चाहिए एवं दूसरा निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस पर आकस्मिक रूप से किया जाना चाहिये। निरीक्षण के दौरान नमूना जॉच में यह प्रकाश में आया कि उच्च अधिकारियों/अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन द्वारा 5 कोषागारों का आकस्मिक 18 कोषागारों का विस्तृत एवं 12 कोषागारों का आकस्मिक एवं विस्तृत दोनों का निरीक्षण नहीं किया गया। **परिशिष्ट-22 (क)(ख)(ग)**

3.13 उच्च अधिकारियों द्वारा उपकोषागार का निरीक्षण न किया जाना:

शासनादेश संख्या-S-3-2837/10/87/14(7)/87 दिनांक 15-03-1988 के बिन्दु-1 में दिये गये निर्देशानुसार वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा अधीनस्थ उपकोषागारों की वित्तीय वर्ष में एक विस्तृत एवं एक आकस्मिक निरीक्षण किया जाना चाहिए। विस्तृत निरीक्षण हेतु उप कोषागारों को पूर्व में सूचना दी जानी चाहिए एवं आकस्मिक निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।

निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि 32 उपकोषागारों का आकस्मिक निरीक्षण 39 उपकोषागारों का विस्तृत निरीक्षण 16 उपकोषागारों का आकस्मिक एवं विस्तृत दोनों निरीक्षण नहीं किया गया है। **परिशिष्ट-23(क)(ख)(ग)**

प्रावधानों के अनुसार उपजिलाधिकारी द्वारा उपकोषागार के द्वितालक कक्ष का निरीक्षण न किया जाना।

राजस्व मैनुअल के प्रस्तर 1447 के अनुसार (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-2 परिशिष्ट-32 के रूप में उद्धृत) उपकोषागार के द्वितालक कक्ष का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष, केवल उस वर्ष को छोड़कर जिस वर्ष अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन की मजबूती का प्रमाण पत्र दिया गया हो, उपजिलाधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये तथा उस द्वितालक कक्ष में परिवर्तन न किये जाने का प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि 53 उपकोषागारों में उक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। **परिशिष्ट-24**

विविध अनियमिततायें।

3.14 पेंशन सम्बन्धी अन्य अनियमिततायें।

3.14.1 नियत समय में प्रथम पेंशन का भुगतान प्रारम्भ न किया जाना : उत्तर प्रदेश पेंशन नियमावली 1995 के नियम-3 (बी0) एवं 2 (के0) तथा निदेशक कोषागार उ0प्र0 लखनऊ के परिपत्र सं0 05/205 दिनांक 18-1-2005 एवं पत्रांक 473/4(242)/99 टी0सी0/को0नि0 सा0प्र0वि0 दिनांक 7-3-2006 के अनुसार प्रथम पेंशन का भुगतान आदेश प्राप्ति से एक माह के अन्दर प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिये। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में आया कि 50 कोषागारों में 463 पेंशनरों का भुगतान निर्धारित समय सीमा (एक माह) के अन्दर आरम्भ नहीं किया गया था। **परिशिष्ट-25**

3.14.2 बैंक में मृतक पेंशन की धनराशि का अवरुद्ध रखना : शासनादेश सं0 ए-1-295/ दस-2009-10 (2)/2009 दिनांक 24-11-2009 के अनुसार यदि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की मृत्यु के पश्चात् बैंकों को पेंशन प्रेषित की गई हो तो उसकी वसूली अर्जित ब्याज सहित बैंकों से कोषागार द्वारा प्राप्त कर शीघ्रतिथी चालान द्वारा सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा करा दिया जाना चाहिये। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि 45 कोषागारों में 583 प्रकरणों में अतिरिक्त पेंशन राशि ₹ 2.28 करोड़ सम्बन्धित बैंकों से वापस लिया जाना शेष है। वापस न लिये जाने के कारण एक बड़ी शासकीय धनराशि अवरुद्ध हो गयी है। **परिशिष्ट-26**

3.14.3 अतिरिक्त पेंशन का भुगतान न किया जाना: उत्तर प्रदेश शासन (सामान्य) अनुभाग-3 संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308-97, लखनऊ दिनांक 08-12-2008 के कार्यालय ज्ञाप के अनुसार पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को उनकी आयु के अनुसार पेंशन की अतिरिक्त धनराशि का भुगतान निम्नलिखित दरों के आधार पर करने के आदेश निर्गत किए गए हैं:-

तालिका-3.3

पेंशनर की आयु	पेंशन की अतिरिक्त धनराशि
80 वर्ष, परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष, परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष, परन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष, परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50 प्रतिशत
100वर्ष, या उससे अधिक	मूल पेंशन का 100 प्रतिशत

निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में यह पाया गया कि 30 कोषागारों में 80 वर्ष या उससे ऊपर की आयु वाले 4681 पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। **परिशिष्ट-27**

3.14.4 पेंशनरों से आयकर की श्रोत से कटौती न किया जाना:- आयकर अधिनियम 1961 के अनुभाग 192 के अनुसार कर्मचारियों/पेंशनरों के वेतन/पेंशन से अनुपातिक औसत कटौती माहवार की जानी चाहिए। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 41 कोषागारों में 444 पेंशनरों से जो आयकर की सीमा के अन्तर्गत आते हैं उनके आयकर की श्रोत पर ₹ 60239943/- की माहवार औसत कटौती नहीं की गयी जबकि औसत कटौती की जानी चाहिये। **परिशिष्ट-28**

3.14.5 पेंशन डेटाबेस में डुप्लीकेट पी0पी0ओ0 सं0 एवं बैंक के अलग-अलग खाते का उपलब्ध होना:-

पेंशनर का पी0पी0ओ0 सं0 यूनिक होता है और डेटाबेस में यूनिक पी0पी0ओ0 ही पाया जाना चाहिये तदनुसार पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

निदेशक कोषागार उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त डेटाबेस की जाँच किये जाने पर कोषागार कन्नौज के पेंशन डेटाबेस में डुप्लीकेट पी0पी0ओ0 सं0 एवं बैंक के अलग-अलग खाते उपलब्ध है जबकि डेटाबेस में एक व्यक्ति का एक पी0पी0ओ0 और एक ही बैंक खाता होना चाहिये जिससे कि अनियमितता की सम्भावना न रहे। विवरण निम्न है:- **तालिका-3.4**

CAT CODE	पेंशनरों के नाम	पी0पी0ओ0 संख्या	बैंक कोड	खाता संख्या	मूल वेतन
C01	स्व0 श्री नेकराम सिंह यादव	P-003/014/009728	51	10110000514	7515
C01	श्री सिद्धार्थ	P-003/014/009728	5	32558245949	0
C01	स्व0 श्री राजकुमार	POLICE-V/6508/P-92908/20	2	10732798150	0
C01	स्व0 श्री राजकुमार	POLICE-V/6508/P-92908/20	2	10732798150	11615
C01	प्रमोद कुमार तिवारी	003/194/016917/1348	43	10100016053	23100
C01	प्रमोद कुमार तिवारी	003/194/016917/1348	43	10100016053	8965
C27	स्व0 श्री बालक राम राठौर	180/DCAO/PENSION/42/2002	15	20776640711	6898
C27	स्व0 श्री बालक राम राठौर	180/DCAO/PENSION/42/2002	15	20776640711	10626
E11	स्व0 श्री लक्ष्मी नारायण	KNJ/2010/1393	74	10110000075	2160
E11	स्व0 श्री राम चन्द्र पथिक	KNJ/2010/1393	55	10110000305	3155
E01	स्व0 श्री काश्मीर सिंह	10057 DT 5DEC2018	112	100033345	17950
E01	श्री शिवराम आर्या	10057 DT 5DEC2018	18	100011934	52950
E01	श्री राम नाथ	3033/200/200DT-06SEP2007	9	10100028431	11750
E01	श्री लैला बाबू	3033/200/200DT-06SEP2007	2	10732881312	0

3.14.6 एक पी0पी0ओ0 पर आवश्यक प्रपत्रों के सत्यापन के बिना 2 पेंशनरों को ₹ 11.98 लाख का भुगतान किया जाना:-

पेंशनर की मृत्यु के पश्चात् पारिवारिक पेंशन प्रारंभ किये जाने हेतु, मृत्यु प्रमाण पत्र वारिसान प्रमाण पत्र, पारिवारिक रजिस्टर की नकल, पहचान प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की छाया प्रति, शपथ पत्र और जिलाधिकारी के आदेश प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार देय पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्रारम्भ किया जाता है।

कोषागार कन्नौज के निरीक्षण में पारिवारिक पेंशनरों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी लक्ष्मी नारायण पीपीओ सं0 KNJ/2010/1393 एवं श्रीमती दमयंती देवी पत्नी रामचन्द्र, KNJ/2010/1394 को पारिवारिक पेंशन पत्रावली में उपरोक्त कोई भी अभिलेख संलग्न नहीं पाए गए और कोषागार के पेंशन डेटाबेस में दोनों पेंशनर का एक ही पीपीओ सं0 अंकित पाया गया है। दमयंती देवी के पीपीओ में उनके पति की मृत्यु दिनांक 28-11-2002 और 26-11-2010 जिनको पारिवारिक पेंशन 29-11-2010 से दिया है। पेंशन के भुगतान के पूर्व अपेक्षित जांच आवश्यक थी जो नहीं की गयी। दोनों पेंशनरों को भुगतान की गयी पेंशन की धनराशि का विवरण निम्न है:- **तालिका-3.5**

श्रेणी	पेंशनर का नाम	पी0पी0ओ0 सं0	बैंक कोड	खाता सं0	सं0 बेसिक पेंशन	भुगतानित पेंशन की राशि रु0
E11	श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी लक्ष्मी नारायण	KNJ/2010/1393	74	10110000075	2160	450389
E11	श्रीमती दमयंती देवी पत्नी रामचन्द्र पाठक	KNJ/2010/1393	55	10110000305	3155	748042

3.14.7 विभाग द्वारा 2 पेंशनरों को जारी एक पीपीओ पर ₹ 35.04 लाख का भुगतान किया जाना:—विभाग द्वारा पेंशनर को एक यूनिक पीपीओ सं० आवंटित किया जाना चाहिये तदनुसार कोषागार को अलग इण्डेक्स सं० का आवंटन करते हुए भुगतान किया जाना चाहिये।

कोषागार कन्वोज के निरीक्षण में डुप्लीकेट पीपीओ सं० एवं बैंक के अलग अलग खाते की जाँच के क्रम में काश्मीर सिंह पीपीओ सं० 10057 DT 5DEC2018 एवं डा० शिवराम आर्य, पीपीओ सं० 10057DT 5DEC2018 की पत्रावली और इण्डेक्स रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा एक ही पीपीओ सं० 10057 दिनांक 2-12-2018 श्री काश्मीर सिंह एवं डा० शिवराम आर्य को आवंटित किया गया है और पीपीओ स्वीकृतकर्ता की मुहर भी पीपीओ में नहीं लगी है। कोषागार द्वारा दोनों को अलग-अलग इण्डेक्स काश्मीर सं० ED-1680 और डा० शिवराम आर्य को ED-1681 आवंटित किया गया है जो कि गलत है। कोषागार पेंशन डेटाबेस में दोनों का एक ही पीपीओ सं० 10057 दिनांक 5-12-2018 दर्ज है।

3.14.8 पेंशनरों को पी०पी०ओ० सं० के बिना पेंशन का भुगतान किया जाना: झॉसी कोषागार के माह 7/19 के फार्म-4 की जाँच के दौरान संज्ञान में आया कि निम्नलिखित पेंशनरों के पी०पी०ओ० सं० दर्ज नहीं है:— **तालिका-3.6**

क्र०सं०	पेंशनर का नाम	इण्डेक्स सं०	पी०पी०ओ० सं०
1	राजेन्द्र कुमार	BEP 000510	-----
2	किशन लाल साहू	BEP 000746	-----
3	घनश्याम दास	BEP 000495	-----
4	द्रोपदी बाई जैन	BEP 000494	-----
5	रामदयाल	BEP 000745	-----
6	जगदीश प्रसाद	BEP 000492	-----
7	शान्ती देवी	BEP 000555	-----
8	लखन लाल दिनकर	BEP 000550	-----
9	अच्छे लाल	BEP 000701	-----

3.14.9 पेंशन प्रकरणों में जीवित, रोजगार, विवाह सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न न होना:— वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के प्रस्तर-510, 521 एवं 526 के अनुसार क्रमशः जीवित रहने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रपत्र-8(i) पर रोजगार रहित रहने का प्रमाण पत्र-8 (ii) महिला पेंशनरों के प्रकरण में प्रपत्र-8(iii) पर विवाह करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में प्राप्त होने के उपरान्त ही नियमानुसार पेंशनरों का भुगतान किया जाना चाहिये तथा सम्बन्धित के पेंशन पत्रावली में संलग्न किया जाना चाहिये साथ ही पत्रावलियों में आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं पेंशन भुगतान का वार्षिक विवरण संलग्न किया जाना चाहिये। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि 28 कोषागारों में 25845 पेंशनरों की पत्रावलियों में जीवन प्रमाण पत्र आदि नहीं लगाया गया है। **परिशिष्ट-29**

3.14.10 डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश के अनुपालन में शिथिलता।

शासनादेश सं० 15/2016/ए-1-90/दस-2016/10(65)/2014 दिनांक 14-12-2016 द्वारा प्रदेश के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की व्यवस्था लागू की गयी है। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि 33 कोषागारों में उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। **परिशिष्ट-30**

3.14.11 पेंशनरों को मेंहगाई राहत का भुगतान न किया जाना।

उ०प्र० सरकार के शासनादेश सं० 7/006-सा-3-180/दस-016-308-06/00 दिनांक 17-03-16 के अनुसार पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को समय समय पर निर्धारित दर से मेंहगाई राहत देय है। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि 26 कोषागारों में उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। **परिशिष्ट-31**

3.14.12 निर्धारित न्यूनतम पेंशन से कम पेंशन का दिया जाना।

उ०प्र० शासन के शासनादेश सं. 39/2016/सं.-3923/दस-2016.308.2016 दिनांक 23.12.16 के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से राज्य सरकार के समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को भुगतान की जाने वाली राशि न्यूनतम ₹ 9000/-प्रतिमाह निर्धारित की गयी है। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि 33 कोषागारों में उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। **परिशिष्ट-32**

3.15 सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित कमियाँ/त्रुटियाँ।

3.15.1 सामान्य भविष्य निधि के कालातीत प्राधिकार पत्रों को कार्यालय महालेखाकार को वापस न किया जाना:—निधि मैनुअल के प्रस्तर 86 के अनुसार प्राधिकार पत्र जारी होने के 6 माह के अन्दर भुगतान कर दिया जाना चाहिये। 6 माह बीत जाने के पश्चात् वह कालातीत हो जायेगा तथा उसे निर्गतकर्ता लेखाधिकारी के पास वापस किया जाना चाहिये। उसके लिये कोषागार तथा आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान न किये जाने का प्रमाण पत्र भी दिया जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि 20 कोषागारों में सामान्य भविष्य निधि के कालातीत प्राधिकार पत्रों की वापसी शेष है। **परिशिष्ट-33**

3.15.2 कालातीत प्राधिकार पत्रों को बिना पुनर्वैधीकरण कराये भुगतान: निधि मैनुअल के प्रस्तर-86 के अनुसार प्राधिकार पत्र जारी होने के 6 माह के अन्दर भुगतान कर दिया जाना चाहिये। 6 माह बीत जाने के पश्चात् वह कालातीत हो जायेगा तथा उसे निर्गतकर्ता लेखाधिकारी के पास वापस किया जाना चाहिये। उसके लिये कोषागार तथा आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान न किये जाने का प्रमाण पत्र भी दिया जाना चाहिये। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि 2 कोषागारों द्वारा कालातीत प्राधिकार पत्रों को बिना पुनर्वैधीकरण कराये भुगतान किया गया। **परिशिष्ट-34**

3.16 लेखा सम्बन्धी क्षेत्र

3.16.1 विभागीय प्राप्ति के आंकड़ों का मिलान कोषागार के आंकड़ों से न किया जाना:

उत्तर प्रदेश के वित्त (लेखा) अनुभाग-1/सं0 ए-1-1189/दस-96-10(1) 93 लखनऊ दिनांक 25-6-96 के प्रस्तर 4 के अनुसार वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-27 (ए) के नीचे अंकित टिप्पणी (4) में यह व्यवस्था दी गई है कि कोषागारों में शासकीय प्राप्तियों के प्रकरण में आहरण वितरण अधिकारी द्वारा चालान पर प्राप्तियों को देखकर कैशबुक की प्रविष्टियों को प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा यदि मासिक प्राप्तियों ₹ 1000/- से अधिक हो तो प्रत्येक माह उनका सत्यापित विवरण कोषागार से प्राप्त कर रोकड़ बही में दर्ज आंकड़ों से मिलान कर मासिक मिलान विवरण आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित कर कोषागार को वापस किया जाना चाहिये। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2019-20 में 60 कोषागारों के अभिलेखों से आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का मिलान नहीं किया गया है। मिलान न किये जाने से वास्तविक धनराशि का पता नहीं चल पाता, तथा राजस्व रिसाव की सम्भावना बनी रहती है। **परिशिष्ट-35**

3.16.2 खण्डीय लेखाकारों द्वारा विभागीय व्यय के आंकड़ों का मिलान न किया जाना: शासनादेश सं0 ए-772 दस-95/24-5-94 दिनांक 20-4-95 के अनुपालन में खण्डीय लेखाकारों द्वारा कोषागार में प्रत्येक माह की 18 से 21 तारीख के मध्य लेखा मिलान कर दिनांकित हस्ताक्षर किया जाना चाहिये। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2019-20 में 12 कोषागारों में खण्डीय लेखाकारों द्वारा विभिन्न माहों में विभागीय व्यय के आंकड़ों का मिलान कोषागारों में नहीं किया गया। **परिशिष्ट-36**

3.16.3 कोषागार नियम-27 के अन्तर्गत आहरित धनराशि का वर्षान्त तक असमायोजित रहना:

कोषागार नियम-27 के अन्तर्गत आहरण केवल दैवीय आपदा कानून व्यवस्था, किसी जघन्य अपराध या सक्षम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में एवं बजट आवंटन के अभाव में अधिकतम दो माहों के वेतन भत्ते के लिये आहरित किया जाता है। ऐसे आहरणों का समायोजन उत्तर प्रदेश के वित्त एवं लेखानुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0 टी0 1571/एस-99 दिनांक 11-5-99 के अनुसार आहरण की तिथि से तीन माह के अन्दर अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से जो भी पहले हो समायोजित कर लिया जाना चाहिये। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि 23 कोषागारों द्वारा टी0आर0-27 के अन्तर्गत ₹ 70.41 करोड़ का समायोजन वर्षान्त तक प्राप्त नहीं किया जा सका था अथवा समायोजन की सूचना कोषागार में नहीं है। **परिशिष्ट-37**

3.16.4 राजस्व/पूँजीगत प्राप्ति चालानों पर लेखाशीर्ष का पूर्ण विवरण अंकित न किया जाना:- निदेशक कोषागार उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक सं0 1506/16(03)-107/को0नि0/टी0सी0/प्रा0वि0 दिनांक 24-7-08 के अनुसार राजस्व प्राप्तियों के जमा चालानों पर 13 अंकीय लेखाशीर्ष वर्गीकरण अंकित किया जाना आवश्यक है। शासनादेश सं0 बी-1-2598/दस-2007-101/2007 दिनांक 10-7-2007 एवं शासनादेश सं0 बी-1/4359/दस-2007/दिनांक 12-11-2007 के अनुसार पूँजीगत चालानों पर 15 अंकीय लेखाशीर्ष कोड के साथ-साथ अनुदान संख्या आयोजनागत/आयोजनेत्तर भारित/दत्तमत का पूर्ण विवरण अंकित किया जाना आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि प्रदेश के 57 कोषागारों एवं 144 उपकोषागारों में राजस्व प्राप्तियों के चालान पर 13 अंकीय लेखा कोड तथा 43 कोषागारों एवं 98 उपकोषागारों में पूँजीगत चालानों पर अनुदान संख्या, भारित/दत्तमत, आदि विवरण का पूर्ण अंकन नहीं किया गया है। **परिशिष्ट-38 (क)(ख)**

3.16.5 सी0सी0एल0/डी0सी0एल0 को नियत समय में बैंकों को निर्गत न किया जाना:- नकद साख सीमा (सी0सी0एल0) तथा जमा साख सीमा (डी0सी0एल0) प्राप्त होने के तीन कार्य दिवस के अन्दर ही कोषाधिकारी द्वारा बैंक को सूचित किया जाना चाहिये। इन सीमा के अन्तर्गत जो चेक जारी किये गये हैं उनका बैंक द्वारा सीधे भुगतान कर दिया जायेगा। किन्तु निर्धारित सीमा से अधिक भुगतान होता है इसे ओवर ड्राफ्ट माना जायेगा और इस अनियमितता की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि प्रदेश के 6 कोषागारों द्वारा सी0सी0एल0/डी0सी0एल0, सम्बन्धित बैंकों को, विलम्ब से प्रेषित किये गये। **परिशिष्ट-39**

3.16.6 ऋण अदायगी के चालानों पर विस्तृत विवरण न अंकित किया जाना:-

निदेशक कोषागार उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 1506/16(03)-107/को0नि0/टी0सी0/प्रा0वि0 दिनांक 24-07-2008 में व महालेखाकार उ0प्र0 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि ऋण लेखा से सम्बन्धित ऋण अदायगी के जमा चालानों पर अंकीय लेखा शीर्ष वर्गीकरण के साथ सम्बन्धित स्वीकृति जी0ओ0 व कार्यालय महालेखाकार द्वारा सूचित एस0एल0आर0 सं0 अवश्य

अंकित किये जाए जिसमें कार्यालय महालेखाकार में ऋणियों द्वारा जमा किये गए राशियों का पुस्तानकन सम्बन्धित ऋण के सापेक्ष किया जा सके और वास्तविक देयता से शासन को अवगत कराया जा सके।

उपरोक्त निर्देशों का पालन न सुनिश्चित किये जाने के कारणों से लखा निरीक्षण दल को अवगत कराते हुए कोषागार ने अवगत कराया कि आ0वि0अ0 को जमा चालानों पर एस0एल0आर0 संख्या व स्वीकृति आदेश अंकित करने के निर्देश निर्गत किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान नमूना जॉच में पाया गया कि 6 कोषागारों में उक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। **परिशिष्ट-40**

3.16.7 वेतन का गलत निर्धारण:-

कोषागार जालौन में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका की जॉच में पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी:- श्री शिव कुमार श्रीवास्तव सहायक रोकड़िया की सेवा पुस्तिका की जॉच में पाया गया कि सातवें वेतन आयोग के वेतन निर्धारण में दिनांक 1-1-016 को मूल वेतन ₹ 41480/- होता है जिसे वेतन मेट्रिक्स के लेवल-6 में निर्धारण ₹ 42300/- किया जाना चाहिये जबकि निर्धारण ₹ 43600/- किया गया है।

3.16.8 गबन/लूट के प्रकरण।

गबन की धनराशि ₹ 5.09 करोड़ की वसूली लम्बित होना: शासनादेश सं0 एस-3/667/ दस-2017-34(2) 2017 दिनांक 1.10.11 के द्वारा जनपद बदायूँ के 4 कोषागारों को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया गया था एवं उसके कर्मचारियों को कोषागार में सम्मिलित किया गया था। कोषाधिकारी द्वारा 6-11-19 एवं 9-11-19 को स्टाम्प का विवरण उपकोषाधिकारी/दातागंज से उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था। परन्तु उपलब्ध न कराने के कारण जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया। उसके द्वारा दातागंज में गड़बड़ी की आशंका पर जॉच कमेटी गठित की गयी। जॉच कमेटी जब उपकोषागार पहुँची तो वहाँ पर उपकोषाधिकारी, अभिलेखों का परीक्षण नायब तहसीलदार एवं प्रशासनिक अधिकारी के साथ निरीक्षण भवन में कराते हुये पाये गये, उन्होंने अवगत कराया कि दिनांक 1-4-19 से 30-09-19 तक लगभग ₹ 4100000/- गबन/धनहानि पायी गयी जॉच कमेटी को कुछ अभिलेख उपलब्ध कराये गये जिसमें डबल लाक/सिंगल लाक का रजिस्टर जले हुये पाये गये कैशबुक से चालान फाड़े गये ना सेल रजिस्टर पर उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये कैश बुक एवं फार्म 50A, किसी-किसी वर्ष की दोहरी बनाई गयी थी शेष रिकार्ड के विषय में बताया गया कि उपरोकड़िया के पास उपकोषागार की चाबी है। उपकोषागार दातागंज में दो कर्मचारी उपरोकड़िया तथा कोषागार लेखाकार तैनात थे। जॉच कमेटी द्वारा ₹ 50898110/- स्टाम्प की धनराशि के गबन का उल्लेख किया गया। जॉच कमेटी द्वारा विस्तृत विभागीय जॉच के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की अनुशंसा की जिसके आधार पर उपरोकड़िया एवं लेखाकार के विरुद्ध 18-01-19 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। इस प्रकार ₹ 50898110/- धनराशि की वसूली अवशेष है।

3.16.9 वैयक्तिक जमा लेखाओं के प्रशासकों से अवशेष के स्वीकार्य प्रमाण पत्र न प्राप्त करना: शासनादेश सं0 बी-1-1197/दस-1999 दिनांक 30-03-1999 के अनुसार प्रदेश के समस्त नामित वैयक्तिक लेखा खाता धारकों (एडमिनिस्ट्रेटर पी0एल0ए0) द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में वैयक्तिक लेखा खाता सं0 एवं अवशेषों का मिलान कोषागार से कराकर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किये जाने की अनिवार्यता है। निरीक्षण के दौरान नमूना जॉच में यह प्रकाश में आया कि 10 कोषागारों द्वारा वैयक्तिक जमा लेखाओं का उनके प्रशासकों से अवशेष के स्वीकार्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित नहीं किये गये। **परिशिष्ट-41**

3.16.10 तीन वर्ष से अंशचालित पी0एल0ए0 खाते को बन्द न किया जाना: उ0प्र0 शासन के वित्त लेखा अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या ए-1-636/दस-98-10 / (12)/95 लखनऊ दिनांक 04-05-1998 के द्वारा वैयक्तिक खाता नियमावली 1998 के प्रस्तर 11(2) के अनुसार किसी वैयक्तिक लेखा खाते में यदि 3 वर्ष तक कोई भी लेनेदेन न हो तो ऐसे लेखा खाते को बन्द करने हेतु कोषाधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी से लिखित अनुरोध किया जायेगा, यदि लिखित अनुरोध की तिथि से तीन माह तक सक्षम प्राधिकारी का कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो उ0प्र0 सरकार के परामर्श से यदि खाते में कोई अवशेष है तो उसे सुसंगत लेखाशीर्षक जमा कर दिया जायेगा और खाता बन्द कर दिया जायेगा, एवम् इसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को दे दी जायेगी। निरीक्षण के दौरान नमूना जॉच में पाया गया कि 28 कोषागारों में उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। **परिशिष्ट-42**

3.16.11 लेखाशीर्ष 8338 में जमा के अवशेषों को लेखाशीर्ष 8009 में स्थानान्तरित न करना: शासनादेश सं0-बी-1/3047/दस-2003-40/2002 वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 5-8-13 के अनुसार दिनांक 1-4-2002 से राज्य निधि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे का रख-रखाव लेखाशीर्ष 8338 में न करके कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे का रख-रखाव 8009-60-103 अन्य विविध भविष्य निधियों के अन्तर्गत किया जाता है। राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की भविष्य निर्वाह निधि की धनराशियों जो लेखाशीर्ष 8338-स्थानीय निधियों की जमा के अन्तर्गत खोले गए खाते में रखी जाती थी, को लेखाशीर्ष 8009-60-103 राज्य भविष्य निधि में स्थानान्तरित किया जाना था। निरीक्षण के दौरान नमूना जॉच में पाया गया कि प्रदेश के 3 कोषागारों में ₹ 3.28 करोड़ का स्थानान्तरण 8009-60-103 में नहीं हो सका। राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की भविष्य

निर्वाह निधि की धनराशियों जो लेखाशीर्ष 8338—स्थानीय निधियों में अभी भी रख-रखाव किया जा रहा है। जो कि दिये गये शासनादेश के विपरीत है। **परिशिष्ट—43**

3.16.12 चुनाव जमानत राशि को जब्त न किया जाना: राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) के अनुसार आदेश सं० 261/रा०नि० आयोग-अनु०-6/1/2007 दिनांक 23-2-2007 के अनुसार उम्मीदवारों से निर्वाचन में किये गये व्यय का विवरण निर्वाचन परिणाम की घोषणा के तीन माह के अन्दर प्राप्त किये जा सकेंगे, निर्वाचन लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार की जमानत धनराशि तब तक वापस नहीं की जायेगी जबकि उसके द्वारा निर्वाचन में किये गये व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र पर निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से तीन माह के अन्दर दाखिल न कर दिया गया हो और जमानत वापसी का प्रार्थना पत्र भी उक्त तीन माह की अवधि में ही न दे दिया गया हो। जिन उम्मीदवारों द्वारा उक्त तीन माह की अवधि के अन्दर निर्वाचन व्यय विवरण जमा कर जमानत धनराशि वापसी का प्रार्थना पत्र नहीं दिया जायेगा। उनकी जमानत धनराशि जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रभारी अधिकारी एक सामेकित आदेश करते हुये जब्त करके शासकीय प्राप्ति के मध्य लेखाशीर्षक 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं-02 चुनाव 104, शुल्क अर्थदण्ड समग्रहरण-04—जमानत की जमाओं (सिक्क्योरिटी डिपोजिट) की जब्त की गयी धनराशि में जमा कर दी जानी चाहिये। ऐसे उम्मीदवार जो निर्वाचन में विजयी नहीं हुए हैं अथवा जिन्होंने कुल वैध मतों का 1/5 प्रतिशत से अधिक प्राप्त नहीं किया है उनकी जमानत धनराशि भी जब्त करके शासकीय प्राप्ति के मद में जमा कर दी जायेगी। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। निरीक्षण के दौरान नमूना जॉच में पाया गया कि 24 कोषागारों में पंचायत एवं स्थानीय निकाय के निर्वाचन में जमा करायी गयी जमानत की धनराशि को निर्धारित समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी जब्त कर उक्त लेखाशीर्ष में ₹ 18.19 करोड़ की धनराशि जमा नहीं करायी गयी। जिससे उक्त अनुदेशों का पालन नहीं हो सका। **परिशिष्ट—44**

3.16.13 चुनाव से सम्बन्धित धनराशि को एक ही लघुशीर्ष में जमा किया जाना: चुनाव जमानत की धनराशियों का विभिन्न लेखाशीर्ष में जमा किया जाना चाहिये। निरीक्षण के दौरान नमूना जॉच में पाया गया कि 8 कोषागारों में ₹ 5,97,08,212/- की धनराशि एक ही लघुशीर्ष में जमा किया गया है। **परिशिष्ट—45**

3.16.14 एजेन्सी बैंक में प्राप्ति के रूप में जमा धनराशियों के प्रेषण का मिलान न किए जाने से आर०बी०आई० को ₹ .63 करोड़ का विलम्ब से अंतरण।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1954 की धारा 20, 21 एवं 22A, के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार के लेन—देनों के सम्बन्ध में बनकर के लेखांकन एवं मिलान से सम्बन्धित निर्देशों के ज्ञापन 5 पर एजेन्सी बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं क्रमांक 7 पर कोषागारों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसके आधार पर राज्य सरकार के लेन देनों में लेखांकन एवं लेखा मिलान की कार्यवाही की जानी चाहिये।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्रांक DGBA-GAD.NO-H-14061/31-04-008/2006-07 दिनांक 21-03-2007 द्वारा उक्त ज्ञापन के क्रमांक 05.11 (ए) 05.11(बी) द्वारा संशोधित करते हुए लेन—देन की राशि सीमा को 10 लाख से घटाकर रुपये 1 लाख एवं विलंबित दिनों की संख्या घटाकर 10 दिन से 3 दिन (स्थानीय शाखा) एवं 5 दिन (नगर सीमा से बाहर स्थित शाखा के लिये) निश्चित किया गया है, जिसके अंतर्गत जमा धनराशियों को रिजर्व बैंक के लोक लेखा विभाग के सम्बन्धित बैंक द्वारा जमा/अंतरण करना चाहिये। इसका अनुपालन न किए जाने पर बैंक की सामान्य ब्याज दर एवं 2 प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज सहित राशि जमा किए जाने का प्रावधान है।

क्रमशः कोषागार , कानपुर नगर, ₹ 11 करोड़ गौतमबुद्धनगर, ₹ 12 करोड़, प्रयागराज ₹ 40 करोड़ धनराशियों का विलम्ब से आर०बी०आई० को प्रेषण किया गया।

3.16.15 लेखा शीर्षक 7610 के अपूर्ण शिडयूल्स का महालेखाकार कार्यालय को प्रेषण :

भवन निर्माण अग्रिम आदि की मासिक कटौतियों की प्राप्तियां लेखा शीर्षक 7610 के अन्तर्गत कैश एकाउन्ट में मासिक आधार पर प्रदर्शित किया जाना है तथा इस प्रकार प्रदर्शित धनराशि के समतुल्य राशि शिडयूल आफ पेमेन्ट में उस सम्बन्धित लेखा शीर्ष में प्रदर्शित होना चाहिये या तो चालान के माध्यम से जमा की गई राशियों को जोड़कर कैश एकाउन्ट के योग से मेल खाना चाहिये। कोषागार सिविल लाइन्स इलाहाबाद के निरीक्षण में पाया गया कि कैश एकाउन्ट एस० ओ० पी० में मुख्य लेखा शीर्ष 7610 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष 2202 में ₹ 564100 की भिन्नता थी।

3.16.16 बोनस का अनियमित भुगतान:—

उत्तर प्रदेश के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 संख्या-7/2019/ वे०आ०-1-916/दस-2019-36(M)/08 दिनांक 15 अक्टूबर-2019 के पैरा 3.4 के अनुसार बोनस केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च-2019 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी। कोषागार के वेतन बिल पंजिका एवं 11-ब रजिस्टर के जॉच में पाया गया कि श्री मो० अली रजा, कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति तिथि 13-04-2018 है, इसके बावजूद श्री रजा को बोनस का भुगतान किया गया है।

3.16.17 बिना कोटेशन के ₹ 109614 का अनियमित भुगतान किया जाना:-

कोषागार चित्रकूट में विभिन्न आहरण वितरण अधिकारियों से प्राप्त वेतन देयक में से राजस्व विभाग, कलेक्ट्रेट चित्रकूट के आकस्मिक देयक की जाँच में पाया गया कि लेखन सामग्री मद में निम्नानुसार क्रय किया गया है।

तालिका-3.7

क्र०सं०	फर्म का नाम	बिल सं०/दिनांक	धनराशि
1.	मे० राम पुस्तक भंडार, कवी	214/24-11-2019	17520
2.	तदैव	215/24-11-2019	7235
3.	तदैव	215/24-11-2019	3067
4.	तदैव	215/24-11-2019	720
5.	तदैव	215/24-11-2019	10126
6.	तदैव	215/24-11-2019	5097
7.	तदैव	215/24-11-2019	10235
8.	तदैव	215/24-11-2019	10061
9.	तदैव	215/24-11-2019	5320
10.	तदैव	215/24-11-2019	11790
11.	तदैव	215/24-11-2019	2239
12.	तदैव	215/24-11-2019	8784
13.	तदैव	215/24-11-2019	10420
योग-			₹ 109614

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि एक ही फर्म से कार्य/खरीद का विभाजन करते हुये ₹ 1,09,614/- की लेखन सामग्री क्रय की गई, जबकि नियमतः अलग-अलग कम से कम तीन फर्मों से कोटेशन प्राप्त कर निम्नतम दर वाली फर्म को आपूर्ति आदेश निर्गत किया जाना चाहिये। साथ ही उक्त सामग्री को स्टॉक में भी प्रविष्टि नहीं किया गया है।

3.17 ई-भुगतान में कमियाँ:

उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के शासनादेश सं० 12/2016,1-727/10 दिनांक 2016-10 (38)/2014 दिनांक 23-08-2016 में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक टोकन के विरुद्ध भुगतानित एवं फेल धनराशियों को अलग अलग दर्शाए जाने हेतु लेखाशीर्षक 8670 00 104 में अलग अलग उपशीर्ष खोल दिया जाए। भुगतान की जाने वाली समस्त धनराशियों जिसमें फेल ट्रॉन्जेक्शन से सम्बन्धित धनराशियाँ भी सम्मिलित हैं, को भुगतान पक्ष के लेखाशीर्षक 8670 00 104 01 में एवं केवल फेल ट्रॉन्जेक्शन की धनराशि को प्राप्त पक्ष के लेखाशीर्षक 8670 00 104 02 में दर्शाया जायेगा। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच के यह पाया गया कि 13 कोषागारों में ई-भुगतान के फेल होने पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन व अन्य भुगतान को बैंक द्वारा बैकर्स चेक लाभार्थी के पक्ष में तैयार कर सम्बन्धित कोषाधिकारी को प्रेषित किया गया इस कारण लाभार्थियों को भुगतान विलम्ब से प्राप्त हुआ है। परिशिष्ट-46

3.18 स्टाम्प लेखे का रख-रखाव

3.18.1 खराब एवं निष्प्रयोज्य पैडलाकों का निस्तारण न किया जाना : वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के प्रस्तर 413 (iii) के अनुसार यदि किसी पैडलाक में चाभी खो जाने पर सीज करने की आवश्यकता हो तो उन परिस्थितियों को जिलाधिकारी को रिपोर्ट किया जाना चाहिये, वह पैडलाक व चाभी के निस्तारण के आदेश देंगे उस पैडलाक की डुप्लीकेट चाभी नहीं बनवायी जायेगी। जिलाधिकारी के आदेश के बिना फालतू पैडलाक कोषागार/उपकोषागार में नहीं रखा जायेगा। यदि कोई पैडलाक खराब हो जाता है एवं मरम्मत करने लायक नहीं रहता है तो उसे आयुक्त या जिलाधिकारी द्वारा निस्तारण पुराने धातू के सामान के नीलामी द्वारा निस्तारण किया जाना चाहिये। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि प्रदेश के 19 कोषागारों एवं 7 उपकोषागार द्वारा खराब एवं निष्प्रयोज्य पैडलाकों का निस्तारण नहीं किया गया। परिशिष्ट-47

3.18.2 स्टाम्प वेण्डरों से शपथ पत्र/आयकर विवरणी न प्राप्त किया जाना: प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं० को०नि०-5-260/11-2004-500 (W-827)/2000 दिनांक 14-7-2004 के तहत स्टाम्प विक्रेताओं को स्टाम्प पर देय एक प्रतिशत छूट की धनराशि यदि आयकर के विभिन्न स्लैब की सीमा से अधिक प्राप्त हो तो स्टाम्प विक्रेताओं को तब तक स्टाम्प न जारी किया जाय जब तक उनके द्वारा आयकर की धनराशि आयकर विभाग को सम्बन्धित लेखाशीर्ष में जमा न कर दी जाये तथा इस आशय का एक शपथ पत्र भी स्टाम्प वेण्डरों से प्राप्त किया जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि 02 कोषागारों व 03 उपकोषागारों द्वारा स्टाम्प वेण्डरों से बिना आयकर विवरणी/शपथ पत्र प्राप्त किये ही बिक्री हेतु स्टाम्प निर्गत किये जा रहे हैं। परिशिष्ट-48

3.18.3 स्टाम्प बिक्री से प्राप्त धनराशि का असुरक्षित परिवहन: उत्तर प्रदेश शासन वित्त सेवाएं अनुभाग-5 शासनादेश सं0 एस-3-2376/दस-2005 दिनांक 6-12-05 जो कि कोषागार/उपकोषागार स्तर पर शासकीय धन की सुरक्षा हेतु सावधानी रखने के सम्बन्ध में जारी किया गया है, शासनादेश के बिन्दु सं0 4 पर यह निर्देश है कि जिन उपकोषागारों में वाहन की व्यवस्था नहीं है वहाँ उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी से सम्पर्क कर धनराशि के प्रेषण हेतु वाहन की व्यवस्था समय-समय पर सुनिश्चित की जाय। निरीक्षण के दौरान नमूना जॉच में पाया गया कि 2 कोषागारों व 64 उपकोषागारों में स्टाम्प बिक्री से प्राप्त धनराशि को असुरक्षित रूप से बैकों में जमा करने हेतु ले जाया जाता रहा है। **परिशिष्ट-49**

3.18.4 द्वितालक कक्ष के स्टाम्प का भौतिक सत्यापन न किया जाना: उत्तर प्रदेश स्टाम्प मैनुअल प्रस्तर-97 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सितम्बर एवं मार्च माह के अन्तिम दिवस को डिपो का प्रभारी अधिकारी स्टाम्प डिपो के एक तालक एवं द्वितालक कक्ष में संग्रहीत स्टाम्पों की श्रेणीवार गिनती करके निर्धारित प्रपत्र पर उनके सत्यापन का प्रमाण पत्र तैयार कर उक्त माह के स्टाम्प के धन-ऋण ज्ञाप के साथ प्रेषित करेगा। इस उद्देश्य से प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप उत्तर प्रदेश के स्टैम्प मैनुअल के प्रस्तर-98 में दिया गया है जो कि स्थानीय डिपो के लिए प्रपत्र बी0आर0 358 एवं शाखा डिपों के लिए राजस्व मैनुअल अध्याय LXXII प्रस्तर-1526 में दिए प्रपत्र के अनुसार होगा। उक्त प्रमाण-पत्रों में कोषाधिकारी द्वारा उनके कोषागार में संग्रहीत समस्त स्टाम्पों की मूल्यवार संख्या अंकित करते हुए स्पष्ट प्रमाणन करना होता है कि संग्रहीत स्टाम्प उनके द्वारा या उनके समक्ष अधीनस्थ अधिकारी द्वारा गिने गए हैं एवं सही पाये गए हैं। निरीक्षण के दौरान नमूना जॉच में पाया गया कि 53 कोषागारों व 99 उपकोषागारों में भण्डारित स्टाम्पों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। भौतिक सत्यापन न किये जाने के कारण स्टाम्पों के दुरुपयोग/गबन की सम्भावना बनी रहती है। **परिशिष्ट-50**

3.18.5 एकतालक कक्ष के स्टाम्पों का भौतिक सत्यापन न किया जाना: उ0प्र0 सरकार के आदेश सं0 प्रथम-4-1949 दस-2009 दिनांक 26-11-2009 के अनुसार सभी मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी स्टाम्पों का भौतिक सत्यापन अवश्य करें। स्टाम्प मैनुअल के प्रस्तर-86 के अनुसार भण्डार के प्रभारी अधिकारी कोषाध्यक्ष को कोई सूचना दिये बिना नियमित अन्तराल पर माह में 4 बार पदेन विक्रेता के पास के स्टाम्पों के अतिशेष को सत्यापित करेगा। इस सत्यापन के परिणाम स्वरूप वह सत्यापन किये जाने के समय पदेन विक्रेता के पास के स्टाम्पों के अतिशेष के विरुद्ध जॉच की गयी या सत्यापित किया गया शब्द को लिखेगा तथा प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर तिथि का उल्लेख करेगा। निरीक्षण के दौरान नमूना जॉच में पाया गया कि 34 कोषागारों व 80 उपकोषागारों में सिंगल लाक के स्टाम्पों का सत्यापन नहीं किया गया, सत्यापन न किये जाने के कारण स्टाम्पों का दुरुपयोग होने की पूरी सम्भावना रहती है। **परिशिष्ट-51**

3.18.6 द्वितालक से निर्गमन एवं एक तालक कक्ष में प्राप्ति का मिलान न हो पाना:

द्वितालक कक्ष से आवश्यकतानुसार सभी श्रेणी के स्टाम्पों का निर्गमन कर पहले एक तालक कक्ष की स्टाम्प पंजिका में प्राप्ति दर्शाया जाता है तत्पश्चात् एक तालक से बिक्री रजिस्टर में ले जाया जाता है तथा एक तालक कक्ष की स्टाम्प पंजिका में तिथिवार आदि शेष, एक तालक कक्ष में प्राप्ति, बिक्री तथा बैलेन्स, एक तालक स्टाम्प पंजिका में दर्शाया जाता है। इस अवशेष व बिक्री रजिस्टर में दर्ज बिक्री को मिलाकर ही द्वितालक कक्ष की प्रविष्टि के सत्यापन व रोकड़ बही/बैंक के नगद जमा का चालान आदि का मिलान किया जाता है, जिससे नगद जमा की सत्यता प्रमाणित की जा सके। कोषागार अलीगढ़ के निरीक्षण में पाया गया कि द्वितालक कक्ष से निर्गमन व एकतालक में प्राप्ति की प्रविष्टियों के अनुसार द्वितालक कक्ष से विभिन्न श्रेणी के स्टाम्पों का निर्गमन एक तालक कक्ष को किया गया अंकित है। लेकिन उन्हें एकतालक कक्ष की स्टाम्प पंजिका में ₹ 5.46 करोड़ प्राप्ति में नहीं किया गया है।

3.18.7 निष्प्रयोज्य स्टाम्पों के विनिष्टीकरण की कार्यवाही न किया जाना।

वित्त सेवायें अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 एस-3-999/दस-2011-134(8)/2011, लखनऊ दि0 5-9-2011 के अनुसार अप्रचलित एवं निष्प्रयोज्य स्टाम्पों के विनिष्टीकरण की कार्यवाही किया जाना चाहिये एवं खजानों के लिये लेखा नियमावली, 1992 के नियम-93 के अनुसार निष्प्रयोज्य एवं अप्रचलित स्टाम्पों का विधिवत् विनिष्टीकरण की कार्यवाही के उपरान्त उस धनराशि को धन व ऋण ज्ञापन में घटाया जाना चाहिये। निरीक्षण के दौरान नमूना जॉच में पाया गया कि 26 कोषागारों एवं 2 उपकोषागारों में उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। **परिशिष्ट-52**

3.19 भूतपूर्व विधायक से वाहन अग्रिम पर देय ब्याज की वसूली शेष रहना।

₹ 42524 की वसूली न किया जाना:—कोषागार के पेंशन प्राप्त कर रहे भूतपूर्व विधायकों के पेंशन पत्रावली के जॉच में यह पाया गया कि 3 कोषागारों में वाहन अग्रिम पर देय ब्याज की धनराशि ₹ 42524 की कटौती शेष है। **परिशिष्ट-53**

3.20 कोषागार पर भुगतान प्राधिकृत करने वाले अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर को कम्प्यूटर में सुरक्षित न किया जाना:

निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 5065 दिनांक 26-03-12 के द्वारा सभी वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारियों को यह सूचित किया गया था कि निदेशालय द्वारा पी0सी0 कम्प्यूटर, स्कैनर एवं प्रिन्टर उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा कोषागारों में हस्ताक्षर का विषेश महत्व है। आहरण वितरण अधिकारियों, बजट आवंटन करने वाले अधिकारियों, महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों और पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के नमूनों के हस्ताक्षर से मिलान कर बिल/पेंशन का भुगतान

किया जाता है तथा सभी कोषाधिकारी इस महत्व को समझते हैं। निरीक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि 13 कोषागारों में उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। **परिशिष्ट-54**

3.21 अप्रस्तुत अभिलेख:-

निम्नलिखित पेंशनरों की पत्रावली निरीक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराया गया जिसका विवरण निम्न है-

तालिका-3.8

क्र०सं०	नाम	GRD Number	CAT.
1	रत्नेश	51 C 01-Z-00	C01
2	हर्षित	51 C 01-Z-00	C01
3	नितेश	51 C 01-Z-00	C01
4	महादेव	62 C1-S-597	C01
5	शितला	52 C1-S-597	C01
6	प्यारे	62 C1-S-672	C01
7	रामआसरे	62 C1-S-672	C01
8	रामएम०	51 C1-S-875	C01
9	राम एम०	51 C1-S-875	C01
10	चन्द्र दीप	51 C1-S-877	C01
11	चन्द्र दीप	51 C1-S-877	C01
12	सुरेश	62 E1-S-262	E01
13	राम औतार	62 E1-S-262	E01
14	श्रीमती एस एम	62 E1-S-262	E01
15	सुखलाल	63 E11-S-029	E11
16	राज किशोर	63 E11-S-029	E11

*_*_*

भाग-4

सूचना प्रौद्योगिकि सम्बन्धी अनियमितताएं:-

4.1 उत्तर प्रदेश में कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण।

उत्तर प्रदेश में कोषागार कम्प्यूटरीकरण प्रणाली मैन्युअल प्रणाली की कमियों को दूर करने एवं बेहतर बजटीय नियंत्रण प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1985-86 में लागू किया गया था। कम्प्यूटरीकरण प्रणाली के क्रियान्वयन एवं संचालन की प्रभावशीलता के आकलन हेतु कार्यालय कोषागार निदेशक का सूचना प्रौद्योगिकी निरीक्षण प्रारम्भ किया गया था।

मुख्य बिन्दु

- उपयोगकर्ता आवश्यकता विनिर्देश (यू०आर०एस०), प्रणाली आवश्यकता विनिर्देश (एस०आर०एस०) एवं प्रणाली विकास योजना (एस०डी०डी०) का अभाव
- सामान्य नियंत्रण (General control) का अभाव
- अनुप्रयोग नियंत्रण (Application control) का अभाव
 - अपूर्ण मास्टर फाइल
 - वेतन एवं पेंशन अनुप्रयोग की मास्टर फाइल में अभिलेखों की डुप्लीकेसी
 - अभिलेखों के मान्यकरण का अभाव

कम्प्यूटरीकरण का उद्देश्य

शासन के मानवीय भूल की घटनाओं को कम करने, बेहतर बजटीय नियंत्रण स्थापित करने, लेखा की स्वच्छ एवं पठनीय प्रतियाँ तैयार करने तथा उपलब्ध निधि के प्रयोग की स्थिति एवं धन के व्यय से संबन्धित वास्तविक समय की स्थिति प्राप्त करने के लिए (1985-86) कोषागारों के संचालन को कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम (UPDESCO) द्वारा प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत तीन कोषागारों में Dbase सॉफ्टवेयर के प्रयोग से यह प्रक्रिया (1985-86) प्रारम्भ की थी। जैसा कि उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम वांछित परिणाम प्राप्त करने में असफल रहा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को fox-Plus आधारित एप्लिकेशन का प्रयोग करते हुये कम्प्यूटरीकरण का कार्य (1994-95) सौंपा गया। सभी जिला कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण वर्ष 1999-2000 तक पूरा किया गया। अगस्त 2001 में fox-plus एप्लिकेशन को linux प्लेटफॉर्म पर Oracle आधारित एप्लिकेशन द्वारा स्थानांतरित किया गया।

एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर, विकास एवं क्रियान्वयन स्थापित करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का था। कोषागारों को Xeon सर्वर, बैकअप सर्वर, लाइन मैट्रिक्स प्रिन्टर, यू०पी०एस०, जनरेटर तथा डब टर्मिनल उपलब्ध कराये गए। वर्ष 2006-07 के दौरान कोषागारों में कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर 'एकीकृत ट्रेजरी सिस्टम एप्लिकेशन' (ITSANIC) वर्जन-5.3 था।

सूचना प्रौद्योगिकी की निरीक्षण के उद्देश्य

कार्यालय कोषागार निदेशक, उ०प्र० का निरीक्षण कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम की कार्य क्षमता, मितव्ययता एवं प्रभावशीलता के आकलन के उद्देश्य से किया जाता है। इस विषयवस्तु को आगे निम्नलिखित उद्देश्यों में विभाजित किया गया है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या:-

- प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन प्रभावशील था।
- सॉफ्टवेयर की नियंत्रण सुविधाएं पर्याप्त थीं।
- व्यापार निरंतरता योजना (BCP)/आपदा प्रबंधन योजना प्रभावशाली थी।
- वस्तु स्तर तक बजटीय नियंत्रण प्रभावशाली था, तथा
- सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण में व्यापार नियमों का खाका तैयार करने का अनुपालन किया गया।
- निधि के आवंटन के अंतर्गत ही बिलों का पास किया जाना सुनिश्चित करना
- कोषागारों में निधि की अनुचित/आवश्यकता से अधिक निकासी से बचना।
- आवश्यकता पड़ने पर आवंटन के खिलाफ व्यय की प्रगति की निगरानी करना।
- कोषागार में प्राप्त बिलों एवं दावों का त्वरित निपटान करना।

निरीक्षण एवं कार्य प्रणाली का विस्तार

कोषागार निदेशालय, लखनऊ द्वारा इस कार्यालय को हस्तगत करायी गयी साफ्टकापी (सीडी) में इम्प्लाई मास्टर व उससे सम्बन्धित चयनित माह की ट्रॉन्जेक्शन (09/2019, 10/2019 व 02/2020) फाइल एवं पेंशन से सम्बन्धित फाइलों में पेंशन मास्टर, पेंशन ट्रॉन्जेक्शन माह (02/20,9/19) की फाइलें हैं। इन फाइलों में उपलब्ध डाटा के आधार उसका विश्लेषण कम्प्यूटर सहायक लेखापरीक्षा तकनीक (CAAT) पर किया गया ।

4.2 सामान्य नियंत्रण ।

सामान्य नियंत्रण ऐसे वातावरण की रचना करता है जिसमें सूचना प्रणाली एवं संबन्धित नियंत्रण कार्य करते हैं। यदि सामान्य नियंत्रण कमजोर है, अन्य प्रणाली नियंत्रणों की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है। सामान्य नियंत्रणों को प्रणाली की प्रभावशीलता अथवा सुरक्षा, कार्यक्षमता पर प्रभाव के आंकलन हेतु जांचा गया था। सामान्य नियंत्रण में निम्न बिन्दु शामिल हैं।

- संगठन एवं प्रबन्धन नियंत्रण (organizational and management controls-IT Policy and standards)
- आईटी संचालन नियंत्रण (IT operational controls for monitoring and controlling the IT services and underlying infrastructure)
- भौतिक नियंत्रण (Physical controls)
- लाजिकल एक्सेस कंट्रोल (Logical access control)
- प्रोग्राम एवं खरीदने की क्रिया से सम्बन्धित चेंज कंट्रोल (Acquisition and programme change controls)
- व्यापार निरंतरता और आपदा बचाव नियंत्रण (Business continuity and disaster recovery control)

4.2.1 कोई भी सुरक्षा नीति का न पाया जाना।

विगत निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया था कि सामान्य नियंत्रण के निरीक्षण के समय यह पता चला कि सुरक्षा नीति का कोई भी तकनीकी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं अतः प्रणाली जटिल होने की स्थिति में तथा नेटवर्क की भौतिक पर्ट में किसी समस्या की स्थिति में प्रणाली अनुपलब्धता का जोखिम रहेगा तब यह पता करना कठिन होगा कि त्रुटि कहाँ पर हुई है।

4.2.2 सूचना सुरक्षा

सूचना प्रणाली सुरक्षा को प्रणाली इसलिए बनाया जाता है जिससे कि एप्लिकेशन सुगमता से संचालित की जा सके तथा संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। सूचना सुरक्षा का उद्देश्य है “सूचना प्रणालियों, सम्प्रेषण जो सूचना प्रेषित करते हैं तथा वे जो सूचना पर आश्रित उनके हितों की उपलब्धता, गोपनीयता तथा प्रमाणिकता की विफलता तथा नुकसानदेह परिणामों से संरक्षण करना”।

कोषागार निरीक्षण के समय निम्नलिखित बिन्दु प्रकाश में आये:-

- सूचना सुरक्षा के नियंत्रण का अभाव ।
- कम्प्यूटिंग वातावरण की गैर-जागरूकता ।
- भौतिक सुरक्षा ।
- नेटवर्क सुरक्षा ।

1. सूचना प्रणाली सुरक्षा के उपाय

सूचना प्रणाली सुरक्षा को प्रणाली में उपयोगकर्ताओं की पहुँच की निगरानी, प्रतिबंध, नियंत्रण एवं जानकारी रखने के लिए बनाया जाता है। हालांकि, प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा विशेषताएँ अपर्याप्त थीं जैसे कि नीचे वर्णित है।

पूरे लेन-देन में कोई भी सूचना सुरक्षा नीति मैनुअल नहीं था। इस प्रकार सूचना सुरक्षा नीति के अभाव में इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। प्रत्येक सरकारी विभाग द्वारा इन्फार्मेशन सिक्योरिटी पालसी मैनुअल के अनुसार प्रत्येक लेन-देन के लिये आदि से अन्त तक सिक्योरिटी पालसी मैनुअल का पालन किया जाना चाहिये। परन्तु किसी भी कोषागार द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है।

2. सूचना सुरक्षा नियंत्रण

यह पूछे जाने पर कि क्या परियोजना पर कार्य करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सूचना गोपनीयता एवं सूचना सुरक्षा से संबन्धित अपने दायित्वों के बारे में जागरूक है, क्या विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम अटैक एवं सुरक्षित साइबर प्रेक्टिस के लिये कोषागार के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस पर 33 कोषागारों द्वारा उत्तर दिया गया कि इससे सम्बन्धित कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है। सूची परिशिष्ट 55 पर संलग्न है।

3. कम्प्यूटिंग वातावरण

कम्प्यूटिंग वातावरण से संबंधित प्रश्न अर्थात क्या सभी कार्यस्थल पर हार्डवेयर एवं संबंधित परिधीय उपकरणों पर विशिष्ट संपत्ति पहचान कोड अंकित है। विशिष्ट संपत्ति पहचान कोड एक परिभाषित नामकरण परंपरा का पालन करता है जो विशिष्ट एवं उचित रूप से संपत्ति की पहचान करता है। इस पर 26 कोषागारों द्वारा उत्तर दिया गया कि विशिष्ट पहचान आवंटित नहीं की गयी है। सूची **परिशिष्ट 56** पर संलग्न है।

कोषागार निरीक्षण दल द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या कोषागार कार्मिकों द्वारा प्रयुक्त सभी लैपटॉप/डेस्कटॉप से यू०एस०बी० पोर्ट निष्क्रिय किए जाते हैं जिससे कि पेन ड्राइव एवं बाह्य डिस्क ड्राइव इत्यादि के प्रयोग को रोका जा सके, इस पर 32 कोषागारों द्वारा उत्तर दिया गया कि यू०एस०बी० पोर्ट निष्क्रिय नहीं किये गये हैं। सूची **परिशिष्ट 57** पर संलग्न है।

कोषागार स्तर पर साफ्टवेयर इनवेन्टरी तैयार की गयी है जिससे यह ज्ञात हो सके कि साफ्टवेयर लाइसेन्स की वैधता की तिथि क्या है। परन्तु 29 कोषागारों द्वारा साफ्टवेयर इनवेन्टरी तैयार नहीं की गयी है। सूची **परिशिष्ट 58** पर संलग्न है।

कोषागार के जिन कम्प्यूटर पर इन्टरनेट का प्रयोग किया जाता है उनमें से सोशल साइट एक्सेस को बन्द कर दिया जाना चाहिये, परन्तु 26 कोषागारों द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही नहीं की गयी है। सूची **परिशिष्ट—59** पर संलग्न है।

4. भौतिक सुरक्षा

कोषागार निरीक्षण के समय यह पूछा गया कि क्या कोषागार में हार्ड वेयर और साफ्टवेयर की इनवेन्टरी तैयार की गयी है। इस सम्बन्ध में 21 कोषागार द्वारा उत्तर दिया गया कि कोषागार द्वारा कोई इनवेन्टरी तैयार नहीं की गयी है। सूची **परिशिष्ट 60** पर संलग्न है।

कोषागारों में निरीक्षण के समय 29 कोषागारों में कम्प्यूटर एवं थिनक्लाइन खराब पाये गये जबकि इन खराब थिनक्लाइन एवं कम्प्यूटरों की मरम्मत कर प्रयोग में लाया जाना चाहिये। सूची **परिशिष्ट 61** पर संलग्न है।

5. नेटवर्क सुरक्षा

कोषागार निरीक्षण में नेटवर्क सुरक्षा से सम्बन्धित नेटवर्क डिवाइस इनवेन्टरी बनाये जाने के सम्बन्ध में पूछे जाने पर 21 कोषागारों द्वारा उत्तर दिया गया कि नेटवर्क डिवाइस इनवेन्टरी तैयार नहीं की गयी है एवं विभिन्न कोषागारों में अनुपयोगी नेटवर्क प्वाइन्ट पाये गये। सूची **परिशिष्ट 62** पर संलग्न है।

4.3 अनुप्रयोग नियंत्रण

इनपुट नियंत्रण प्रणाली में भरे गए आंकड़ों की पूर्णता, शुद्धता एवं सटीकता को सुनिश्चित करता है। अनुप्रयोग नियंत्रण में निम्नलिखित बिन्दु शामिल हैं।

- इनपुट ट्रॉन्जेक्शन पर नियंत्रण।
- प्रोसेसिंग पर नियंत्रण।
- आउटपुट पर नियंत्रण।

कोषागार निदेशालय, लखनऊ के आई०टी०आडिट के दौरान पायी गयी विसंगतियाँ।

कोषागार निदेशालय, लखनऊ द्वारा इस कार्यालय को हस्तगत करायी गयी साफ्टकापी (सीडी) में इम्प्लाय मास्टर व उससे सम्बन्धित चयनित माह की ट्रॉन्जेक्शन (02/2020, 09/2019, व 10/2019) फाइल है। इन फाइलों में उपलब्ध डाटा के आधार उसका विश्लेषण करने पर निम्नलिखित कमियाँ प्रकाश में आयी है—

4.3.1 इम्प्लाय की ट्रॉन्जेक्शन फाइल में पायी गयी विसंगतियों के सम्बन्ध में।

कोषागार निदेशालय से प्राप्त ट्रॉन्जेक्शन फाइल से सम्बन्धित डेटा का विश्लेषण करने पर पाया गया कि—

1. समान बेनीफिशियरी आई०डी० पर एक ही माह में एक से अधिक बार समान धनराशि क्रेडिट होना।

निम्नलिखित माहों में समान बेनीफिशियरी आई०डी० पर एक ही माह में एक से अधिक बार समान धनराशि क्रेडिट पायी गयी है।

- माह फरवरी 2020 की ट्रॉन्जेक्शन फाइल में कुल 1038260 रिकार्ड हैं, जिसमें बेनीफिशियरी आई०डी० यूनिक फील्ड है। माह फरवरी—2020 की फाइल का विश्लेषण करने पर पाया गया कि ट्रॉन्जेक्शन फाइल में 118983 रिकार्ड में बेनीफिशियरी आई०डी० एवं क्रेडिट की धनराशि समान है। समान बेनीफिशियरी आई०डी० पर एक ही माह में एक जैसी ही एक से अधिक क्रेडिट की गई धनराशि का कुल योग 4335933892 है यह धनराशियाँ किस मद से सम्बन्धित हैं, स्पष्ट नहीं है। इसके कुछ उदाहरण निम्नवत् हैं:—

तालिका-4.1

रिकार्ड सं०	बेनीफिशियरी आई०डी०	कोषागार	नाम	क्रेडिट धनराशि
14	0200215118872	9100	Sourabh 2039 cp	31232
15	0200215118872	9100	Sourabh 2039 cp	31232
21297	110043165268	4600	Shri Asutosh dixit	36802
21298	110043165268	4600	Shri Ashutosh dixit	36802
45309	110123179416	6600	Vinay kumar	34094
45310	110123179416	6600	Vinay kumar	34094

- माह सितम्बर 2019 की ट्रॉन्जेक्शन फाइल में कुल 794790 रिकार्ड हैं जिसमें बेनीफिशियरी आई०डी० का कालम यूनिक फील्ड है। सितम्बर 2019 की फाइल का विश्लेषण करने पर पाया गया कि ट्रॉन्जेक्शन फाइल में 794790 रिकार्ड में से 140 रिकार्ड की बेनीफिशियरी आई०डी० और उनके सम्मुख अंकित क्रेडिट एमाउन्ट फील्ड की धनराशि समान है। समान बेनीफिशियरी आई०डी० पर एक ही माह में एक जैसी ही एक से अधिक क्रेडिट की गई धनराशि का कुल योग 4691132/- है, यह धनराशियां किस मद से सम्बन्धित हैं, स्पष्ट नहीं है। कुछ उदाहरण निम्नवत् हैं:-

तालिका-4.2

रिकार्ड सं०	बेनीफिशियरी आई०डी०	कोषागार	नाम	क्रेडिट धनराशि
25	110082292766	8400	Kuldip kumar shakya	40125
26	110082292766	5000	Kuldip kumar shakya	40125
75	AGU-44334	8400	Anil kumar katiyar	52174
76	AGU-44334	5000	Anil kumar katiyar	52174
101	AGU-61453	6200	Ram naresh sharma	40372
102	AGU-61453	7900	Ram naresh sharma	40372

माह अक्टूबर 2019 की ट्रॉन्जेक्शन फाइल में कुल 796203 रिकार्ड हैं जिसमें बेनीफिशियरी आई०डी० का कालम यूनिक फील्ड है। सितम्बर 2019 की फाइल का विश्लेषण करने पर पाया गया कि ट्रॉन्जेक्शन फाइल में 796203 रिकार्ड में से 84 रिकार्ड की बेनीफिशियरी आई०डी० और उनके सम्मुख अंकित क्रेडिट धनराशि की फील्ड की धनराशि समान है। समान बेनीफिशियरी आई०डी० पर एक ही माह में एक जैसी ही एक से अधिक क्रेडिट की गई धनराशि का कुल योग 2971122 रु० है यह किस मद से सम्बन्धित हैं स्पष्ट नहीं है। कुछ उदाहरण निम्नवत् हैं:-

तालिका-4.3

रिकार्ड सं०	बेनीफिशियरी आई०डी०	कोषागार	नाम	क्रेडिट धनराशि
11	110051979374	6200	Purushotam das Mishra	34794
12	110051979374	7900	Purushotam das Mishra	34794
39	6208589219863	6200	Mr suresh Chandra	41114
40	6208589219863	7900	Mr suresh Chandra	41114
85	INDU-6798	0200	Virander singh tomar	59348
86	INDU-6798	0200	Virander singh tomar	59348

2. ट्रॉन्जेक्शन फाइल का मिलान इम्प्लॉई मास्टर से करने पर मास्टर में रिकार्ड का न पाया जाना।

इम्प्लॉई मास्टर के अन्तर्गत प्रदेश में कार्यरत सभी कर्मचारियों/अधिकारियों का डाटा होता है। जिसके आधार पर प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या ज्ञात होती है। तदनुसार इन्हीं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान किया जाता है इम्प्लॉई मास्टर में EMP_Code एक यूनिक फील्ड है।

साफ्टवेयर पर इम्प्लॉई मास्टर की टेबल के इम्प्लॉई कोड को ट्रॉन्जेक्शन से सम्बन्धित फाइलों की टेबल की फील्ड Beneficiary_Id को ज्वाइन कराने से प्राप्त ऑकड़ों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि-

- माह फरवरी 2020 की ट्रॉन्जेक्शन फाइल के 1038260 रिकार्ड में से 103282 रिकार्ड की Beneficiary_Id का मिलान इम्प्लॉई मास्टर टेबल की EMP_Code फील्ड से नहीं हुआ। उपरोक्त कर्मचारियों को भुगतानित की गयी धनराशि कुल रु० 4610002304/- हैं।
- इम्प्लॉई मास्टर से भिन्न प्राप्त रिकार्ड 103282 की Beneficiary_Id को मास्टर टेबल की फील्ड PMP_Code से मैच कराने पर कुल 85425 रिकार्ड मास्टर से भिन्न पाये गये। इन कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट धनराशि कुल रु० 4051503890/- हैं।
- माह सितम्बर 2019 की ट्रॉन्जेक्शन फाइल में कुल 794790 रिकार्ड में से 40673 रिकार्ड की Beneficiary_Id का मिलान इम्प्लॉई मास्टर टेबल की EMP_Code फील्ड से नहीं हुआ। इन रिकार्ड के सापेक्ष क्रेडिट एमाउन्ट फील्ड में कुल रु० 1423454137/- की धनराशि है।

इम्प्लाय मास्टर से भिन्न प्राप्त 40673 रिकार्ड की Beneficiary_Id को इम्प्लाय मास्टर की टेबल के PMP_Code फील्ड से मिलान कराने पर 7263 रिकार्ड का मिलान मास्टर से नहीं हुआ जिनके सापेक्ष ट्रॉन्जेक्शन फाइल के क्रेडिट एमाउन्ट कालम में कुल 363708702/- रू० की धनराशि पायी गयी।

- अक्टूबर माह की ट्रॉन्जेक्शन फाइल में कुल 796203 रिकार्ड में से 37120 रिकार्ड की Beneficiary_Id का मिलान इम्प्लाय मास्टर टेबल की EMP_Code फील्ड से नहीं हुआ। इन रिकार्ड के सापेक्ष क्रेडिट एमाउन्ट फील्ड में कुल रू० 1361498517/- की धनराशि है।

इम्प्लाय मास्टर से भिन्न प्राप्त 37121 रिकार्ड की Beneficiary_Id को इम्प्लाय मास्टर की टेबल के PMP_Code फील्ड से मिलान कराने पर 6647 रिकार्ड का मिलान मास्टर से नहीं हुआ जिनके सापेक्ष ट्रॉन्जेक्शन फाइल के क्रेडिट एमाउन्ट कालम में कुल 346110270/- रू० की धनराशि पायी गयी।

मास्टर में रिकार्ड मैच न होने का अर्थ है कि रिकार्ड इम्प्लाय मास्टर में दर्ज नहीं है फिर भी उनका भुगतान किया गया।

3. एक ही Beneficiary_Id पर सितम्बर 2019, अक्टूबर 2019, फरवरी 2020 माह की ट्रॉन्जेक्शन फाइल में एक से अधिक भुगतान प्रदर्शित होना।

माह सितम्बर 2019 एवं माह अक्टूबर 2019 माह फरवरी 2020, की ट्रॉन्जेक्शन फाइल में Beneficiary_Id एक यूनिक फील्ड है। डेटा विश्लेषण में पाया गया कि एक ही Beneficiary_Id पर तीनों माह में समान धनराशि एक से अधिक बार ट्रॉन्जेक्शन फाइल के Credit_Amt फील्ड में अंकित है।

(Credit_Amt) फील्ड में प्रदर्शित धनराशि किस मद से सम्बन्धित है। यह स्पष्ट नहीं है। एक ही Beneficiary_Id पर तीनों माह में एक से अधिक भुगतान के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:-

तालिका-4.4

बेनीफिशियरी आईडी0 फरवरी 20	बेनीफिशियरी आईडी0 सितम्बर 19	बेनीफिशियरी आईडी0 अक्टूबर 19
110007491809	110007491809	110007491809
110011979376	110011979376	110011979376
110047491810	110047491810	110047491810
110051979374	110051979374	110051979374
110053331067	110053331067	110053331067
110183313787	110183313787	110183313787
62085903460	62085903460	62085903460

4.3.2 इम्प्लाय मास्टर में पायी गयी विसंगतियों के सम्बन्ध में

इम्प्लाय मास्टर की फाइल कम्प्यूटर सहायक लेखापरीक्षा तकनीक में इम्पोर्ट करने पर पाया गया कि इसकी 46 फील्ड में 938770 रिकार्ड हैं, इन रिकार्ड में —

1. डुप्लीकेट इम्प्लाय कोड (EMP_code) पाया जाना।

इम्प्लाय मास्टर में इम्प्लाय कोड यूनिक होता है डेटा विश्लेषण में पाया गया कि 8 रिकार्ड के इम्प्लाय कोड डुप्लीकेट हैं यूनिक फील्ड में डुप्लीकेट EMP_code कोड की इन्ट्री होने से एक व्यक्ति के मास्टर में दो बार होने या अन्य किसी फर्जी रिकार्ड की इन्ट्री किये जाने की संभावना से से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:-

तालिका-4.5

कोषागार	इम्प्लाय कोड	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम
1100	PLANU-13930	Kiran toliya	Harish singh
1100	PLANU-13930	Smt Kiran toliya	Harish singh

फरवरी माह की ट्रॉन्जेक्शन फाइल में Smt Kiran toliya को तीन बार टोकन नं० 1141520269, 1141520271, 1141520267, के माध्यम से रू० 8772/- एवं Kiran toliya को टोकन नं० 1120052380 के माध्यम से रू० 8547/- क्रेडिट प्रदर्शित हैं।

मास्टर में दो बार इंट्री एवं फरवरी माह में अलग-अलग नाम से दो बार भुगतान प्रदर्शित है जो कि स्पष्ट नहीं है।

2. एक ही PEMP_code का आवंटन एक से अधिक बार किया जाना।

इम्प्लाय मास्टर में PEMP_code एक यूनिक नम्बर होता है डेटा विश्लेषण में पाया गया कि 3547 रिकार्ड में से 37 में (.)ए 10 में शून्य एवं अन्य में डुप्लीकेट रिकार्ड पाये गये समान PEMP कोड पाये जाने का अर्थ है कि मास्टर में वैलिडेशन चेक नहीं लगाया गया है यूनिक फील्ड में डुप्लीकेट PEMP_code कोड की इन्ट्री होने से एक व्यक्ति के मास्टर में दो बार होने या अन्य किसी गलत रिकार्ड की इन्ट्री किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता अलग-अलग

emp_code पर एक ही PEMP कोड एक से अधिक व्यक्ति को आवंटित होने किये जाने का कारण स्पष्ट नहीं है। इसके कुछ उदाहरण निम्नवत् है:-

तालिका-4.6

रिकार्ड सं०	EMP कोड	PEMP कोड	नाम
1850	IRRIU-77674	IRRIU-76679	NARENDRA SINGH
1851	IRRIU-76679	IRRIU-76679	RAM PRAKASH SRIVASTAV
2425	MEDU-58900	MEDU-58906	KM. SHOBHA RANI
2426	MEDU-58906	MEDU-58906	DR SATYEN RAI

3. इम्प्लॉई मास्टर में सामान बैंक खाते एक से अधिक व्यक्ति के सापेक्ष दर्ज होना।

एक बैंक कोड पर एक ही एकाउन्ट एक व्यक्ति को आवंटित किया जाता है। इम्प्लॉई मास्टर से प्राप्त 32761 रिकार्ड में से 944 रिकार्ड में रिक्त स्थान/शून्य एवं शेष रिकार्ड के सापेक्ष एक से अधिक कर्मचारियों के एक जैसे ही एकाउन्ट नम्बर के साथ एक ही नाम के डुप्लीकेट रिकार्ड पाये गये हैं। जिन कर्मचारियों के खाता संख्या के सापेक्ष शून्य/रिक्त अंकित है उन कर्मचारियों का वेतन किस आधार पर उनको दिया जाता है।

संलग्न फाइल में एक ही नाम अथवा एकाउन्ट नम्बर पर अलग-अलग इम्प्लॉई कोड के रिकार्ड पाये गये। अलग-अलग इम्प्लॉई कोड पर एक ही नाम एवं एकाउन्ट नम्बर होने से एक ही व्यक्ति के इम्प्लॉई मास्टर में दो बार होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके कुछ उदाहरण निम्नवत् है:-

तालिका-4.7

रिकार्ड सं०	इम्प्लॉई कोड	नाम	पिता का नाम	खाता संख्या
4292	130028978659	NARENDRA KUMAR SINGH	DHARA SINGH	11047366914
4293	0700289393739	NARENDRA KUMAR	MAHESH	11047366914
4300	PU-146590	MANOJ KUMAR SHARMA	RAJ PAL SHARMA	11047368796
4301	0300283362896	MANOJ KUMAR SHARMA	LALLU	11047368796
4286	7600289193635	NARESH KUMAR	RANGI DASS	11047363323
4287	7600282230036	VINOD	SH. DHIRAJ SINGH	11047363323

4. इम्प्लॉई मास्टर में एक ही नाम, जन्म तिथि एवं एकाउन्ट नं० के कर्मचारियों का पाया जाना।

डेटा विश्लेषण में पाया गया कि 8229 रिकार्ड के सापेक्ष उनके नाम, उनकी जन्म-तिथि एवं एकाउन्ट नं० एक जैसे पाये गये हैं अलग-अलग इम्प्लॉई कोड के सापेक्ष कर्मचारियों के उक्त डेटा के डुप्लीकेट पाये जाने से गलत भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। एक ही नाम जन्म-तिथि एवं खाता संख्या पर अलग-अलग इम्प्लॉई कोड किस आधार पर जारी किये गये हैं स्पष्ट नहीं है कुछ उदाहरण निम्नलिखित है:-

तालिका-4.8

कोषागार	इम्प्लॉई कोड	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	जन्म-तिथि	खाता संख्या
0700	07002826224	143 Susil Kumar	Totaram	01जनवरी62	10661008312
0700	070028270620	143 Susil Kumar	Totaram	01जनवरी62	10661008312
0700	07002827330	152 Rajan Lal	Lal singh	10नवम्बर62	10908596869
0700	070028269289	152 Rajan Lal	Lal singh	10नवम्बर 62	10908596869

5. मास्टर में कर्मचारियों के स्थान पर किसी कम्पनी का नाम दर्ज होना।

इम्प्लॉई मास्टर में कर्मचारियों का विवरण दर्ज किया जाता है इम्प्लॉई मास्टर के विश्लेषण में पाया गया कि कर्मचारियों के साथ-साथ मास्टर में कम्पनी के नाम भी अंकित हैं दोनों कम्पनियों के खाता सं० एवं इम्प्लॉई कोड समान है जबकि नाम अलग-अलग है मास्टर में कम्पनियों का नाम किस आधार पर दर्ज किया गया है स्पष्ट नहीं है। उदाहरण निम्नलिखित है:-

तालिका-4.9

क्र०सं०	कोषागार	इम्प्लॉई कोड	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	खाता संख्या
956	0700	0700295527691	GDS ENTERPRISES	anone	0070200000521
957	0700	0700295527591	7 THE KANGRA CO 29	anone	0070200000521

कम्पनी की जन्म-तिथि कार्य भार ग्रहण करने की तिथि वैवाहिक स्थिति इत्यादि सभी कालम पूर्ण किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि मास्टर में गलत अंकन किये जाने की पूर्ण सम्भावना है। मास्टर में डुप्लीकेट रिकार्ड अंकन किये जाने विषयक चेक लगाये जाने की आवश्यकता है।

6. 18 वर्ष से कम उम्र के कर्मचारियों की तैनाती के सम्बन्ध में।

किसी शासकीय कर्मचारियों की सेवा ग्रहण करने की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये। डेटा विश्लेषण में पाया गया कि कि संलग्न फाइल में दिए गये रिकार्ड्स के सापेक्ष कर्मचारियों की सेवा ग्रहण करने की उम्र 18 वर्ष से कम है। यदि कर्मचारियों द्वारा ब्यायज सर्विस (boys service) के रूप में सेवा ग्रहण की गयी है तो इस सम्बन्ध में साफ्टवेयर में कोई विवरण दर्ज नहीं है।

तालिका-4.10

रिकार्ड संख्या	इम्प्लॉई कोड	नाम	जन्म तिथि	सेवा ग्रहण करने की तिथि	तैनाती के समय आयु
1	PHU-53040	Ku vijay laxmi	01-JUL-61	01-JAN-77	15 वर्ष 6 माह
4	PU-148669	Shishu pal singh	01-AUG-60	01-JAN-77	16वर्ष 6 माह

7. AGGPF_Emp कालम में सा0भ0नि0 स्थिति "Y/N" अंकित न होना।

इस कालम में AGGPF_Emp सा0भ0नि0 स्थिति "Y/N" अंकित होना चाहिये जबकि 5721 रिकार्ड में कोई भी स्थिति (Y/N) अंकित नहीं पायी गयी है। कर्मचारी के सा0भ0नि0 अभिदाता होने की दशा में स्थिति "Y" अन्यथा "N" अंकित किया जाना अपेक्षित था जो कि नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि इनकी जी0पी0एफ0 कटौती की जा रही है या नहीं। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:-

तालिका-4.11

रिकार्ड स.	इम्प्लॉई कोड	कर्मचारी का नाम	AGGPF Status
17	7403716258884	Shasi bhusan kumar	
853	Medu-60971	Shri avadh kumar	
1721	03002117205	Shri mohan	

8. कर्मचारियों की जन्म तिथि (D_O_B) अंकित न किया जाना।

इम्प्लॉई मास्टर की फाइल में 825 रिकार्ड के सापेक्ष उनकी जन्म तिथि अंकित नहीं है। जन्म तिथि दर्ज न होने से उनकी तैनाती के समय उम्र का सत्यापन नहीं किया जा सकता और सेवा निवृत्ति तिथि, जो कि स्वतः आगणित होती है वह किस प्रकार होगी। जन्म-तिथि अनिवार्य रूप से मास्टर में भरी जानी चाहिये। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:-

तालिका-4.12

रिकार्ड सं0	इम्प्लॉई कोड	कर्मचारी का नाम	D_O_B
3	RVU-42725	Guru vachan yadav	
12	51080093998	Rakesh verma	
54	230487515256	Kisan lal	
158	21047972559	Phool singh	-----

यह भी देखा गया है कि सेवानिवृत्ति की तिथि अंकित है लेकिन रिकार्ड सं0 202,268,270,806,807,821 एवं 822 में जन्म तिथि शून्य है।

9. कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति (D_O_R) की तिथि अंकित न होना।

इम्प्लॉई मास्टर की फाइल में 901 रिकार्ड के सापेक्ष कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि दर्ज नहीं है। सेवा निवृत्ति की तिथि अंकित न होने से उनके पेंशन के अभिलेख तैयार करने में विलम्ब हो सकता है और सेवा निवृत्ति के बाद भुगतान की संभावना बनी रहती है। सेवा निवृत्ति की तिथि मास्टर में भरी जानी चाहिये। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:-

तालिका-4.13

रिकार्ड सं0	इम्प्लॉई कोड	कर्मचारी का नाम	D_O_R
11	IRRIU-70351	Tej pratap Srivastava	
189	STU-10054	Keshaw lal	
295	07002919194	689 man singh	

इसके अतिरिक्त जिनकी जन्म तिथि अंकित है उनकी सेवानिवृत्ति अंकित नहीं है। उदाहरणार्थ क्रम सं0 14, 19, 27, 189, 288, 603, 811, 822 से 854, 856 से 883, 886, 900 और 902

10. कर्मचारियों की पैन संख्या (PAN_NO) फील्ड में दर्ज न किया जाना या डुप्लीकेट एवं गलत पैन संख्या का अंकन किया जाना।

डेटा विश्लेषण में पाया गया कि 608383 रिकार्ड में से 602560 रिकार्ड में कोई पैन संख्या दर्ज नहीं की गयी है। जबकि शेष रिकार्ड में डुप्लीकेट पैन संख्या या गलत पैन संख्या दर्ज की गयी है, इस प्रकार पैन सं0 फील्ड में जो कि मास्टर में अंकित कुल कर्मचारियों का 64.81 % है, के डेटाबेस में कमी पायी गयी।

4.3.3 अपूर्ण मास्टर।

प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों से सम्बन्धित सूचनायें मास्टर में उनसे सम्बन्धित फील्ड में भरी जानी चाहिये परन्तु मास्टर में कर्मचारियों से सम्बन्धित सूचनायें पूर्णरूप से नहीं भरी गयी हैं जो कि अपूर्ण मास्टर को प्रदर्शित करता है। इसके उदाहरण निम्नलिखित है एवं अनुशंसा की जाती है कि अपूर्ण मास्टर की फील्ड को पूर्ण किया जाय। मास्टर की फील्ड 46 फील्ड में 938770 रिकार्ड हैं, इन रिकार्ड में –

1. कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता (EMP_Qual) न भरा जाना।

इस कालम में कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता भरी जानी चाहिये, जबकि 152902/- रिकार्ड के सापेक्ष इस कालम में कोई सूचना नहीं भरी गयी है। मास्टर फाइल में कुल रिकार्डों के सापेक्ष 16.29% कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता अंकित नहीं है। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:-

तालिका-4.14

रिकार्ड स0	इम्प्लॉई कोड	कर्मचारी का नाम	EMP_Qual
2	150027427191	Nathu laI-802071101	
17	150029727537	Indresh kumar singh-972810094	
30516	PLANU-10658	Kasim ali	

इसके अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता के कालम में “0” और “A” भी अंकित है यह किस प्रकार की योग्यता को दर्शाता है, स्पष्ट नहीं है।

2. मास्टर में पिता का नाम (S_F_NAME) अंकित न किया जाना।

उक्त फाइल के विश्लेषण में पाया गया कि 17 रिकार्ड में कर्मचारियों के पिता का नाम दर्ज नहीं है, जो कि अपूर्ण मास्टर को प्रदर्शित करते हैं।

3. पिता के नाम में विसंगतियां:

डेटा विश्लेषण में पाया गया कि 5247 रिकार्ड के सापेक्ष कर्मचारियों के पिता का नाम केवल “shri” या “shree” अंकित है जबकि डाटाबेस में एकरूपता होना अपेक्षित है।

4. FAMILY_PLANNING की फील्ड का रिक्त पाया जाना।

डेटा विश्लेषण में पाया गया कि 41910/ (शादी शुदा) लोगों के फ़ैमली प्लानिंग के फील्ड में कोई इन्ट्री दर्ज नहीं है जबकि इस फील्ड में Y या N अंकित किया जाना चाहिए। यह अपूर्ण मास्टर को प्रदर्शित करते हैं।

तालिका-4.15

कुल रिकार्ड	रिक्त पाये गये रिकार्ड	प्रतिशत
938770	41910	4.4%

5. GPF_STAT की फील्ड रिक्त होना।

4498 रिकार्ड के सापेक्ष उक्त फील्ड में कोई इन्ट्री नहीं की गयी है, जबकि इस फील्ड में Y या N अंकित किया जाना चाहिए। यह भी अपूर्ण मास्टर को प्रदर्शित करते हैं।

6. LOCATION की फील्ड रिक्त होना।

351247 रिकार्ड के सापेक्ष लोकेशन फील्ड में कोई इन्ट्री नहीं की गयी, जो कि अपूर्ण मास्टर को प्रदर्शित करते हैं। यह मास्टर में अंकित कुल कर्मचारियों का 37.42% है।

तालिका-4.16

कुल रिकार्ड	रिक्त पाये गये रिकार्ड	प्रतिशत
938770	351247	37.42%

7. INC_DUE_ON की फील्ड रिक्त होना।

इस फील्ड में 58576 रिकार्ड के सापेक्ष कोई इन्ट्री नहीं पायी गयी है, जो अपूर्ण मास्टर को प्रदर्शित करते हैं।

8. कर्मचारियों का पता (ADDR-1, ADDR-2, ADDR-3) फील्ड का रिक्त होना।

मास्टर की इन फील्ड में कर्मचारियों का पता भरा जाता है। डेटा विश्लेषण में पाया गया कि 324495 रिकार्डों में ADDR-1, 2, 3 की सभी फील्ड रिक्त है। यह मास्टर में अंकित कुल कर्मचारियों का 34.56% है। मास्टर डाटाबेस में कर्मचारियों के सभी पते अपूर्ण रहने पर कर्मचारियों से पत्राचार किस आधार पर किया जाता है।

9. EMAIL_ID की फील्ड रिक्त पाया जाना।

856513 रिकार्ड के सापेक्ष कर्मचारियों की ई-मेल आईडी दर्ज नहीं है। जो कि कुल कर्मचारियों का 91.24 % है। यह अपूर्ण मास्टर को प्रदर्शित करता है। व्यक्तिगत ई-मेल आई डी के स्थान पर सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का सरकारी ई-मेल आईडी आवंटित किया जाना चाहिये तदनुसार मास्टर डाटाबेस को अद्यतन किया जाना अपेक्षित है।

10. इम्प्लॉई मास्टर में मोबाइल नम्बर (MOBILE_NO) फील्ड न भरा जाना।

मोबाइल नम्बर के फील्ड में 591322 रिकार्ड में मोबाइल नम्बर दर्ज नहीं है, जिसमें 498791 रिकार्ड की फील्ड रिक्त एवं अन्य रिकार्ड में 000, 111,----- आदि नम्बर अंकित पाये गये हैं। इस प्रकार कुल कर्मचारियों के 62.99 प्रतिशत कर्मचारियों का डाटा अपूर्ण है।

11. LOCATION_ID की फील्ड रिक्त होना।

461683 रिकार्ड के सापेक्ष लोकेशन आईडी फील्ड में कोई इन्ट्री दर्ज नहीं पायी गयी है, जो अपूर्ण मास्टर को प्रदर्शित करते हैं। यह मास्टर में अंकित कुल कर्मचारियों का 49.18 % है। इतने अधिक प्रतिशत में रिकार्ड न पाया जाना मास्टर डाटाबेस के सही रख-रखाव के अभाव को दर्शाता है।

तालिका-4.17

कुल रिकार्ड	रिक्त पाये गये रिकार्ड	प्रतिशत
938770	461683	49.18 %

4.3.4. पेंशन से सम्बन्धित फाइलों में पायी गयी विसंगतियां।

कोषागार निदेशक, लखनऊ द्वारा इस कार्यालय को हस्तगत कराई गयी साफ्ट कापी में पेंशन से सम्बन्धित फाइलों में पेंशन मास्टर, पेंशन ट्रॉन्जेक्शन माह (02/20, 9/19) की फाइलें हैं।

पेंशन मास्टर—इस फाइल का विश्लेषण आइडिया साफ्टवेयर के माध्यम से किया गया। पेंशन मास्टर (Penmart all.txt-) फाइल को कम्प्यूटर सहायक लेखापरीक्षा तकनीक में Import करने पर 1186468 रिकार्ड प्राप्त हुये। इन रिकार्ड्स का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित बिन्दु प्रकाश में आये:-

1. एक ही कोषागार द्वारा पेंशनर को एक ही GRD नं० आवंटित किया जाना।

कोषागार द्वारा प्रत्येक कैटेगरी के पेंशनरों को एक Unique Code आवंटित किया जाता है एवं पेंशनरों को इसी के आधार पर पेंशन वितरित की जाती है। डेटा का विश्लेषण करने पर एक ही कोषागार द्वारा एक ही GRD नं० आवंटन के एक ही कैटेगरी के 30 रिकार्ड पाये गये। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:-

तालिका-4.18

रिकार्ड सं.	कोषागार कोड	जीआरडी कोड	कैट, कोड	नाम
1	600	1326	C01	Neetra pal
2	600	1326	C01	Sona devi
12	3300	44696	C01	1

उपरोक्त रिकार्ड से स्पष्ट है कि एक ही कोषागार द्वारा एक ही GRD नम्बर अलग-अलग पेंशनर को आवंटित किये गये हैं। रिकार्ड संख्या 12 के सापेक्ष पेंशनर का नाम "1" अंकित किया गया है पेंशनर का नाम 1 अंकित करने के सम्बन्ध में एवं अलग-अलग पेंशनरों को एक ही GRD संख्या किस आधार पर आवंटित की गयी है स्पष्ट नहीं है

2. पेंशनरों को डुप्लीकेट PPO या शून्य PPO जारी किया जाना।

विभागों द्वारा पेंशनरों को आवंटित PPO सं० Unique होती है। इसलिये पीपीओ सं० का आवंटन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि एक पीपीओ सं० एक से अधिक पेंशनरों आवंटित न हो। पेंशन मास्टर की डुप्लीकेट टेबल में कुल 157747 में से 972 पेंशनर के कालम में (-) या शून्य अंकित है। शेष पेंशनर के PPO के नम्बर डुप्लीकेट प्रदर्शित हो रहे हैं। इनमें से कुछ उदाहरण निम्नवत् हैं:-

तालिका-4.19

रिकार्ड सं०	कोषागार कोड	नाम	पी.पी.ओ. कोड	जीआरडी कोड	सितम्बर- 19 पेंशन (.Rs)	फरवरी-20 पेंशन (.Rs)
38965	600	CS CHAUDHARI	2366/EPAD	CE360	34265	35795
38966	600	Shiv kumar gupta	2366/EPAD	CE2248	73780	77155
39003	1700	Sh indal singh	2369-71	2317/12	29763	31092
39004	2400	Babu ram	2369-71	E-956	18207	19020

उपरोक्त पेंशनर के पीपीओ संख्या डुप्लीकेट है एवं इन्हें पेंशन का भुगतान उपरोक्तानुसार किया गया है अलग-अलग पेंशनरों को एक ही पीपीओ संख्या का आवंटन एवं उस पर भुगतान किस आधार पर किया गया स्पष्ट नहीं है।

3. डुप्लीकेट GRD नं० एवं डुप्लीकेट PPO सं० आवंटित किया जाना।

GRD नं० एवं पीपीओ सं० एक यूनिक कोड होता है इसलिये मास्टर में जीआरडी नं० एवं एक पीपीओ सं० एक ही बार दर्ज होनी चाहिये डेटा विश्लेषण में पाया गया कि पेंशन मास्टर डेटाबेस में 44 रिकार्ड के सापेक्ष GRD नं० और पीपीओ सं० डुप्लीकेट दर्ज है मास्टर में इस तरह का फ्लैग/चेक लगाये जाने की आवश्यकता है कि यूनिक रिकार्ड एक बार ही दर्ज हो कुछ उदाहरण निम्न है :-

तालिका-4.20

क्र०सं०	कोषागार	जी. आर. डी. नं०	कटेगरी कोड	पेंशनर का नाम	पी.पी.ओ. सं०
16	600	4628	CO 1	Smt. Shamim Bano	18618
17	600	4628	CO 1	Smt. Shamim Bano	18618
34	3300	EB 585/16	E-11	Avdhesh	020/194/00312
35	3300	EB 585/16	E-11	Avadhesh	020/194/00312

एक ही GRD सं० के सापेक्ष एक ही पी.पी.ओ. सं० का आवंटन किस आधार पर किया गया स्पष्ट नहीं है।

4. जीआरडी संख्या, पीपीओ संख्या व टीएस संख्या एक समान होना।

पेंशन मास्टर के डेटा विश्लेषण में पाया गया संलग्न साफ्ट कापी में 32 रिकार्ड के सापेक्ष पेंशनर की जीआरडी संख्या, पीपीओ, एवं टीएस संख्या एक समान है।

तालिका-4.21

रिकार्ड नं०	कोषागार कोड	जीआरडी संख्या	कैटगरी कोड	टीएस सं०	पीपीओ संख्या	पेंशनर का नाम	बेसिक	खाता संख्या
26	2000	EDM 5045	E01	EDM5045	P-4076	PREM SRIVASTAVA NATH	32500	20032521835
27	2002	EDM 5045	C01	EDM 5045	P-4076	PREM SRIVASTAVA NATH	12615	दर्ज नहीं
28	2000	EDM 5047	E01	EDM5047	P-4839	OM PRAKASH MISHRA	31100	20150093696
29	2002	EDM 5047	E01	EDM 5045	P-4839	OM PRAKASH MISHRA	11925	दर्ज नहीं

उपरोक्त रिकार्ड संख्या 26 व 27 में पेंशनर की कैटेगरी कोड (E01 एवं CO1) को छोड़कर पेंशनर का नाम पीपीओ संख्या, जीआरडी संख्या, टीएस संख्या, जन्म तिथि, सेवा में आने की तिथि, सेवा निवृत्ति की तिथि, पेंशन प्रारंभ होने की तिथि समान है एवं पेंशनर के बेसिक के कॉलम में बेसिक अलग-अलग दर्ज है। क्रम सं० 8 कोषागार सं० 2700 एवं क्रम सं० 9 कोषागार सं० 7700 पर दर्ज पेंशनर क्रमशः गीता शुक्ला, श्रीमती गीता शुक्ला की जीआरडी, पीपीओ, टीएस सं०, पता सेवा ग्रहण करने की तिथि जन्म तिथि सेवानिवृत्ति तिथि, खाता सं० प्रोविजिनल पेंशन इत्यादि समान है परन्तु सेक्स (SEX) कालम में अन्तर है गीता शुक्ला को मेल प्रदर्शित किया गया है रिकार्ड संख्या 27 एवं 29 के पेंशनर के खाता संख्या दर्ज नहीं की गयी है। एक ही कैटेगरी कोड/अलग-अलग कैटेगरी कोड के सापेक्ष उपरोक्त (पीपीओ संख्या, जीआरडी संख्या, टीएस संख्या, जन्म तिथि, सेवा में आने की तिथि, सेवा निवृत्ति की तिथि, पेंशन प्रारंभ होने की तिथि) एक ही विवरण होने की वजह से गलत भुगतान की सम्भावना बनी रहती है इसलिये मास्टर को अद्यतन किये जाने की आवश्यकता है।

5. एक ही खाते एवं बैंक कोड पर अलग-अलग व्यक्तियों के नाम प्रदर्शित होना।

एक बैंक कोड एवं बैंक खाता सं० एक ही व्यक्ति को आवंटित किया जाता है परन्तु मास्टर के बैंक कोड एवं बैंक खाते कालम का विश्लेषण करने पर पाया गया कि 31389 रिकार्ड के सापेक्ष एक जैसे खाता सं० अलग-अलग व्यक्ति को आवंटित दर्शाया गया है।

31389 रिकार्डों में से 167 रिकार्डों में खाता संख्या फील्ड में 00 आदि अंकित है एवं 126 रिकार्डों में बैंक कोड 000 दर्ज है। इनमें से कुछ उदाहरण निम्नवत् है:-

तालिका-4.22

रिकार्ड्स	कोषागार	जीआरडी	कैट नं	नाम	पीपीओ	जन्म तिथि	खाता संख्या	लिंग
1462	5100	f/003908	c-01	Late ghasity	c-32/2017-18	1/1/70	11624588479	M
1463	5100	Cf/003908	c-01	Lt ghasite	c-32/2017-18	3/20/62	11624588479	M
237	8300	5457	c-01	Sh ram lal	P-007/024/009663/778	2/17/50	10834676588	M
238	8300	7806	c-01	Lt SMT pream	27/cmo	11/4/57	10834676588	M
6026	1800	c-6723	c-01	Ram kishan	p-07/15	7/26/55	10110002007	M
6027	4700	m-1674	M07	Brajpal singh	S/4394/78	12/6/43	10110002007	M

क्र०सं० 237 एवं 238 में दर्ज पेंशनरों के खाता सं० समान है। रिकार्ड संख्या-238 में पेंशनर का नाम LT Smt Pream है। एवं लिंग कालम में M अर्थात् पुरुष अंकित है जबकि इनके नाम से प्रतीत होता है कि वह एक महिला है रिकार्ड संख्या 6026 एवं 6027 में अलग-अलग कैटेगरी, कोषागार एवं अलग-अलग पते के पेंशनर के नाम के सापेक्ष एक ही खाता संख्या अंकित है। 1462 एवं 1463 में दर्ज पेंशनर का नाम पीपीओ सं० एक है लेकिन उनकी जन्म-तिथि अलग-अलग है अलग-अलग जन्म-तिथि पर एक ही खाता संख्या दर्ज है। इस तरह की विसंगतियों के होने की वजह से गलत भुगतान की सम्भावना बनी रहती है।

6. अपूर्ण D_O_J कालम।

इस कालम में पेंशनर की सेवा में आने का दिनांक सम्बन्धित कालम में अंकित होना चाहिये पेंशनर की सेवा की गणना उसके कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है पेंशन मास्टर की जाँच में पाया गया कि पेंशन मास्टर में 4806 रिकार्ड में पेंशनर की सेवा में आने का दिनांक, सम्बन्धित कालम में अंकित नहीं है। यह डेटा मास्टर में अंकित न होने से पेंशनर के सेवान्त लाभों की गणना किस आधार पर की जाती है, स्पष्ट नहीं है।

7. D_O_B_ कालम रिक्त होना।

इस कालम में पेंशनर की जन्म-तिथि सम्बन्धित कालम में अंकित होनी चाहिये जबकि पेंशन मास्टर में 17123 रिकार्ड में पेंशनर की जन्म तिथि, सम्बन्धित कालम में अंकित नहीं है। जन्म तिथि के आधार पर सेवानिवृत्ति की गणना की जाती है इसलिये मास्टर में कालम को पूर्ण किया जाना चाहिये। यह डेटा मास्टर में अंकित न होने से पेंशनर के सेवान्त लाभों की गणना किस आधार पर की जाती है, स्पष्ट नहीं है।

8. D_O_B, D_O_J, D_O_R/DOD कालम रिक्त होना।

पेंशन मास्टर में निर्धारित सभी कालम पूर्ण किये जाने चाहिये इस कालम में पेंशनर की जन्म तिथि, सेवा में आने की तिथि, सेवानिवृत्ति/मृत्यु दिनांक सम्बन्धित कालम में अंकित होना चाहिये जबकि पेंशन मास्टर में 4590 रिकार्ड में पेंशनर की उक्त सूचनाएँ सम्बन्धित कालम में अंकित नहीं है। जबकि पेंशन मास्टर के सभी कालम पूर्ण किये जाने अपेक्षित है।

9. D_O_P कालम रिक्त होना।

इस कालम में पेंशनर की पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि अंकित की जाती है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि पेंशनर को पेंशन कब से मिलनी प्रारम्भ हुई है। पेंशन मास्टर की टेबल में 7350 रिकार्ड के सापेक्ष D_O_P दर्ज नहीं की गयी है। जिससे यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि इनकी पेंशन कब से प्रारम्भ की गयी है।

10. Pay Commission कालम में 7th Pay न भरा होना।

वर्तमान में सॉलवा वेतन आयोग लागू है एवं पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार ही पेंशन पुनरीक्षित कर पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिये विश्लेषण में पाया गया कि 40592 पेंशनरों को सातवें वेतन के अनुसार भुगतान नहीं किया जा रहा है जबकि भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

4.3.5 पेंशन की ट्रॉन्जेक्शन फाइल में पायी गयी विसंगतियों के सम्बन्ध में।

इस फाइल का विश्लेषण कम्प्यूटर सहायक लेखापरीक्षा तकनीक के माध्यम से किया गया। ट्रॉन्जेक्शन से सम्बन्धित फाइलों को कम्प्यूटर सहायक लेखापरीक्षा तकनीक में Import करने के पश्चात् विश्लेषण करने पर निम्नलिखित बिन्दु प्रकाश में आये:-

एक ही कोषागार की एक ही GRD पर एक से अधिक भुगतान।

माह फरवरी 2020 की ट्रॉन्जेक्शन फाइल का विश्लेषण करने पर पाया गया कि 13725 रिकार्ड में एक GRD नं० पर माह में एक से अधिक बार भुगतान प्रदर्शित है। माह फरवरी 2020 में एक GRD संख्या पर एक माह में एक से अधिक बार भुगतान की गयी पेंशन की धनराशि (PEN_AMT) कॉलम में कुल रुपये 634974978/- एवं (GROSS_AMT) कॉलम में कुल रुपये 1084475683/- प्रदर्शित है।

माह सितम्बर-19 की ट्रॉन्जेक्शन फाइल का विश्लेषण करने पर पाया गया कि 56359 रिकार्ड में एक GRD नं० पर माह में एक से अधिक भुगतान प्रदर्शित है। एक GRD संख्या पर एक माह में एक से अधिक भुगतान की गयी पेंशन की

धनराशि (PEN_AMT) कॉलम में कुल रुपये 2238930230/- एवं (GROSS_AMT) कॉलम में कुल रुपये 2,75,34,76,166/- प्रदर्शित है।

एक GRD नं० पर एक माह में एक से अधिक बार भुगतान किस आधार पर किया गया है स्पष्ट नहीं है।

4.3.6 आयकर की कटौती न किया जाना।

आयकर अधिनियम 1961 के अनुभाग 192 के अनुसार जो भी पेंशनर आयकर की श्रेणी में आते हैं उनकी प्रतिमाह अनुपातिक कटौती की जानी चाहिये, जबकि निम्नलिखित रिकार्ड में इनकम टैक्स की कटौती दर्ज नहीं है।

सितम्बर-19 के डेटा विश्लेषण में पाया गया कि 33789 पेंशनरों के Pen_Amt कालम में 50000 रु० से अधिक पेंशन का आहरण प्रदर्शित है परन्तु इन पेंशनरों से उनके आयकर की कोई कटौती दर्ज नहीं है। जबकि उपरोक्त नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है। 50000 से अधिक पेंशन आहरित करने वाले पेंशनरों के (Pen_Amt) कालम में पेंशन की कुल धनराशि रु० 3238102176/- दर्ज है।

फरवरी-20 के डेटा विश्लेषण में पाया गया कि 25012 पेंशनरों के Pen_Amt. कालम में प्रतिमाह रु० 50000 से अधिक पेंशन का भुगतान हो रहा है परन्तु उनकी पेंशन से उनके आयकर कालम में कोई कटौती दर्ज नहीं है। जबकि इन पेंशनरों से उपरोक्त नियमानुसार इनकम टैक्स की कटौती की जानी अपेक्षित थी 50000 से अधिक पेंशन आहरित करने वाले पेंशनरों से (Pen_Amt) कालम में पेंशन की कुल धनराशि रु० 2,37,89,54,667/- दर्ज है।

आयकर की श्रेणी में आने वाले पेंशनरों की प्रतिमाह पेंशन से नियमानुसार आयकर की कटौती न किये जाने से सरकार को राजस्व समय से प्राप्त नहीं हो सका।

4.3.7 ट्रॉन्जेक्शन फाइल का मिलान पेंशन मास्टर से करने पर मास्टर में रिकार्ड का न पाया जाना।

माह फरवरी 2020 की ट्रॉन्जेक्शन फाइल का विश्लेषण करने पर पाया गया कि फरवरी 2020 में कुल 1071661 रिकार्ड है जिसमें GRD No.Unique है। कोषागारवार Unique GRD को पेंशन मास्टर से मैच कराने पर 581 रिकार्ड पेंशन मास्टर से मैच नहीं हुये इन रिकार्ड के सापेक्ष Pen_Amt कॉलम में कुल 12434828/- धनराशि एवं Gross_Amt कॉलम में 23021419 की धनराशि दर्ज है।

इसी प्रकार सितम्बर-19 की ट्रॉन्जेक्शन फाइल का विश्लेषण करने पर पाया गया कि सितम्बर 19 माह में कुल 1097922 रिकार्ड है जिसमें GRD No, Unique फील्ड है। Unique GRD को पेंशन मास्टर के GRD No. Field से मैच कराने पर 2555 रिकार्ड पेंशन मास्टर से मैच नहीं हुये इन रिकार्ड के सापेक्ष (Pen_Amt) कॉलम में कुल 5,33,55,916/- धनराशि एवं (Gross_Amt) कॉलम में 744,15,824 की धनराशि दर्ज है।

मास्टर से रिकार्ड मैच न होने का अर्थ है कि रिकार्ड मास्टर में नहीं है मास्टर में रिकार्ड न होने पर पेंशन का भुगतान किस आधार पर किया गया स्पष्ट नहीं है।

4.4 आडिट ट्रेल्स तथा लाग्स।

इवेंट लागिंग उपयोगकर्ता गतिविधि का दस्तावेजीकरण करने में बहुत सहायक है तथा यह उपयोगकर्ता गतिविधि का सटीक रिकार्ड तैयार करता है जिससे कि यह पता चल सके कि किन उपयोगकर्ताओं ने किस प्रणाली, साथ ही साथ कब और कितने समय तक संबंधित वेबसाइट का प्रयोग किया। सिस्टम आडिट सभी प्रकार के लागिंग इवेंट, विशेषकर लेन-देन तथा सुरक्षा से संबंधित इनबिल्ट नियंत्रण को जाँचता है।

विगत निरीक्षण दलों द्वारा डीओटी से पूछताछ किये जाने पर कि क्या कोई कार्य प्रणाली समय-समय पर कोषागार/उपकोषागार द्वारा अपनाई जाती है, जिसके लिए सिस्टम में पुराने आडिट लाग के लिए सुगम संदर्भ किए जाएँगे। यदि ऐसा है तो पुराने अभिलेख कितने समय बाद संग्रहीत किए जाते हैं, क्या एप्लीकेशन में पुराने आडिट ट्रेल्स तथा लाग्स को अनाधिकृत विलोपन, संशोधन या प्रकटीकरण से बचाने के लिए कोई कार्य प्रणाली एवं नियंत्रण अपनाए गए हैं, क्या सिस्टम में इनबिल्ट आडिट ट्रेल्स है जिससे कि महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्रों के लिए निर्माण, अद्यतन/संशोधन एवं विलोपन पर निगरानी की जा सके, यह उत्तर दिया गया था कि यह लागू नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि एप्लीकेशनों को अनाधिकृत विलोपन, संशोधन अथवा प्रकटीकरण से बचाने के लिए कोई आडिट ट्रेल्स तथा लाग्स तैयार नहीं किए जाते हैं। इस सम्बन्ध में प्रगति आख्या इस कार्यालय को अभी तक प्राप्त नहीं हुयी है।

4.5 एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का अपूर्ण विकास।

उ०प्र० में अधिकांश विभाग एवं क्रियाकलापों का कंप्यूटरीकरण तथा क्रियान्वयन किया गया है। निरीक्षण में यह पाया गया कि ऑनलाइन वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली, हेतु कोई भी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तथा टिप्पणी के लिए विगत निरीक्षण के द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या इन क्रियाकलापों को कंप्यूटरीकृत करने की कोई योजना तथा उसके विकास एवं

क्रियान्वयन के लिए कोई समय सीमा है, यह उत्तर दिया गया था कि राज्य के विभिन्न कोषागारों में इन्स्टाल किए गए एवं उपलब्ध कराए गए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर मदों की ऑनलाइन वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली— क्रियान्वयन प्रगति पर है।

परन्तु वर्तमान में इकाई द्वारा सूचित किया गया कि अभी इसे आफ लाईन तैयार किया गया है समस्त डेटा फीड कर टेस्टिंग करने के उपरान्त इसे आनलाइन कर दिया जायेगा उत्तर संतोषजनक नहीं है इसे आनलाइन कराये जाने की अविलम्ब आवश्यकता है।

अनुशंसा

- नियंत्रण को प्रभावी बनाये रखने के लिये सुरक्षा नीति बनायी जानी चाहिये।
- सामान्य नियंत्रण को प्रभावी ढंग से मजबूत बनाया जाना चाहिये।
- भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि सम्बन्धित रिकार्ड सम्बन्धित मास्टर फाइल (पेंशन/इम्प्लॉई) मास्टर फाइल में उपलब्ध है।
- मास्टर में (Emp_code, Pemp_code, Bank A/c) फील्ड में एक जैसे ही रिकार्ड की डुप्लीकेसी के लिये चेक लगाया जाना चाहिये।
- इम्प्लॉई मास्टर में सभी आवश्यक कालम जैसे कर्मचारी के पिता का नाम, जन्म तिथि आदि, रिक्त नहीं होने चाहिये इसे अनिवार्य फील्ड बनाया जाना चाहिये एवं मास्टर में अपूर्ण कालम को अवश्य पूर्ण किया जाय।
- पेंशन मास्टर फाइल की यूनिक फील्ड में डुप्लीकेट रिकार्ड दर्ज न हो इस सम्बन्ध में आवश्यक चेक लगाया जाना चाहिये।
- आयकर की श्रेणी में आने वाले पेंशनर की प्रतिमाह आयकर की आनुपातिक कटौती की जानी चाहिये।
- एप्लीकेशनों को अनाधिकृत विलोपन, संशोधन अथवा प्रकटीकरण से बचाने के लिए आडिट ट्रेल्स तथा लाग्स तैयार किये जाने चाहिये।
- राज्य के विभिन्न कोषागारों में इन्स्टाल किए गए एवं उपलब्ध कराए गए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर मदों की ऑनलाइन वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली को आनलाइन कराये जाने की आवश्यकता है।

*_*_*

परिशिष्ट-(क)
कोषागारवार असमायोजित ए0सी0 बिल

FNCL	VR	TRSRY	AMNT	FNCL	VR	TRSRY	AMNT
2001-02	1	LUCKNOW	4932.49	2009-10	4	GHAZIABAD	52700.00
2001-02	12	LUCKNOW-2	1079913.00	2009-10	1	GONDA	6294.00
2001-02	1	MEERUT	1000.00	2009-10	2	GORAKHPUR	7000.00
	14		1085845.49	2009-10	11	HATHRAS	6411780.00
2003-04	8	ALIGARH	584100.00	2009-10	6	LUCKNOW	30000.00
2003-04	1	ALLAHABAD-2	3500.00	2009-10	83	LUCKNOW-2	5263269.00
2003-04	7	FATEHGARH	134040.00		107		11771043.00
2003-04	8	GAZIPUR	185648.00	2010-11	2	GHAZIABAD	15000.00
2003-04	18	LUCKNOW	304347.00	2010-11	1	HATHRAS	35000.00
2003-04	196	LUCKNOW-2	11530381.00	2010-11	2	KANPUR NAGAR	15000.00
2003-04	10	PADRAUNA	3532795.00	2010-11	4	LUCKNOW	20000.00
2003-04	4	SULTANPUR	390000.00	2010-11	51	LUCKNOW-2	1024848.00
	252		16664811.00		60		1109848.00
2004-05	3	ALIGARH	196550.00	2011-12	1	GHAZIABAD	5000.00
2004-05	5	ALLAHABAD-2	40000.00	2011-12	4	LUCKNOW	1212107.00
2004-05	3	FATEHGARH	570000.00	2011-12	21	LUCKNOW-2	968550.00
2004-05	5	GAZIPUR	380300.00	2011-12	8	MIRZAPUR	1152000.00
2004-05	2	GHAZIABAD	130000.00		34		3337657.00
2004-05	2	HARDOI	3000.00	2012-13	1	GORAKHPUR	100000.00
					1		100000.00
2004-05	10	LUCKNOW	729500.00	2013-14	1	BASTI	100000.00
2004-05	134	LUCKNOW-2	4945063.00	2013-14	4	LUCKNOW	65000.00
	164		6994413.00		5		165000.00
2005-06	1	ALIGARH	1000.00	2014-15	6	LUCKNOW	655000.00
2005-06	4	ALLAHABAD-2	35000.00	2014-15	3	LUCKNOW-2	165000.00
2005-06	4	GAZIPUR	411480.00	2014-15	2	PADRAUNA	100000.00
2005-06	5	GHAZIABAD	143400.00		11		920000.00
2005-06	2	GORAKHPUR	6000.00	2015-16	1	HARDOI	10000.00
2005-06	1	HARDOI	5000.00	2015-16	3	HATHRAS	2356040.00
2005-06	3	KANPUR NAGAR	55000.00		4		2366040.00
2005-06	9	LUCKNOW	80700.00	2016-17	1	HATHRAS	1469400.00
2005-06	98	LUCKNOW-2	5160900.00	2016-17	1	LUCKNOW	1500.00
2005-06	1	MIRZAPUR	25000.00	2016-17	1	PADRAUNA	100000.00
	128		5923480.00		3		1570900.00
2006-07	10	ALLAHABAD-2	90000.00	2017-18	21	LUCKNOW-2	802999.00
2006-07	1	BASTI	1000.00		21		802999.00
2006-07	6	GHAZIABAD	238200.00	2018-19	1	KHERI	35000.00
2006-07	2	KANPUR NAGAR	25000.00	2018-19	1	LUCKNOW	5000.00
2006-07	8	LUCKNOW	45000.00	2018-19	27	LUCKNOW-2	1536250.00
2006-07	97	LUCKNOW-2	3561431.00	2018-19	1	MAHOBA	15000.00
	124		3960631.00		30		1591250.00
2007-08	1	AGRA	200000.00	2019-20	16	ALLAHABAD	31419634.00
2007-08	1	ALIGARH	1000.00	2019-20	3	ALLAHABAD-2	60000.00
2007-08	2	ALLAHABAD-2	10000.00	2019-20	11	BAHRAICH	16557700.00
2007-08	11	GHAZIABAD	339000.00	2019-20	1	BALRAMPUR	8000.00
2007-08	1	GORAKHPUR	5000.00	2019-20	16	BARABANKY	7222150.00
2007-08	4	LUCKNOW	20000.00	2019-20	1	BIJNORE	101961.00
2007-08	107	LUCKNOW-2	46726400.00	2019-20	1	FATEHGARH	62000.00

	127		47301400.00	2019-20	1	HATHRAS	154165.00
2008-09	3	ALIGARH	99920.00	2019-20	1	KANSHIRAM NAGAR	6069550.00
2008-09	2	FATEHGARH	25520.00	2019-20	4	LUCKNOW	194500.00
2008-09	9	GHAZIABAD	133200.00	2019-20	35	LUCKNOW-2	953025.00
2008-09	1	HATHRAS	800000.00	2019-20	1	SULTANPUR	184000.00
2008-09	113	LUCKNOW-2	4598471.00		91		62986685.00
2008-09	1	PRATAPGARH	1000.00				
	129	0	5658111.00				

परिशिष्ट-(ख)

सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित ऋणात्मक प्रारम्भिक अवशेष के प्रकरण-

SL_No	SERIES	GPF_NO	SUB_NAME	OB	DEPOSITS	WITHD	ESTMD CB	TREASURY
1	AGEDU	2727	ASHOK KUMAR SHARMA	-234123	0	459294	-693417	AGRA
2	COEDU	976	ROHIT VIJIAN	-44617	50000	60000	-54617	SAHARANPUR
3	COEDU	2281	RAM DHANI	-148261	70280	220000	-297981	SANTRAVIDASS NAGAR
4	COEDU	3041	SACHCHIDANAND	-31894	0	250000	-281894	KANPUR NAGAR
5	COEDU	13714	ARUN KUMAR KATIYAR	-471647	0	200000	-671647	KANPUR NAGAR
6	CPU	32049	RAMJI SINGH YADAV	-140188	138979	57400	-58609	LUCKNOW (JAWAHAR BHAWAN)
7	CPU	35445	AJAY PRATAP SINGH	-7387	57000	180000	-130387	BADAUN
8	CPU	39278	MOHD MALIK ANSARI	-48542	111775	300000	-236767	BAREILLY
9	CPU	43516	PRAVEEN KUMAR	-5364	40000	100000	-65364	SAHARANPUR
10	CPU	51419	MOHAMMAD MUSTAQ	-150602	54390	150000	-246212	GORAKHPUR
11	CPU	52610	VIJENDRA SINGH	-59849	25000	65000	-99849	AGRA
12	CPU	59752	SONPAL SINGH	-227430	15000	100000	-312430	ALIGARH
13	CPU	59986	RATAN PRAKASH MITTAL	-105566	24000	200000	-281566	ALIGARH
14	CPU	60599	MADAN PAL SINGH	-71096	25000	150000	-196096	SHAHJAHANPUR
15	CPU	62590	VED PRAKASH DWIVEDI	-142273	29670	275000	-387603	LUCKNOW (COLLECTORATE)
16	CPU	63253	RAM JAGO	-280817	31680	150000	-399137	AMBEDKAR NAGAR
17	CPU	64261	MUHAMMAD MUNIR KHAN	-25864	85674	150000	-90190	FAIZABAD
18	FEDU	3012	OM PRAKASH GUPTA	-309507	48232	120000	-381275	LUCKNOW (COLLECTORATE)
19	FSU	11586	ANIL KUMAR CHAUDHARI	-352413	30000	302000	-624413	KOLKATA
20	GAU	60006	ANOOP KUMAR	-503036	75646	5340	-432730	LUCKNOW (JAWAHAR BHAWAN)
21	GAU	62089	A.K.JAISWAL	-142307	48386	13500	-107421	ALLAHABAD (CIVIL LINES)
22	GAU	65838	AHMAD ALI	-111696	92585	258945	-278056	LUCKNOW (COLLECTORATE)
23	GAU	67451	ASHUTOSH BHATTACHARYA	-598653	105923	300000	-792730	ETAWAH
24	GAU	68556	VINOD KUMAR JAISWAL	-603120	30000	200000	-773120	LUCKNOW (COLLECTORATE)
25	GAU	68655	RAJ KUMAR	-67978	40000	150000	-177978	GONDA
26	GAU	68995	WASIMUDDIN	-180577	40000	300000	-440577	MAU
27	GAU	69082	BRIJENDRA SINGH	-32789	16704	80000	-96085	BANDA
28	GAU	69664	VINOD KUMAR	-134293	22080	40000	-152213	MORADABAD
29	GAU	70535	RAJESH GUPTA	-11444	33440	50000	-28004	KANNAUJ
30	GAU	71203	DEVBRAT SHARMA	-562684	24000	70000	-608684	SAHARANPUR
31	GAU	71710	RAJENDRA KUMAR	-175768	32000	180000	-323768	VARANASI
32	GAU	72202	GIRISH CHAND MAHAMANA	-348412	221778	4230	-130864	AGRA
33	GAU	72485	JANKI PRASAD	-11799	40000	200000	-171799	UNNAO
34	GAU	72560	VIJAY KUMAR GUPTA	-168023	38000	250000	-380023	GORAKHPUR
35	GAU	72578	MURLIDHAR SINGH	-61174	98995	475000	-437179	BASTI
36	GAU	75067	VINOD KUMAR SINGH	-68694	10000	50000	-108694	BAHRAICH
37	GAU	75175	RAM NATH PRASAD GOSWAMI	-76107	20000	100000	-156107	PRATAPGARH
38	GAU	75433	GAJENDRA PAL SINGH	-188392	0	152366	-340758	ALIGARH
39	GAU	76946	AKHILESH KUMAR MISRA	-48660	15000	200000	-233660	SHAHJAHANPUR
40	GAU	77733	KARAN SINGH	-108186	40000	150000	-218186	AGRA
41	GAU	83636	MOHD RASHID	-251925	32000	75000	-294925	GORAKHPUR
42	GAU	84606	PADAM NATH PATHAK	-4189	0	277	-4466	LUCKNOW (JAWAHAR BHAWAN)
43	GEDU	2795	PRABHAKAR MISHRA	-35442	51000	80000	-64442	AZAMGARH
44	INDU	5446	RAVI KAPOOR	-48249	0	523946	-572195	KANPUR NAGAR
45	INDU	7296	MOHD JAVED HALIM	-84348	61733	150000	-172615	KANPUR NAGAR
46	LEDU	5277	KARUNESH DUTT PANDEY	-359434	60000	290000	-589434	GORAKHPUR
47	LEDU	5292	MANOJ KUMAR SRIVASTAVA	-138644	21000	267000	-384644	LUCKNOW (COLLECTORATE)
48	LEU	8697	ARUN KUMAR	-88094	49741	10600	-48953	BAREILLY
49	LEU	9191	KESHEO DEO	-927159	247977	18000	-697182	ALIGARH
50	LEU	9993	RAM PRAVESH YADAV	-126806	52000	100000	-174806	LUCKNOW (JAWAHAR BHAWAN)

								BHAWAN)
51	LEU	10257	SANDIP SINGHAL	-22862	60000	274000	-236862	MEERUT
52	LEU	12830	MAHESH KUMAR	-7530	60000	150000	-97530	MEERUT
53	LEU	14815	SURAJPAL SINGH	-20198	22256	100000	-97942	SAMBHAL
54	LEU	14877	MAHENDRA SINGH	-23536	60000	100000	-63536	SAHARANPUR
55	LRGU	2943	ONKAR MAL	-120200	77795	6000	-48405	AZAMGARH
56	LRJU	1790	MAHESH PRASAD SRIVASTAVA	-190533	0	181218	-371751	LALITPUR
57	PLANU	4452	CHANDRA SHEKHAR SINGH	-119140	84929	200000	-234211	GORAKHPUR
58	PLANU	8938	DATA RAM	-531163	40000	26580	-517743	LUCKNOW (JAWAHAR BHAWAN)
59	PSU	5513	MOHD IRFAN	-133350	88404	100000	-144946	ALLAHABAD (CIVIL LINES)
60	PSU	5663	MANOJ KR YADAV	-95632	30280	50000	-115352	ALLAHABAD (CIVIL LINES)
61	PSU	6073	RAJENDRA KUMAR	-134452	189812	150000	-94640	ALLAHABAD (CIVIL LINES)
62	PSU	6219	MAHESH YADAV	-182626	81816	116000	-216810	ALLAHABAD (CIVIL LINES)
63	PSU	6333	RAJESH PANDEY	-4877	119763	279000	-164114	ALLAHABAD (CIVIL LINES)
64	PSU	6479	AFAQ ALI	-8099	107870	200000	-100229	ALLAHABAD (CIVIL LINES)
65	PSU	6509	RAM MANOHAR YADAV	-137622	134930	280000	-282692	ALLAHABAD (CIVIL LINES)
66	PSU	7031	ASHWANI KUMAR SRIVASTAVA	-160979	95561	150000	-215418	ALLAHABAD (CIVIL LINES)
67	PSU	7702	RAM PRASAD	-46652	78138	200000	-168514	ALLAHABAD (CIVIL LINES)
68	PU	138391	KAMLESH KR SHARMA	-368696	0	765664	-1134360	LUCKNOW (JAWAHAR BHAWAN)
69	RVU	28686	SUBASH CHANDRA SRIVASTAVA	-146282	40000	100000	-206282	BAHRAICH
70	RVU	31995	BHAWAN SINGH CHILWAL	-95174	82824	4000	-16350	BAREILLY
71	RVU	32109	ASHOK KUMAR DIXIT	-844101	16560	200000	-1027541	PADRAUNA
72	RVU	32864	NIRMAL SINGH	-96096	73595	15000	-37501	RAIBAREILLY
73	RVU	33541	VIJAI KRISHNA CHATURVEDI	-151115	15000	350000	-486115	MAHARAJGANJ
74	RVU	34700	RAJ KUMAR DIXIT	-88608	68945	165611	-185274	KANNAUJ
75	RVU	34927	NAND JI RAM	-150525	60000	25000	-115525	BALLIA
76	RVU	36830	AJAI SHARMA	-27397.5	15000	140000	-152398	BAGPAT
77	RVU	36907	A K SRIVASTAVA	-71074	24000	300000	-347074	SITAPUR
78	RVU	37313	HARI SHANKER DUBEY	-128427	40000	145000	-216729	BALLIA
79	RVU	41079	UDAI RAJ RATNA	-103741	15000	50000	-138741	GORAKHPUR
80	RVU	42278	CHANDRA BHUSAN TRIPATHI	-257565	0	440700	-698265	LALITPUR
81	RVU	43124	DEEPAK KUMAR	-12261	50000	45000	-7261	UNNAO
82	RVU	45544	MOOL CHANDRA	-36424	28000	300000	-308424	BAHRAICH
83	RVU	48898	SHYAMPALSINGH RATHI	-517708	0	509201	-1026909	BAGPAT
84	RVU	49188	KIRAN SINGH	-72109	21000	100000	-151109	MIRZAPUR
85	RVU	52215	BHAGWAN DAS JHA	-308292	36000	200000	-472292	LALITPUR
86	RVU	52857	KAMLESH CHANDRA TRIPATHI	-23160	2434	184649	-35460	ETAWAH
87	RVU	56532	PREM DAS	-320814	0	792494	-1113308	LALITPUR
88	RVU	56536	PRAMOD KUMAR JAIN	-223933	0	554834	-778767	LALITPUR
89	RVU	56650	ADDYA PRASAD SHARMA	-1172032	45000	1000000	-2127032	GORAKHPUR
90	STU	8454	MANJULA SAXENA (KM)	-5405	23440	200000	-181965	MORADABAD
91	VEDU	3373	VINOD RATHORE	-149456	0	706500	-855956	AGRA
92	VEDU	4740	ANAND DEO PANDEY	-13351	36000	190000	-167351	VARANASI

परिशिष्ट 'ग'

अनपोस्टेड आइटम की सूची

क्र०सं०	कोषागार का नाम	अनपोस्टेड आइटम की सं०	धनराशि
1	आगरा	16	220316
2	अलीगढ़	13	146388
3	इलाहाबाद (सिविल लाइन्स)	28	376243
4	इलाहाबाद (कलेक्ट्रेट)	34	196049
5	अम्बेडकरनगर	2	21710
6	औरैया	8	76811
7	आजमगढ़	44	647575
8	बदायूँ	7	87429
9	बागपत	15	345588
10	बहराइच	9	53445
11	बलिया	4	151890
12	बलरामपुर	17	189906
13	बौदा	19	159041
14	बाराबंकी	16	241737
15	बरेली	20	209286
16	बस्ती	23	250723
17	बिजनौर	6	134214
18	बुलन्द शहर	10	129000
19	छत्रपतिशाहजी महाराज नगर	42	604079
20	चन्दौली	17	233590
21	चित्रकूट	4	88371
22	देवरिया	8	166857
23	एटा	25	310268
24	इटावा	4	43398
25	फैजाबाद	7	109432
26	फतेहगढ़	3	22273
27	फतेहपुर	10	110243
28	फिरोजाबाद	12	93542
29	गौतमबुद्धनगर	18	319484
30	गाजीपुर	21	263607
31	गाजियाबाद	30	219564
32	गोण्डा	24	238692
33	गोरखपुर	41	637445
34	हमीरपुर	13	162362
35	हापुड़	1	47280
36	हरदोई	32	344632
37	हाथरस	1	5600
38	जालौन	5	67009
39	जौनपुर	11	148632
40	झाँसी	22	366280
41	ज्योतिबाफूलेनगर	1	5181
42	कन्नौज	1	10000
43	कानपुर नगर	16	129840
44	कानपुर देहात	8	86721
45	कांशीरामनगर	3	48580
46	कौशाम्बी	31	560280

47	लखीमपुरखीरी	28	297046
48	ललितपुर	20	246815
49	लखनऊ कले0	63	886204
50	लखनऊ इरला चेक	9	288000
51	जवाहर भवन लखनऊ	62	1822911
52	महाराजगंज	41	839374
53	महोबा	1	12000
54	मैनपुरी	1	12000
55	मथुरा	30	293804
56	मऊ	21	298591
57	मेरठ	16	230269
58	मिर्जापुर	6	131426
59	मुरादाबाद	49	4505191
60	मुजफ्फरनगर	24	266103
61	कुशीनगर (पडरौना)	11	91582
62	पीलीभीत	4	30465
63	प्रतापगढ़	19	197470
64	रायबरेली	29	476527
65	रामपुर	3	23236
66	सहारनपुर	50	639328
67	सम्भल	2	12580
68	सन्तकबीरनगर	2	73789
69	सन्तरविदासनगर	21	435681
70	शाहजहाँपुर	6	53700
71	शामली	9	99000
72	सिद्धार्थनगर	9	145379
73	सीतापुर	10	172904
74	सोनभद्र	31	416544
75	श्रावस्ती	3	43910
76	सुल्तानपुर	2	28000
77	उन्नाव	21	132010
78	वाराणसी	33	813333
	योग	1338	23095765

परिशिष्ट-(घ)

कैश/एल.ओ.पी. एवं वी.डी.एम.एस. की आर.बी.डी. के अन्तरों की विगत चार वर्षों की सूची

क्र०सं०	कोषागार	माह / वर्ष	एल.ओ.पी. / सी.ए. (आर.बी.डी.)	वी.डी.एम.एस. (आर.बी.डी.)	अन्तर (विसंगति की राशि)
1.	शामली	07/2015	210802919-00	211223604-00	(-) 4,20,685.00 (क्रेडिट)
2.	जे०पी० नगर	08/2015	502506687-00	502206687-00	(+) 3,00,000.00 (क्रेडिट)
3.	कानपुरदेहात	09/2015	780620998-00	781580718-00	(-) 9,59,720.00 (क्रेडिट)
4.	सहारनपुर	10/2015	109226271-00	109226451-00	(-) 180.00 (क्रेडिट)
5.	गाजियाबाद	11/2015	1044898628-00	1043315010-00	(+) 15,83,618.00 (डेबिट)
6.	पीलीभीत	01/2016	751012346-00	751012646-00	(-) 300.00 (क्रेडिट)
7.	हमीरपुर	02/2016	786317370-00	786289856-00	(+) 27,514.00 (क्रेडिट)
8.	सहारनपुर	02/2016	379509899-00	379503588-00	(+) 300.00 (क्रेडिट)
9.	बरेली	03/2016	734803581-00	734660091-00	(+) 1,43,490.00 (क्रेडिट)
10.	बरेली	04/2016	3855191272-00	3855191332-00	(-) 60.00 (क्रेडिट)
11.	फिरोजाबाद	05/2016	997087406-00	1001352686-00	(-) 42,65,280.00 (क्रेडिट)
12.	आजमगढ़	08/2016	2174605207-00	2174850822-00	(-) 2,45,615.00 (क्रेडिट)
13.	हरदोई	09/2016	1550907754-00	1550884554-00	(+) 23,200.00 (क्रेडिट)
14.	बागपत	11/2016	146866718-00	146859141-00	(+) 7,577.00 (क्रेडिट)
15.	रायबरेली	11/2016	391125347-00	391249755-00	(-) 1,25,408.00 (क्रेडिट)
16.	आगरा	12/2016	1535835707-00	153676+3539-00	(-) 927832.00 (क्रेडिट)
17.	बरेली	12/2016	2301112565-00	2301113565-00	(-) 1000.00 (क्रेडिट)
18.	हरदोई	12/2016	1632829469-00	1632829577-00	(-) 108.00 (क्रेडिट)
19.	सहारनपुर	12/2016	325926631-00	325924631-00	(+) 2000.00 (क्रेडिट)
20.	शाहजहाँपुर	01/2017	288369820	287919820-00	(+) 450000.00 (क्रेडिट)
21.	हमीरपुर	02/2017	792219752-00	792219852-00	(-) 100.00 (क्रेडिट)
22.	सिद्धार्थनगर	02/2017	1238217541-40	1238217542-00	(-) 0.60 (क्रेडिट)
23.	इलाहाबाद	03/2017	9128070609-00	9128144961-00	(-)74352.00 (क्रेडिट)
24.	संतकबीरनगर	03/2017	1445773618-00	1445773626-00	(-)8.00 (क्रेडिट)
25.	ललितपुर	04/2017	1033608928-00	1033715954-00	(-)107026.00 (क्रेडिट)
26.	ललितपुर	05/2017	343573177-00	343503547-00	(+)69630 (क्रेडिट)
27.	बरेली	06/2017	960277523-00	960277543-00	(-)20. (क्रेडिट)
28.	गोण्डा	07/2017	1341188083-00	1343162879-00	(-)1974796.00 (क्रेडिट)
29.	कानपुरनगर	10/2017			188325 डेबिट
30.	खलीलाबाद	12/2017	613035364-00	613037464-00	(-)2100.00 (क्रेडिट)
31.	कानपुरनगर	12/2017			10200 डेबिट
32.	संतकबीरनगर	02/2018	903984722-00	903974722-00	(+) 10000 (क्रेडिट)
33.	शाहजहाँपुर	02/2018	1490448057-00	1490377279-00	(+)70778.00 (क्रेडिट)
34.	हमीरपुर	04/2018	113092778-40	113092779-00	(-)0.60 (क्रेडिट)
35.	सिद्धार्थनगर	04/2018	91494489-00	289285164-00	(+) 2209325.00 (क्रेडिट)
36.	एटा	06/2018	442960109-00	445108588-00	(-) 2148479.00 (क्रेडिट)
37.	आजमगढ़	07/2018	1796694168-00	1893996011-00	(-) 97301843.00 (क्रेडिट)
38.	बरेली	08/2018	1051766482-00	1051787033-00	(-) 20551.00 (क्रेडिट)
39.	अलीगढ़	09/2018	82693747-00	82693800-00	(-) 53.00 (डेबिट)
40.	सहारनपुर	09/2018	1474031393-00	1474031342-50	(+) 50.50 (क्रेडिट)

41.	मेरठ	10/2018	10200794-40	10192294-40	(+) 8500.00 (डेबिट)
42.	सोनभद्र	10/2018	779060081-00	778572238-00	(+) 487843.00 (क्रेडिट)
43.	सहारनपुर	11/2018	794093227-27	794110627-27	(-) 17400.00 (क्रेडिट)
44.	शामली	11/2018	455550917-00	455217549-00	(+) 333368.00 (क्रेडिट)
45.	लखनऊ	12/2018	17929462071-91	17929461571-91	(+) 500.00 (क्रेडिट)
46.	फिरोजाबाद	01/2019	1231392931-00	1231329458-00	(+) 63473.00 (क्रेडिट)
47.	रायबरेली	01/2019	16366654743-00	1636404743-00	(+) 250000.00 (क्रेडिट)
48.	उन्नाव	01/2019	1345610236-00	1345647362-00	(-) 37126.00 (क्रेडिट)
49.	मीरजापुर	01/2019	3434693366-00	3434343999-00	(+) 349367.00 (क्रेडिट)
50.	ललितपुर	01/2019	1134228079-00	1134116917-00	(+) 111162.00 (क्रेडिट)
51.	लखनऊ	01/2019	39131530236-64	39130866656-64	(+) 663580.00 (क्रेडिट)
52.	बरेली	01/2019	1546336171-00	1546333126-00	(+) 3045.00 (क्रेडिट)
53.	आजमगढ़	02/2019	2655192379-00	2655201379-00	(-) 9000.00 (क्रेडिट)
54.	ललितपुर	02/2019	818749714-00	818711221-00	(+) 38493.00 (क्रेडिट)
55.	फिरोजाबाद	03/2019	2349168841-00	2348199399-00	(+) 969442.00 (क्रेडिट)
56.	मुजफ्फरनगर	04/2019	420049100-00	420044924-00	(+) 4176.00 (डेबिट)
57.	कौशाम्बी	05/2019	794665047-00	794660447-00	(+) 4600.00 (क्रेडिट)
58.	मथुरा	06/2019	1178629187-00	1178651187-00	(-) 22000.00 (क्रेडिट)
59.	रायबरेली	06/2019	1531171610-00	15310979-00	(+) 73710.00 (क्रेडिट)
60.	ललितपुर	07/2019	879881961-00	879881991-00	(-) 30.00 (क्रेडिट)
61.	वाराणसी	07/2019	3028717222-00	3028718222-00	(-) 1000.00 (क्रेडिट)
62.	बरेली	08/2019	1095360946-00	1095014226-00	(+) 346720.00 (क्रेडिट)
63.	रायबरेली	08/2019	1613340872-00	1613240872-00	(+) 100000.00 (क्रेडिट)
64.	सी0एस0एम0 नगर	09/2019	607756369-00	607756364-00	(+) 5.00 (क्रेडिट)
65.	हमीरपुर	09/2019	792185253-00	792184653-00	(+) 600.00 (क्रेडिट)
66.	जौनपुर	09/2019	2260429135-00	2260429185-00	(-) 50.00 (क्रेडिट)
67.	कौशाम्बी	10/2019	157431146+5-00	1574306765-00	(+) 4700.00 (क्रेडिट)
68.	लखनऊ	11/2019	3962958665-26	3962959665-26	(-) 1000.00 (क्रेडिट)
69.	कानपुरनगर	11/2019	35818142336-89	35818313762-89	(-) 20474.00 (डेबिट)
70.	बरेली	12/2019	4225836629-00	4229680245-00	(-) 3843616.00 (क्रेडिट)
71.	जे0पी0 नगर	01/2020	865994041-00	865996041-00	(-) 2000.00 (क्रेडिट)
72.	सिद्धार्थ नगर	01/2020	2106384959-00	2105416485-00	(+) 968474.00 (क्रेडिट)
73.	कानपुर देहात	02/2020	1136299772-00	1136299632-00	(+) 140.00 (क्रेडिट)
74.	रायबरेली	02/2020	1875086524-00	1874995429-00	(+) 91095.00 (क्रेडिट)
75.	रायबरेली	03/2020	2501099678-00	2499974222-00	(+) 1125456.00 (क्रेडिट)
76.	कानपुरनगर	03/2020	38496992565-00	38497522258-00	(+) 529693.00
77.	बरेली	03/2020	3249275423-00	3249065209-00	(+) 210214.00 (क्रेडिट)
78.	ललितपुर	03/2020	3140587781-00	3136758110-00	(+) 3829611.00 (क्रेडिट)
79.	इलाहाबाद-2	03/2020	20461905658-00	20461905858-10	(-) 0.10 (डेबिट)

परिशिष्ट—ड.

कोषागार द्वारा प्रेषित आर0बी0डी0 और आर0बी0आई0 द्वारा प्रेषित मन्थली क्लोजिंग स्टेटमेन्ट (एम0सी0एस0) में अन्तर।

LIST OF OUTSTANDING DISCREPANCIES OF RBD (STATE)					
Sl. No.	Try/Sub try & Agency Bank Code	Month & year	Dr	Cr	Remarks
Year2016-2017 SBI Agency Bank branch Discrepancies Details					
1	Kanpur Nagar (Ghatampur 1057)SBI	May-16		11999033.00	To be adj by bank vide TM-I/58253 dt. 26.10.16
2	KanpurNagar(8240)SBI	Jul-16	0.00	154250.00	After TE remaining
3	Kheri (Golagokaran 1512) SBI	Jul-16	100.00		New Item in 08/2016 mcs
4	Hardoi (Bilgram 587)SBI	Aug-16	739846.00	0.00	New item in 12/2016 mcs
5	KanpurNagar(8240)SBI	Nov-16		7302.15	adj 12/16 126971.85 Dr
6	Kanpur Nagar (Ghatampur 1057)SBI	Nov-16		3115559.00	
7	Sitapur (Biswan 622)SBI	Dec-16	100.00	0.00	adj 01/17 24181814.00 Dr, 02/17 23683314.00 Cr
8	Sitapur(720)SBI	Jan-17		20000.00	New item in 02/2018 mcs
9	Sitapur(720)SBI	Feb-17		309156.50	New item in 02/2018 mcs
10	Sitapur(720)SBI	Mar-17		207394.50	New item in 02/2018 mcs
11	Bareilly (Aonla 611) SBI	Mar-17		0.50	
12	Hardoi (Sandila 1149)SBI	Mar-17		225080.00	CA vide TM-I/52679 dt 28.08.2017
13	Sidharth Nagar Bansi(1393)	Mar-17	3476530.00	0.00	CA vide TM-I/52670 dt 28.08.2017
14	Sidharth Nagar (Domariaganj 1250)	Mar-17	0.00	786361.00	do
15	Sidharthnagar Itwa(2553)	Mar-17	0.00	1847745.00	do
16	Hardoi (Bilgram 587)SBI	Mar-17	0.00	115400.00	New item in 08/2017 mcs
17	Ghazipur(80) SBI	Mar-17	44525.00		New Item in 12/2017 mcs
18	Varanasi(201) SBI	Mar-17	1700000.00		New Item in 03/2019 mcs
	Total		5961101.00	18787281.65	
Year2016-2017Allid Bank Agency Bank branch Discrepancies Details					
1	Sambhal (Chandausi 210152)	Jul-16	600.00		To be adj by bank vide TM-I/33325 dt. 06.07.17
2	Sonbhadra (Duddhi) (210097)	Aug-16		80.00	do
3	Allahabad Koraon Ayodhya(211519)	Sep-16	400.00		do
4	Sonbhadra (Duddhi) (210097)	Feb-17	0.00	300.00	do
	Total		1000.00	380.00	
Year2016-2017 Central Bank of India Agency Bank branch Discrepancies Details					
1	Sultanpur (Kadipur 187)CBI	Jun-16		1.00	To be adj by bank vide TM-I/113549 dt. 15.02.19
2	Faizabad (Suhawal CBI)(0191)	Aug-16		100.00	
3	Faizabad (Suhawal CBI)(0191)	Dec-16	260.00	0.00	To be adj by bank vide TM-I/106763 dt. 29.01.19
4	Kanpur Dehat Rasulabad(0166)	Dec-16	90.00	0.00	
5	K R Nagar Patiyali(CBI)(1184)	Jan-17	0.00	100.00	To be adj by bank vide TM-I/33316 dt. 06.07.17
	Total		350.00	201.00	

Year2016-2017 UBI Agency Bank branch Discrepancies Details					
1	Saharanpur (Behat - 534226)	Mar-17	5094667.00		To be adj by bank vide TM-I/82313 dt. 16.11.17
2	Ghazipur (Jakhania - 541648)	Mar-17	355490.00	0.00	do
	Total		5450157.00	0.00	
Year2016-2017 BOI Agency Bank branch Discrepancies Details					
2	Unnao (Hasanpur -73010)	Feb-17	1548346.00	0.00	
	Total		1548346.00	0.00	
Year2016-2017 BOB Agency Bank branch Discrepancies Details					
1	CSM NagarTiloi (229309)	Dec-16		70.00	
	Total		0.00	70.00	
Year2017-2018 SBI Agency Bank branch Discrepancies Details					
1	Ghazipur (Mohammadabad 6143)	Apr-17	0.00	280978.00	CA vide TM-I/52687 dt 28.08.2017
2	KanpurNagar(8240)SBI	Apr-17		779477.00	After TE remaining
3	GBBLucknow(7806)SBI	Apr-17		88975493.00	New Item in 03/2018 mcs
4	Ghazipur(80) SBI	May-17	103013.00		CA demanded vide TM-I/19572 dt 31.05.2019
5	Sitapur (Biswan 622)	May-17	0.00	30000.00	CA demanded vide TM-I/19556 dt 31.05.2019
6	Sitapur (Hargaon 2550)	May-17	500.00		CA demanded vide TM-I/19563 dt 31.05.2019
7	Sitapur(720)SBI	May-17	41081.00		New item in 02/2018 mcs
8	Sitapur(720)SBI	Jun-17	2500.00		New item in 02/2018 mcs
9	Kanpur nagar (Ghatampur 1057)	Jul-17	0.00	50.00	
10	Kannauj(664) SBI	Aug-17	130830402.00		New item in 12/2018 mcs
11	Kheri(673) SBI	Oct-17	1500.00	0.00	CA demanded vide TM-I/69433 dt 11.10.2018
12	Varanasi (Pindara - 2596)SBI	Oct-17	5113.00		New Item in 11/2017 mcs CA demanded vide TM/69455 dt 11.10.18
13	Sitapur(720)SBI	Nov-17		60000.00	New item in 02/2018 mcs
14	Allahabad (Meja 1374) SBI	Dec-17	10.00		
15	KanpurNagar(8240)SBI	Jan-18	24694461.00	0.00	adj 2/18 400000 Cr, 2/18 753983 Dr
16	Kannauj Chibramau(1060) SBI	Jan-18	0.00	370620.00	
17	Jhansi (Moth 1159)SBI	Feb-18	0.00	143180.00	CA demanded vide TM-I/19545 dt 31.05.2019
18	KanpurNagar(8240)SBI	Feb-18	5514048.41	0.00	adj 3/18 3852201, Dr 6/18 1289701 Cr
19	Bagpat(740) SBI	Mar-18	109734560.60	0.00	
20	KanpurNagar(8240)SBI	Mar-18	0.00	20715904.00	After TE remaining
	Total		270927189.01	111355702.00	
Year2017-2018Alld Bank Agency Bank branch Discrepancies Details					
1	Hapur(210146) Alld Bank	Jul-17	0.00	2.00	
2	Hapur(210146) Alld Bank	Aug-17	0.00	90.00	
3	Sonbhadra (Duddhi) (210097)	Nov-17	570.00		

4	Allahabad Koraon Ayodhya(211519)	Dec-17		3.00	
5	Lalitpur (Tal-Behat - 212135)	Jan-18	2.00		
6	Sonbhadra (Duddhi) (210097)	Feb-18		23013.00	
	Total		572.00	23108.00	
Year2017-2018 Central Bank of India Agency Bank branch Discrepancies Details					
1	K R Nagar Patiyali(CBI)(1184)	Aug-17	0.00	3.00	
2	Faizabad (Suhawal CBI)(0191)	Oct-17	0.00	300.00	
	Total		0.00	303.00	
Year2017-2018 UBI Agency Bank branch Discrepancies Details					
1	Azamgarh (Mehnagar 535737)	Apr-17		1000.00	To be adj by bank vide TM-I/82313 dt. 16.11.17
2	Azamgarh (Mehnagar 535737)	Aug-17	0.00	300.00	To be adj by bank vide TM-I/82313 dt. 16.11.17
3	Chandauli (Sakaldiha - 541923)	Aug-17	3.00	0.00	do
	Total		3.00	1300.00	
Year2017-2018 BOI Agency Bank branch Discrepancies Details					
1	Unnao (Hasanpur -73010)	May-17	0.00	2.00	
	Total		0.00	2.00	
Year2017-2018 BOB Agency Bank branch Discrepancies Details					
1	Ambedkarnagar (Alapur Ramnagar214181)	Jun-17	0.00	450.00	To be adjusted by bank vide TM-I/113523 dt. 15.2.19
2	Raebareli (Maharajganj 229306)	Jul-17	0.00	10.00	To be adjusted by bank vide TM-I/113538 dt. 15.2.19
3	Raebareli (Maharajganj 229306)	Sep-17	0.00	300.00	To be adjusted by bank vide TM-I/113538 dt. 15.2.19
4	Raebareli (Dalmau226209)	Oct-17	101170.00	0.00	
5	Ambedkarnagar (Alapur Ramnagar214181)	Nov-17		20.00	To be adjusted by bank vide TM-I/113523 dt. 15.2.19
6	Raebareli (Maharajganj 229306)	Dec-17	1000000.00		To be adjusted by bank vide TM-I/113538 dt. 15.2.19
	Total		1101170.00	780.00	
Year2018-2019 SBI Agency Bank branch Discrepancies Details					
1	Sidharth Nagar Bansi(1393)	May-18	2.00	0.00	CA demanded vide TM-I/31253 dt 04.07.2019
2	Jhansi (Mauranipur131) SBI	Jun-18	0.00	273510.00	CA demanded vide TM-I/31256 dt 04.07.2019
3	Jhansi (Moth 1159)SBI	Jun-18	0.00	91407.00	CA demanded vide TM-I/31258 dt 04.07.2019
4	KanpurNagar(8240 N)SBI	Jun-18	0.00	90505576.00	Adj in MCS 07/2018 Rs 7235.00 Cr
5	Basti(6211)SBI	Aug-18	0.00	0.93	CA demanded vide TM-I/31261 dt 04.07.2019
6	Shajhanpur Tilhar 725)SBI	Aug-18	0.00	600.00	CA demanded vide TM-I/916324 dt 19.12.2018
7	Varanasi(201) SBI	Aug-18		107590.00	CA demanded vide TM-I/6418 dt 22.04.2019
8	Varanasi(201) SBI	Sep-18		241265.00	CA demanded vide TM-I/6414 dt 22.04.2019
9	Saharanpur(710) SBI	Sep-18	612420.00		NI in 01/2019 MCS
10	Noida(SBI)(5936)	Oct-18	0.00	105.00	
11	Kannauj(664) SBI	Oct-18		2700.00	To be adjusted by bank vide TM-I/106482 dt 29.1.19

12	Sahjahanpur(3085) SBI	Oct-18	14600.00	0.00	
14	Basti(6211)SBI	Nov-18	27000.00		
15	GBBLucknow(7806)SBI	Nov-18	1500.00	0.00	
16	Varanasi(201) SBI	Nov-18	120000.00	0.00	CA demanded vide TM-I/31196 dt 04.07.2019
17	Jhansi (Moth 1159)SBI	Dec-18	0.00	180.00	
18	Rampur Tanda(1785) SBI	Dec-18	6704.00	0.00	To be adj by bank TM-I/9532 dt. 30.04.19
19	Etah Jaleshwar (735) SBI	Dec-18	133410.00		New Item in 01/2019 mcs / to be adjusted by bank TM1-I/9530 dt. 30.04.2019
21	Ghazipur(80) SBI	Jan-19	13736.00	0.00	
22	Kannauj(664) SBI	Jan-19	0.00	1982741.00	CA demanded vide TM-I/31263 dt 04.07.2019
23	Saharanpur(710) SBI	Jan-19	91224.00	0.00	CA demanded vide TM-I/31201 dt 04.07.2019
24	Sahjahanpur(3085) SBI	Jan-19	6480.00	0.00	
25	Sitapur(720)SBI	Jan-19	0.00	1150165.00	
26	Biswan(622)SBI	Jan-19	0.00	3100.00	
27	Varanasi(201) SBI	Jan-19	0.00	85333.00	CA demanded vide TM-I/31265 dt 04.07.2019
28	Sitapur(720)SBI	Feb-19	0.00	79176.00	
29	Varanasi(201) SBI	Feb-19	36.00	0.00	CA demanded vide TM-I/31207 dt 04.07.2019
30	Badaun (Dataganj 599)	Feb-19	20.00		To be adjusted by bank vide TM-I/31225 dt 04.07.2019
31	Sultanpur(188) SBI	Feb-19	9246.00		New Item in 01/2020 mcs .
32	Basti (Harraiya 1688)	Mar-19	250.00		
33	Kanpur Nagar(8240)SBI	Mar-19	0.00	32350312.00	
34	Sitapur(720)SBI	Mar-19	0.00	439980.00	
	Total		1036628.00	127313740.93	

Year2018-2019 All Bank Agency Bank branch Discrepancies Details					
1	Sitapur (Mehmoodabad 211108)	May-18	70.00	0.00	CA demanded vide TM-I/113528 dt 15.02.2019
2	Sitapur (Mehmoodabad 211108)	Aug-18	0.00	267.00	To be adj by bank TM-I/82380 dt. 28.11.18
3	Sonbhadra (Duddhi) (210097)	Sep-18	1.00	0.00	
4	Banda (Baberu 210081)	Oct-18	75.00	0.00	To be adj by bank TM-I/9514 dt. 30.04.19
5	Sonbhadra (Duddhi) (210097)	Nov-18	0.00	10.00	NI in 04/2019 MCS
6	Chitraloot (Mau 210256)	Jan-19	0.00	80.00	To be adjusted by bank vide TM-I/31217 dt 04.07.2019
7	Shamli(AB)(211937)	Feb-19	386875.00	0.00	CA demanded vide TM-I/31250 dt 04.07.2019
8	Allahabad (Civil Lines)(210085)	Feb-19	0.00	9654.00	
	Total		387021.00	10011.00	
Year2018-2019 UBI Agency Bank branch Discrepancies Details					
1	Chandauli (Sakaldiha 541923)	May-18	80.00	0.00	To be adjusted by bank vide TM-I/31239 dt 04.07.2019
2	Azamgarh (Mehnnagar 535737)	Aug-18	0.60	0.00	To be adj by bank TM-I/9538 dt. 30.04.19
3	Gahazipur Jakhania 541648)	Feb-19	0.00	154960.00	

	Total		80.60	154960.00	
Year 2018-19 Punjab National Bank Agency Bank branch Discrepancies Details					
1	Jhansi Garautha(PNB)(0665)	Jun-18	0.00	597747.00	CA received from TO, but MH not mentioned
2	Jhansi Tehrauli(PNB)(684500)	Jun-18	0.00	117420.00	CA received from TO, but MH not mentioned
	Total		0.00	715167.00	

Year2018-2019 BOB Agency Bank branch Discrepancies Details					
1	Raebareli (Maharajanj 229306)	Oct-18	0.00	20.00	To be adjusted by bank vide TM-I/6443 dt 22.04.19
	Total		0.00	20.00	

Year2019-2020 SBI Agency Bank branch Discrepancies Details					
1	Varanasi(201) SBI	May-19	0.00	30935.00	NI in 07/2019 MCS
2	Ghaziabad(7873) SBI	May-19	0.00	700.00	NI in 07/2019 MCS
	Salempur, Deoria SBI 1146	May-19	13173.00		
3	Sitapur (Misrikh 1694)SBI	Jun-19	0.00	1000.00	
4	Jhansi Moth 1159	Jun-19	30000.00	0.00	NI in 08/2019 MCS
5	Aligarh (Khair 2387)	Jun-19	0.00	2000.00	NI in 08/2019 MCS
7	Baraut(1563) SBI	Jun-19	50000.00		
8	Jhansi (Moth 1159)SBI	Jul-19	0.00	5000.00	
10	Hamirpur (Maudaha 1136 SBI	Jul-19	400.00		
11	Jhansi (Moth 1159)SBI	Aug-19	69639.00	0.00	
12	Kannauj (Chibramau1060) SBI	Aug-19	0.00	400000.00	
13	Mau (Ghosi 204) SBI	Aug-19	2000.00	0.00	
14	Saharanpur (Deoband632)	Aug-19	0.00	7500.00	
17	Mainpuri(675) SBI	Sep-19	2000.00	0.00	
18	Jhansi (Mauranipur 131)	Oct-19	0.00	1351442.00	
19	Jhansi (Moth 1159)SBI	Oct-19	0.00	207005.00	
20	Lalitpur(124) SBI	Nov-19	0.00	104511.00	
21	Saharanpur(710) SBI	Nov-19	0.00	483750.00	
22	Sahjahanpur(3085) SBI	Nov-19	500.00	0.00	
23	Sitapur(720)SBI	Nov-19	0.00	265892.00	
25	KanpurNagar SBI (8240)	Dec-19	0.00	17095.00	
26	Chibramau SBI (1060)	Dec-19	0.00	186110.00	
27	Chatta SBI (749)	Dec-19	2695950.00	0.00	
28	Sahjahanpur SBI (3085)	Dec-19	18650.00	0.00	
29	Sitapur SBI (720)	Dec-19	6770.00	0.00	
30	Jhansi (Moth 1159)SBI	Dec-19	180.00	0.00	NI in 05/2020 MCS
31	Allahabad (06)	Jan-20	68035.00	0.00	
32	Hamirpur Maudaha(1136)	Jan-20	0.00	175814.00	
33	KanpurNagar SBI (8240)	Jan-20	0.00	12255924.00	
34	Shajhanpur SBI (3085)	Jan-20	22908.00	0.00	

35	Varanasi(201) SBI	Jan-20	700.00	0.00	NI in 03/2020 MCS
36	Bareilly (615) SBI	Feb-20	0.00	300.00	
37	Khiri - Mohamadi (747)	Feb-20	0.00	557510.00	
38	Saharanpur (710) Sbi	Feb-20	0.00	12031.00	
39	Saharanpur - Deoband (632) SBI	Feb-20	41000.00	0.00	
40	Shajhanpur - Nakur SBI (1145)	Feb-20	0.00	25.00	
41	Ballia - Bilthara road (2530) SBI	Feb-20	400.00	0.00	NI in 03/2020 MCS
42	Azamgarh-Sagari (Jiyanpur)212059	Mar-20	102900.00	0.00	
43	Firozabad (641) SBI	Mar-20	0.00	10000.00	
44	KanpurNagar SBI (8240)	Mar-20	0.00	100.00	
45	Pratapgarh (157) SBI	Mar-20	30980737.00	0.00	
46	Sitapur (Misrikh 1694)SBI	Mar-20	1000.00	0.00	
47	Irla Cheque	Mar-20	4735793.00	0.00	
	Total		38842735.00	16074644.00	

Year2019-2020 All Bank Agency Bank branch Discrepancies Detail

1	Allahabad (Koraon Ayodhya211519)	Apr-19	0.00	300.00	
2	Shrawasti(Bhinga)(AB) (210108)	Jun-19	0.00	3.00	
3	Baharich (Kaisarganj210109)	Jul-19	0.00	1020.00	
4	Lalitpur (Tal-Behat212135)	Aug-19	0.00	20.00	
5	Mirzapur (Marihan210334)	Aug-19	0.00	594.00	
6	Sonbhadra (Duddhi) (210097)	Aug-19	0.00	1.00	
7	Sonbhadra (Duddhi) (210097)	Sep-19	91501.00	0.00	
8	Sonbhadra (Ghorawal 211600)	Oct-19	20001.00	0.00	
9	Koraon Ayodhya(AB)(211519)	Nov-19	54.00	0.00	
10	Mirzapur (Lalganj 210272)	Feb-20	0.00	864401.00	
11	Mirzapur (Marihan210334)	Feb-20	0.00	949749.00	
12	Mirzapur (Lalganj 210272)	Mar-20	0.00	1105573.00	
13	Mirzapur (Marihan210334)	Mar-20	0.00	1082051.00	
14	Sitapur(Mahmoodabad)211108	Mar-20	0.00	12000.00	
	Total		111556.00	4015712.00	

Year2019-2020 UBI Agency Bank branch Discrepancies Details

1	Gahazipur Jakhania 541648)	Apr-19	0.00	5439.00	
2	Chandauli (Sakaldiha541923)	May-19	0.00	87.00	
3	Azamgarh (Mehnagar 535737)	Aug-19	0.00	2433.00	
4	Gahazipur Jakhania 541648)	Jan-20	430.00	0.00	
5	Chandauli (Sakaldiha541923)	Mar-20	65261.00	0.00	
6	Gahazipur Jakhania 541648)	Mar-20	0.00	65261.00	
	Total		65691.00	73220.00	

परिशिष्ट-(च)

धन-ऋण ज्ञापन में मार्च माह का अन्तिम अवशेष एवं अप्रैल माह के प्रारम्भिक अवशेष में अन्तर

क्र०सं०	कोषागार का नाम	हेड कोड	पी०एल०ए० का नाम	31.3.2019 को खाते में अवशेष	1.4.2019 को खाते में अवशेष	अन्तर
1	अलीगढ़	844800120050000	विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि	16660528	129160528	1125000
2	इलाहाबाद	844800120050000	सीडीओ, डीआरडीए, इलाहाबाद	435333842	435513842	180000
3	औरैया	844800120060200	वीएम विकास निधि डीआरडीए औरैया	58277816	58937016	659200
4	बागपत	844800101000000	टीएफसी, सीडीओ, विधायक निधि	27933238	28896838	963600
5	बाराबंकी	844800110000000	आईटीआई, बाराबंकी	1386360	1612560	226200
6	बुलन्दशहर	844800120050000	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बुलन्दशहर	137904320	140753120	2848800
7	गाजीपुर	844800120050000	विधायक निधि	268417281	268917281	500000
8	गोरखपुर	844800106000000	जीडीए (8448)	814907	819511	4604
9	गोरखपुर	844800106000000	टीएफ सैलरी मुण्डेरा बाजार	3450	8773	5323
10	गोरखपुर	844800106000000	टीएफ सैलरी पिपराईच	1	19038	19037
11	गोरखपुर	844800106000000	नगर निगम सैलरी एकाउन्ट गोरखपुर एसएफसी	0	98291	98291
12	गोरखपुर	844800106000000	गोरखपुर युनिवर्सिटी गोरखपुर, (8448)	18740	3389740	3371000
13	गोरखपुर	844800120050000	गोरखपुर इन्ड्री, अर्थोरेटी (8448)	0	100	100
14	गोरखपुर	844800106000000	डीआरडी ए, गोरखपुर (8448)	5911298	6137834	226536
15	गोरखपुर	844800106000000	वर्कमैन कम्पनसेशन (8448)	0	53030	53030
16	गोरखपुर	844800102000000	टीएफ सैलरी सहजनवाँ	415523	424460	8937
17	हरदोई	844800120030100	यूपी बेसिक शिक्षा निधि	24379279	24406561	27282
18	कन्नौज	844800120050000	सीडीओ जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कन्नौज	113333217	114482717	1149500
19	कानपुरनगर	844300123000000	प्रिन्सिपल गवर्नमेंट पोलीटेक्निक कानपुर	984024413	991698573	7674160
20	कौशाम्बी	844800120010000	नगर पंचायत चायल कौशाम्बी	0	645656	645656
21	खीरी	844800120060200	डीआरडीए खीरी	66148119	70500619	4352500
22	ललितपुर	844800120050000	टीएफसी नगर पंचायत महरोनी	412144	182144	-230000
23	ललितपुर	844800102000000	वेतन निधि एसएफसी महरोनी ललितपुर	-218248	11751	229999
24	ललितपुर	844800102000000	वेतन निधि, एसएफसी, तालबेहट ललितपुर	0	608683	608683
25	मैनपुरी	844800120050000	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) मैनपुरी	81513268	80113268	-1400000
26	मथुरा	844800120050000	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरए)ए-1 1507 / 10	99239076	100006076	767000
27	मुजफ्फरनगर	844300106000000	कम्पनसेशन वर्कमैन	0	32755	32755
28	पडरौना	844800102000000	मुन्सिपल फण्ड	308765	408765	100000
29	पीलीभीत	844800102000000	डीआरडीए, पीलीभीत	74416321	75841414	1425093
30	सम्भल	844800120100000	डीआरडीए, सम्भल	37525715	45025715	7500000
31	शामली	844800120050000	डीआरडीए, शामली	84520025	75110625	-9409400
32	सीतापुर	844800120050000	डीआरडीए, सीतापुर	103906911	111369766	7462855
33	संतकबीरनगर	844800120030000	बेसिक शिक्षा निधि संतकबीरनगर	-72181	0	72181

34	सोनभद्र	844800120050000	प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डीआरडीए, संतकबीरनगर	139115260	139634260	519000
35	श्रावस्ती	844800120030300	बेसिक शिक्षा निधि	10016	10015	-1
36	उन्नाव	844800120050000	डीआरडीए, उन्नाव (8448)	138047723	140947723	2900000
				2899687127	3045779048	14609192 1

परिशिष्ट-(छ)

कोषागारों द्वारा वैयक्तिक लेखों का मिलान महालेखाकार को प्रेषित न किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	आगरा	24	कन्नौज
2	इलाहाबाद	25	कानपुर देहात
3	इलाहाबाद-2	26	कानपुर नगर
4	अम्बेडकरनगर	27	कौशाम्बी
5	बागपत	28	खीरी
6	बहराइच	29	लखनऊ
7	बलरामपुर	30	लखनऊ-2
8	बुलन्दशहर	31	मथुरा
9	चन्दौली	32	मेरठ
10	चित्रकूट	33	मिर्जापुर
11	एटा	34	मुजफ्फरनगर
12	इटवा	35	पीलीभीत
13	फैजाबाद	36	रायबरेली
14	फर्रुखाबाद	37	रामपुर
15	फतेहपुर	38	सम्भल
16	फिरोजाबाद	39	शाहजहाँपुर
17	गाजियाबाद	40	शामली
18	गाजीपुर	41	सिद्धार्थनगर
19	गोण्डा	42	सीतापुर
20	हापुड़	43	संतकबीरनगर
21	हरदोई	44	श्रावस्ती
22	हाथरस	45	सुल्तानपुर
23	झाँसी	46	वाराणसी

परिशिष्ट (ज)**विलम्ब से प्राप्त मासिक लेखे की सूची:-**

क्र०सं०	लेखा	सूची	कोषागार का नाम	विलम्बित दिनों की संख्या
1	04/2019	प्रथम	कन्नौज	3
2	04/2019	प्रथम	लखनऊ-2	3
3	04/2019	प्रथम	शामली	5
4	04/2019	प्रथम	हापुड़	3
5	04/2019	प्रथम	लखनऊ	3
6	04/2019	प्रथम	सहारनपुर	3
7	05/2019	प्रथम	सिद्धार्थनगर	3
8	06/2019	द्वितीय	इरला चेक	3
9	06/2019	प्रथम	सिद्धार्थनगर	4
10	07/2019	प्रथम	हमीरपुर	3
11	08/2019	प्रथम	आगरा	3
12	08/2019	प्रथम	अमेठी	3
13	08/2019	प्रथम	बलरामपुर	3
14	08/2019	प्रथम	चन्दौली	3
15	08/2019	प्रथम	चित्रकूट	3
16	08/2019	प्रथम	इटवा	3
17	08/2019	प्रथम	फैजाबाद	3
18	08/2019	प्रथम	फतेहगढ़	3
19	08/2019	प्रथम	गोण्डा	3
20	08/2019	प्रथम	गोरखपुर	3
21	08/2019	प्रथम	लखनऊ-2	3
22	08/2019	प्रथम	मुरादाबाद	3
23	08/2019	प्रथम	पडरौना	3
24	08/2019	प्रथम	रायबरेली	3
25	08/2019	प्रथम	सन्तकबीरनगर	6
26	08/2019	प्रथम	शामली	3
27	08/2019	प्रथम	अलीगढ़	3
28	08/2019	प्रथम	अम्बेडकरनगर	3
29	08/2019	प्रथम	गाजीपुर	6
30	08/2019	प्रथम	हमीरपुर	3
31	08/2019	प्रथम	लखनऊ	3
32	08/2019	प्रथम	सीतापुर	3
33	08/2019	प्रथम	वाराणसी	3
34	08/2019	द्वितीय	इरला चेक	4
35	09/2019	प्रथम	बलरामपुर	3
36	09/2019	प्रथम	गोण्डा	3
37	09/2019	प्रथम	कन्नौज	3
38	09/2019	प्रथम	लखनऊ-2	3
39	09/2019	प्रथम	रायबरेली	3
40	09/2019	प्रथम	फिरोजाबाद	3
41	09/2019	प्रथम	लखनऊ	3
42	09/2019	प्रथम	सिद्धार्थनगर	3
43	09/2019	द्वितीय	गाजीपुर	4
44	09/2019	द्वितीय	कन्नौज	4
45	09/2019	द्वितीय	शामली	4
46	09/2019	द्वितीय	विधान सभा	4
47	10/2019	प्रथम	लखनऊ-2	4
48	10/2019	प्रथम	गाजीपुर	3
49	11/2019	प्रथम	शामली	6
50	01/2020	प्रथम	बलरामपुर	3
51	01/2020	प्रथम	फतेहगढ़	3
52	01/2020	प्रथम	लखनऊ-2	3
53	01/2020	प्रथम	शामली	4
54	01/2020	प्रथम	गाजीपुर	3
55	01/2020	प्रथम	जालौन	3
56	01/2020	प्रथम	वाराणसी	3

परिशिष्ट-झ

ऋण के चालान प्रपत्र पर पूर्ण विवरण जैसे-एस0एल0आर0 सं0 शासनादेश सं0 आदि को अंकित न किया जाना।

क्र0सं0	लेखाशीर्ष	माह	कोषागार	चालान जमा करने वाले पद का नाम	चालान सं0 एवं दिनांक	धनराशि ₹
1	6075	01/2020	कानपुर	फाइनेंस कंट्रोलर यू0पी0एस0आई0डी0 कानपुर	AD-00240/ 13-1-2020	199833653
2	6425	01/2020	लखनऊ कलेक्ट्रेट	उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0	AQ/00071/30-1-2020	10985000
3	6425	01/2020	लखनऊ कलेक्ट्रेट	उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0	A2A-3661/2-1-2020	5186
4	6401	02/2020	सुल्तानपुर	सा0सह0समिति लि0 रामपुर विकास खण्ड कादीपुर, सुल्तानपुर	26/10-2-2020	2000
5	6401	02/2020	रामपुर	योजनान्तर्गत सहकारी कृषि योजना हेतु ऋण वापसी का बकाया	B002/29-2-2020	1137
6	6425	02/2020	सुल्तानपुर	सा0सह0समिति नारायण नागनाथपुर विकास खण्ड करौंदीकला सुल्तानपुर	28/10-2-2020	2000
7	6425	02/2020	इटवा	सहकारी ग्रामीण उपभोक्ता योजनान्तर्गत ऋण की वापसी	B001/24-2-2020	1072
8	6425	02/2020	बरेली	आई0सी0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत ऋण वापसी सहकारिता विभाग	BR-00097/15-2-2020	12066184
9	6425	02/2020	रामपुर	राजकीय योजनान्तर्गत ग्रामीण उपभोक्ता योजना हेतु ऋण की वापसी	36/29-2-2020	18000
10	6425	02/2020	लखनऊ कले0	उ0प्र0 सहकारी बैंक के कृषि ऋण सुदृढीकरण निधि को सुदृढ करने हेतु स्वीकृत ऋण	B-302409/3-2-2020	4970
11	6235	03/2020	प्रतापगढ़	निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण उ0प्र0 लखनऊ	C-500004/18-3-2020	2000
12	6235	03/2020	श्रावस्ती	निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण उ0प्र0 लखनऊ	5/11-3-2020	500
13	6851	03/2020	आजमगढ़	संग्रह अमीन सदर, आजमगढ़	CK00062/20-3-2020	15000
14	6235	03/2020	कानपुर नगर	जिला दिव्यांग जन सशक्तीकरण अधिकारी, कानपुर नगर	CC-00030/12-3-2020	2100
15	6235	03/2020	फर्रुखाबाद	जिला दिव्यांग सशक्तीकरण अधिकारी, फर्रुखाबाद	CN-00026/23-3-2020	750
16	6217	02/2020	बौदा	सचिव, बौदा विकास प्राधिकरण बौदा	BA-00056/10-2-2020	7500000
17	6235	02/2020	मथुरा	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, मथुरा	BD-00036/13-2-2020	1000
18	6235	02/2020	उन्नाव	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, उन्नाव	BD-00030/28-02-2020	7500
19	6235	02/2020	ललितपुर	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, ललितपुर	B-500007/5-2-2020	2000
20	6235	02/2020	संतकबीरनगर	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, संतकबीरनगर	BJ-00053/19-02-2020	5500
21	6235	02/2020	बाराबंकी	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, बाराबंकी	B500045/28-2-2020	500
22	6235	02/2020	शामली	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, शामली	78/24-2-2020	2500

*_**

परिशिष्ट-1

वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में निरीक्षण किये गये कोषागारों/उपकोषागारों की सूची:-

क्र०सं०	कोषागार/उपकोषागार	क्र०सं०	कोषागार/उपकोषागार
1.	इलाहाबाद (कलेक्ट्रेट) कोषागार	12.	बरेली कोषागार
(i)	बारा उपकोषागार	(i)	बहेड़ी उपकोषागार
(ii)	हंडिया "	(ii)	आंवला "
(iii)	करछना "	(iii)	फरीदपुर "
(iv)	कोरांव "	(iii)	मीरगंज "
(v)	मेजा "	(iv)	नवाबगंज "
(vi)	फूलपुर "	13.	बस्ती कोषागार
(vii)	सोरांव "	(i)	भानपुर उपकोषागार
2.	इलाहाबाद (सिविल लाइन्स) कोषागार	(ii)	हरैया "
3.	आगरा कोषागार	14.	बाँदा कोषागार
(i)	बाह उपकोषागार	(i)	अतर्रा उपकोषागार
(ii)	एत्मादपुर "	(ii)	बबेरू "
(iii)	फतेहाबाद "	(iii)	नरैनी "
(iv)	किरावली "	15.	बहराइच कोषागार
4.	अलीगढ़ कोषागार	(i)	कैसरगंज उपकोषागार
(i)	अतरौली उपकोषागार	(ii)	महसी "
(ii)	इगलास "	(iii)	नानपारा "
(iii)	खैर "	16.	बाराबंकी कोषागार
(iv)	गभना "	(i)	हैदरगढ़ उपकोषागार
5.	आजमगढ़ कोषागार	(ii)	रामनगर "
(i)	बूढ़नपुर उपकोषागार	(iii)	रामसनेही घाट "
(ii)	लालगंज "	(iv)	फतेहपुर "
(iii)	फूलपुर "	17.	बागपत कोषागार
(iv)	सगड़ी "	(i)	बड़ौत उपकोषागार
6.	अम्बेडकरनगर कोषागार	18.	बुलन्दशहर कोषागार
(i)	आलापुर उपकोषागार	(i)	अनूपशहर उपकोषागार
(ii)	जलालपुर "	(ii)	स्याना "
(iii)	टांडा "	(iii)	डिबाई "
7.	औरैया कोषागार	(iv)	खुर्जा "
(i)	विधुना उपकोषागार	(v)	सिकन्दराबाद "
8.	चित्रकूट कोषागार	19.	बिजनौर कोषागार
9.	बलिया कोषागार	(i)	चाँदपुर उपकोषागार
(i)	बैरिया उपकोषागार	(ii)	धामपुर "
(ii)	बांसडीह "	(iii)	नगीना "
(iii)	बेल्थारोड "	(iv)	नजीबाबाद "
(iv)	रसड़ा "	20.	चन्दौली कोषागार
(v)	सिकन्दरपुर "	(i)	चकिया उपकोषागार
10.	बदायूँ कोषागार	(ii)	सकलडीहा "
(i)	बिसौली उपकोषागार	21.	जालौन कोषागार
11.	बलरामपुर कोषागार	(i)	जालौन उपकोषागार
(i)	तुलसीपुर उपकोषागार	(ii)	कालपी "
(ii)	उतरौला "	(iii)	कोंच "

22. देवरिया कोषागार	36. झाँसी कोषागार
(i) रुद्रपुर उपकोषागार	(ii) मऊरानीपुर उपकोषागार
(ii) सलेमपुर "	(iii) मौंट उपकोषागार
23. फर्रुखाबाद कोषागार	37. महाराजगंज कोषागार
(i) कायमगंज उपकोषागार	(i) फरेन्दा उपकोषागार
24. एटा कोषागार	(ii) नौतनवा "
(i) अलीगंज उपकोषागार	(iii) निचलौल "
(ii) जलेसर "	38. जौनपुर कोषागार
25. इटावा कोषागार	(i) बदलापुर उपकोषागार
(i) भरथना उपकोषागार	(ii) केराकत "
(ii) सैफई "	(iii) मछलीशहर "
26. फिरोजाबाद कोषागार	(iv) मड़ियाहूँ "
(i) शिकोहाबाद उपकोषागार	(v) शाहगंज "
27. फतेहपुर कोषागार	39. कौशाम्बी कोषागार
(i) बिन्दकी उपकोषागार	(i) सिराथू उपकोषागार
(ii) खागा "	40. कुशीनगर कोषागार
28. फैजाबाद कोषागार	(i) हाटा उपकोषागार
(i) बीकापुर उपकोषागार	41. कानपुर नगर कोषागार
(ii) मिल्कीपुर "	(i) घाटमपुर उपकोषागार
(iii) रुदौली "	(ii) बिल्हौर "
(iv) सोहावल "	42. कानपुर देहात कोषागार
29. गोण्डा कोषागार	(ii) डेरापुर उपकोषागार
(i) कर्नैलगंज उपकोषागार	(iii) रसूलाबाद "
(ii) मनकापुर उपकोषागार	(iv) सिकन्दरा "
30. गाजियाबाद कोषागार	43. कन्नौज कोषागार
(i) मोदीनगर उपकोषागार	(i) छिबरामऊ उपकोषागार
31. गोरखपुर कोषागार	44. ललितपुर कोषागार
(i) बौसगाँव उपकोषागार	(i) महरौनी उपकोषागार
(ii) कैम्पियरगंज उपकोषागार	45. लखीमपुर खीरी कोषागार
(iii) चौरी-चौरा उपकोषागार	(i) पलिया उपकोषागार
(iv) गोला उपकोषागार	46. जवाहर भवन कोषागार लखनऊ
(v) खजनी उपकोषागार	47. लखनऊ (कलेक्ट्रेट) कोषागार
(vi) सहजनवा उपकोषागार	(i) मोहनलालगंज उपकोषागार
32. गौतमबुद्धनगर कोषागार	48. रायबरेली कोषागार
(i) दादरी उपकोषागार	(i) लालगंज उपकोषागार
33. गाजीपुर कोषागार	(ii) महाराजगंज उपकोषागार
(i) जखनियौ उपकोषागार	(iii) सलोन उपकोषागार
34. हरदोई कोषागार	49. सिद्धार्थनगर कोषागार
(i) बिलग्राम उपकोषागार	(i) बांसी उपकोषागार
(ii) सण्डीला उपकोषागार	(ii) डुमरियागंज उपकोषागार
35. ज्योतिबाफूले नगर कोषागार	(iii) इटवा "
(i) धनौरा उपकोषागार	50. सहारनपुर कोषागार
(ii) हसनपुर उपकोषागार	(i) बेहट उपकोषागार
(iii) बक्शी का तालाब "	(ii) नकुड़ "
	(iii) देवबन्द "

51.	मैनपुरी कोषागार	65.	सोनभद्र कोषागार
(i)	भोगाँव उपकोषागार	66.	रामपुर कोषागार
(ii)	करहल "	(i)	बिलासपुर उपकोषागार
52.	सम्भल कोषागार	(ii)	मिलक "
(i)	चन्दौसी उपकोषागार	(iii)	शाहाबाद "
(ii)	गुन्नौर "	(iv)	स्वार "
53.	मऊ कोषागार	(v)	टाण्डा "
(i)	घोसी उपकोषागार	67.	महामायनगर (हाथरस) कोषागार
54.	महोबा कोषागार	(i)	सादाबाद उपकोषागार
(i)	कुलपहाड़ उपकोषागार	(ii)	सिकन्दराराऊ "
55.	श्रावस्ती कोषागार	68.	सुल्तानपुर कोषागार
56.	अमेठी कोषागार	(i)	कादीपुर "
(i)	तिलोई उपकोषागार	69.	शाहजहाँपुर कोषागार
(ii)	अमेठी "	(i)	जलालाबाद उपकोषागार
(iii)	मुसाफिर खाना "	(ii)	पुवार्यौ "
57.	मेरठ कोषागार	(iii)	तिलहर "
(i)	मवाना उपकोषागार	70.	सन्तकबीर नगर कोषागार
(ii)	सरधना "	(i)	मैंहदावल उपकोषागार
58.	मिर्जापुर कोषागार	71.	उन्नाव कोषागार
(i)	चुनार उपकोषागार	(i)	हसनपुर उपकोषागार
59.	मुरादाबाद कोषागार	(ii)	पुरवा "
(i)	बिलारी उपकोषागार	(iii)	सफीपुर "
(ii)	ठाकुरद्वारा "	72.	वाराणसी कोषागार
60.	मुजफ्फरनगर कोषागार	73.	कांशीराम नगर कोषागार
(i)	बुढ़ाना उपकोषागार	(i)	पटियाली उपकोषागार
(ii)	जानसठ "	74.	हमीरपुर कोषागार
61.	प्रतापगढ़ कोषागार	(i)	मौदहा उपकोषागार
(i)	कुण्डा उपकोषागार	(ii)	राठ उपकोषागार
(ii)	पट्टी "	75.	राजभवन उत्तर प्रदेश
62.	पीलीभीत कोषागार	76.	शामली कोषागार
(i)	बीसलपुर उपकोषागार	(i)	कैराना उपकोषागार
(ii)	पूरनपुर "	77.	हापुड़ कोषागार
63.	संत रविदास नगर (भदोही) कोषागार		गढ़मुक्तेश्वर उपकोषागार
64.	सीतापुर कोषागार	78.	पी0ए0ओ0 यू0पी0 भवन कोषागार, नई दिल्ली
(i)	महमूदाबाद "	(i)	छाता उपकोषागार (कोषागार मथुरा)
(ii)	सिधौली "		

परिशिष्ट-2

प्रथम अनुपालन आख्या का प्रेषण न किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार/उपकोषागार	क्र०सं०	कोषागार/उपकोषागार
1	इलाहाबाद (कलेक्ट्रेट)	29	ज्योतिबाफूले नगर
2	इलाहाबाद (सिविल लाइन्स)	30	मैनपुरी
3	आगरा	31	सम्मल
4	अलीगढ़	32	बरेली
5	बाराबंकी	33	बस्ती
6	बागपत	34	बुलन्दशहर
7	अम्बेडकरनगर	35	चन्दौली
8	औरैया	36	जौनपुर
9	बलिया	37	कानपुर नगर
10	बदायूँ	38	कुशीनगर
11	देवरिया	39	कानपुर देहात
12	एटा	40	कन्नौज
13	इटावा	41	ललितपुर
14	फिरोजाबाद	42	लखीमपुर खीरी
15	फतेहपुर	43	जवाहर भवन कोषागार लखनऊ
16	फैजाबाद	44	रायबरेली
17	गाजियाबाद	45	सिद्धार्थनगर
18	गोरखपुर	46	रामपुर
19	मुजफ्फरनगर	47	महामायानगर (हाथरस)
20	वाराणसी	48	सुल्तानपुर
21	काशीराम नगर	49	शाहजहाँपुर
22	हमीरपुर	50	सन्तकबीर नगर
23	हापुड़	51	उन्नाव
24	मथुरा	52	मुरादाबाद
25	बदायूँ	53	बिजनौर
26	फिरोजाबाद	54	गोण्डा
27	गौतमबुद्धनगर	55	गाजीपुर
28	हरदोई		
क्र०सं०	उपकोषागार का नाम	क्र०सं०	उपकोषागार का नाम
1	बारा उपकोषागार	19	मीरगंज
2	हंडिया	20	नवाबगंज
3	करछना	21	भानपुर
4	कोरांव	22	हरैया
5	मेजा	23	अनूपशहर
6	फूलपुर	24	स्याना
7	सोरांव	25	डिबाई
8	बाह	26	खुर्जा
9	एत्मादपुर	27	सिकन्दराबाद
10	फतेहाबाद	28	चाँदपुर
11	किरावली	29	धामपुर
12	खैर	30	नगीना
13	हैदरगढ़	31	नजीबाबाद
14	रामनगर	32	चकिया
15	रामसनेही घाट	33	सकलडीहा
16	फतेहपुर	34	मऊरानीपुर
17	बडौत	35	मोठ
18	आलापुर	36	बदलापुर

37	जलालपुर	96	केराकत
38	टांडा	97	बांसडीह
39	विधुना	98	बेल्थरारोड
40	बैरिया	99	रसड़ा
41	बहेड़ी	100	सिकन्दरपुर
42	आवला	101	बिसौली
43	फरीदपुर	102	रुद्रपुर
44	सलेमपुर	103	हाटा
45	कायमगंज	104	घाटमपुर
46	अलीगंज	105	बिल्हौर
47	जलेसर	106	डेरापुर
48	भरथना	107	रसूलाबाद
49	सेफई	108	सिकन्दरा
50	शिकोहाबाद	109	छिबरामऊ
51	बिन्दकी	110	महरौनी
52	खागा	111	पलिया
53	बीकापुर	112	लालगंज
54	मिल्कीपुर	113	महराजगंज
55	रुदौली	114	सलोन
56	सोहावल	115	बांसी
57	कर्नेलगंज	116	डुमरियागंज
58	मनकापुर	117	इटवा
59	मोदीनगर	118	बेहट उप
60	बाँसगाँव	119	नकुड़
61	कैम्पियरगंज	120	देवबन्द
62	चौरी-चौरा	121	बिलासपुर
63	गोला	122	मिलक
64	खजनी	123	शाहाबाद
65	सहजनवा	124	स्वार
66	दादरी	125	टाण्डा
67	जखनियाँ	126	सादाबाद
68	बिलग्राम	127	सिकन्दराराऊ
69	सण्डीला	128	कादीपुर
70	धनौरा	129	जलालाबाद
71	हसनपुर	130	पुवार्यौ
72	बक्शी का तालाब	131	तिलहर
73	भोगाँव	132	मेंहदावल
74	करहल	133	हसनपुर
75	चन्दौसी	134	पुरवा
76	गुन्नौर	135	सफीपुर
77	मवाना	136	पटियाली
78	सरधना	137	मौदहा
79	बुढाना	138	राठ
80	जानसठ	139	कैराना
81	बीसलपुर	140	गढमुक्तेश्वर
82	पूरनपुर	141	चुनार
83	मछलीशहर	142	बिलारी
84	मड़ियाहूँ	143	ठाकुरद्वारा
85	शाहगंज	144	छाता

परिशिष्ट-3**दिनांक 31-3-2020 को अनिस्तारित प्रस्तरो का वर्षवार विवरण:-**

निरीक्षण वर्ष	शृंखला	प्रतिवेदनों की सं०	प्रस्तरो की सं०		योग
			भाग-2 (अ)	भाग-2 (ब)	
2007-2008	AB	2	1	2	3
2016-2017	AM	1	1	5	6
2017-2018	AN	170	143	480	623
2018-2019	AP	148	130	561	691
2019-2020	AQ	279	486	2007	2493
योग-		600	761	3055	3816

परिशिष्ट-4**दिनांक-31-03-2020 को अनिस्तारित प्रस्तरो का मंडलवार विवरण।**

क्र०सं०	मण्डल का नाम	प्रतिवेदनों की सं०	प्रस्तरो की सं० भाग-2 (अ)	प्रस्तरो की सं० भाग-2 (ब)	टोटल
1	मुरादाबाद	54	77	275	352
2	आगरा	26	36	147	183
3	इलाहाबाद	37	47	214	261
4	वाराणसी	41	47	164	211
5	मिर्जापुर	17	16	80	96
6	आजमगढ़	33	37	178	215
7	बस्ती	24	24	113	137
8	सहारनपुर	22	46	125	171
9	बरेली	38	47	148	195
10	देवीपाटन (गोण्डा)	17	18	96	114
11	झाँसी	17	23	90	113
12	मेरठ	44	59	252	311
13	कानपुर नगर	29	41	188	229
14	चित्रकूट	30	46	170	216
15	गोरखपुर	36	40	161	201
16	फैजाबाद	44	64	195	259
17	लखनऊ	66	71	355	426
18	अलीगढ़	25	22	104	126
योग-		600	761	3055	3816

परिशिष्ट-5**स्टाम्प वेण्डरो को दी गई 1 प्रतिशत छूट का विवरण का अभिलेख तैयार न करना।**

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	प्रतापगढ़	10	सिद्धार्थनगर
2	अलीगढ़	11	बागपत
3	कुशीनगर	12	वाराणसी
4	फर्रुखाबाद	13	जालौन
5	उन्नाव	14	झाँसी
6	फिरोजाबाद	15	महोबा
7	फतेहपुर	16	शामली
8	गाजियाबाद	17	इटवा
9	हापुड	18	मिर्जापुर

क्र०सं०	उपकोषागार का नाम	क्र०सं०	उपकोषागार का नाम
1	कालपी	17	डुमरियागंज
2	गरौठा	18	अतर्रा
3	इगलास	19	बबेरू
4	बिलग्राम	20	नरैनी
5	खजनी	21	बड़ौत
6	सहजनवाँ	22	खागा
7	कैम्पियरगंज	23	रसूलाबाद
8	बोंस गाँव	24	सिकन्दरा
9	खुर्जा	25	टहरौली
10	स्याना	26	मोंठ
11	हाटा	27	कुलपहाड़
12	सफीपुर	28	अतरौली
13	मोदीनगर	29	गभना
14	नौतनवाँ	30	बिलारी
15	बोंसी	31	बिन्दकी
16	इटवा	32	मऊरानीपुर

परिशिष्ट-6

आर०बी०डी० रजिस्टर का रख रखाव

क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	हमीरपुर

परिशिष्ट-7

राजपत्रित अधिकारी के रजिस्टर का रख-रखाव न किया जाना

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	बुलन्दशहर	9	इलाहाबाद कलेक्ट्रेट
2	गोरखपुर	10	अमेठी
3	कुशीनगर	11	कौशाम्बी
4	सिद्धार्थनगर	12	हरदोई
5	जे०पी० नगर	13	लखनऊ कलेक्ट्रेट
6	फतेहपुर	14	बौदा
7	वाराणसी	15	फिरोजाबाद
8	इलाहाबाद सिविल लाइन्स		

परिशिष्ट-8

एन0एस0डी0एल0 को सेवा शुल्क के रूप में अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया जाना ।

क्र0सं0	कोषागार का नाम	क्र0सं0	कोषागार का नाम
1	बरेली	15	बौदा
2	शामली	16	औरैया
3	अलीगढ़	17	कौशाम्बी
4	गोरखपुर	18	हाथरस
5	बुलन्दशहर	19	सिद्धार्थनगर
6	फर्रुखाबाद	20	जौनपुर
7	उन्नाव	21	फतेहपुर
8	फिरोजाबाद	22	वाराणसी
9	मुजफ्फरनगर	23	सहारनपुर
10	गाजियाबाद	24	अमरोहा (जे0पी0 नगर)
11	मुरादाबाद	25	बागपत
12	बिजनौर	26	हरदोई
13	महराजगंज	27	बस्ती
14	मेरठ		

परिशिष्ट-9

डी0सी0आई0 की धनराशि को प्रान खाते में अन्तरित न किया जाना ।

क्र0सं0	कोषागार का नाम	क्र0सं0	कोषागार का नाम
1	बहराइच	12	फर्रुखाबाद
2	सीतापुर	13	फिरोजाबाद
3	कौशाम्बी	14	जौनपुर
4	कानपुरनगर	15	सहारनपुर
5	झाँसी	16	गौतमबुद्धनगर
6	प्रतापगढ़	17	मेरठ
7	सुल्तानपुर	18	मुजफ्फरनगर
8	अलीगढ़	19	बागपत
9	आगरा	20	अमरोहा
10	लखनऊ (कलेक्ट्रेट)	21	बिजनौर
11	गाजियाबाद		

परिशिष्ट-10
प्रान का आवंटन न किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	बलरामपुर	26	बाराबंकी
2	बहराईच	27	शाहजहाँपुर
3	इलाहाबाद सिविल लाइन्स	28	सहारनपुर
4	हाथरस	29	ललितपुर
5	एटा	30	लखीमपुरखीरी
6	कानपुर देहात	31	फिरोजाबाद
7	बलिया	32	फैजाबाद (अयोध्या)
8	मिर्जापुर	33	जौनपुर
9	प्रतापगढ़	34	गौतमबुद्धनगर
10	जालौन	35	फतेहपुर
11	सुल्तानपुर	36	वाराणसी
12	गोण्डा	37	गाजियाबाद
13	आजमगढ़	38	हापुड़
14	हरदोई	39	संतकबीरनगर
15	कानपुर नगर	40	चित्रकूट
16	अलीगढ़	41	हमीरपुर
17	कौशाम्बी	42	बदायूँ
18	आगरा	43	अम्बेडकरनगर
19	गोरखपुर	44	मेरठ
20	बुलन्दशहर	45	मुजफ्फरनगर
21	रामपुर	46	बागपत
22	कुशीनगर	47	जे०पी० नगर
23	बोदा	48	मुरादाबाद
24	सम्भल	49	बिजनौर
25	सिद्धार्थनगर		

परिशिष्ट-11
व्यपगत जमा का विवरण महालेखाकार को प्रेषित न किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	धनराशि ₹
1	इलाहाबाद कले०	756556102
2	बस्ती	1746600
3	अमरोहा	81562968
4	ललितपुर	120456670
5	चित्रकूट	94914178
6	हमीरपुर	51727887
7	बदायूँ	125961746
	योग-	1232926151

परिशिष्ट-12

उपादान का कम भुगतान किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	पेंशनरों की संख्या	धनराशि ₹
1	इलाहाबाद सि०ला०	01	10990
2	मऊ	02	151456
3	कन्नौज	01	128760
4	झाँसी	10	286688
5	शामली	07	1143936
6	कुशीनगर	01	150622
7	पीलीभीत	03	751855
8	जालौन	07	1828331
9	महोबा	03	101569
10	औरैया	01	18492
11	बरेली	01	27324
12	कासगंज	01	21483
13	ललितपुर	06	133367
14	हमीरपुर	04	1799153
15	बदायूँ	04	298587
	योग-	52	6852613

परिशिष्ट-13

राशिकरण में कम भुगतान किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	पेंशनरों की संख्या	राशि ₹
1	महोबा	12	110947
2	शामली	02	1804740
3	पीलीभीत	01	9115
4	पी०ओ० नई दिल्ली	01	14641
5	बाराबंकी	01	3787
	योग-	17	1943230

परिशिष्ट-14

पेंशन का अधिक भुगतान

क्र०सं०	कोषागार का नाम	पेंशनर का नाम श्री/श्रीमती	पीपीओ सं०	धनराशि ₹
1	अलीगढ़	कपूरी देवी	30127	45382
2	बलिया	सुरेन्द्र नाथ यादव,	UP-8707	44677
		योग-		90059

परिशिष्ट-15

मृत्यु उपादान का अधिक भुगतान किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	नाम	इण्डेक्स सं०	धनराशि ₹
1	मऊ	श्रीमती सावित्री सिंह	C/10007308	49487
2	श्रावस्ती	श्रीमती गुड़िया देवी	C/0000696	12870
		योग-		62357

परिशिष्ट-16

पेंशन का राशिकरण में अधिक भुगतान किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम श्री/श्रीमती	पी०पी०ओ० सं०	भुगतान की जाने वाली मूल पेंशन राशि ₹
1	लखीमपुरखीरी	कु० निर्मला देवी	2/042/023550	6315

परिशिष्ट-17

तीन वर्षों से अधिक समय से अनाहरित पेंशन प्रकरण।

क्र०सं०	कोषागार/उपकोषागार का नाम	पेंशनरों की संख्या	क्र०सं०	कोषागार/उपकोषागार का नाम	पेंशनरों की संख्या
1	बलरामपुर	99	20	फर्रुखाबाद	97
2	बहराइच	151	21	उन्नाव	674
3	इलाहाबाद सिविल लाइन्स	903	22	गाजियाबाद	691
4	इलाहाबाद कलेक्ट्रेट	622	23	पी०ए०ओ० नई दिल्ली	02
5	मैनपुरी	41	24	हापुड	118
6	कानपुर देहात	108	25	सम्भल	03
7	मिर्जापुर	10	26	सन्तरविदासनगर	10
8	जालौन	624	27	अमरोहा	192
9	आजमगढ़	1	28	बिजनौर	01
10	झाँसी	703	29	श्रावस्ती	39
11	रायबरेली	16	30	मेरठ	822
12	महोबा	14	31	बागपत	294
13	कानपुर नगर	18	32	मुरादाबाद	55
14	अलीगढ़	3332	33	औरैया	384
15	कौशाम्बी	78	34	देवरिया	1076
16	आगरा	3897	35	सोनभद्र	563
17	बुलन्दशहर	168	36	फैजाबाद	10
18	पीलीभीत	14	37	अम्बेडकरनगर	10
19	लखीमपुर खीरी	09	38	मुजफ्फरनगर	385
				योग—	16234

परिशिष्ट-18

आवश्यकता से अधिक स्टाम्पों का भण्डारण।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	बलरामपुर	17	महोबा
2	बहराईच	18	अलीगढ़
3	हाथरस	19	देवरिया
4	एटा	20	महराजगंज
5	बलिया	21	उन्नाव
6	मिर्जापुर	22	हापुड़
7	प्रतापगढ़	23	अमरोहा (जे०पी० नगर)
8	सुल्तानपुर	24	सहारनपुर
9	गोण्डा	25	बागपत
10	आजमगढ़	26	गौतमबुद्धनगर
11	हरदोई	27	बदायूँ
12	इटावा	28	कासगंज
13	बुलन्दशहर	29	संतरविदासनगर
14	बाराबंकी	30	शाहजहाँपुर
15	फर्रुखाबाद	31	मुजफ्फरनगर
16	फिरोजाबाद		
क्र०सं०	उपकोषागार का नाम	क्र०सं०	उपकोषागार का नाम
1	तुलसीपुर	30	टाण्डा
2	उतरौला	31	बदलापुर
3	कैसरगंज	32	केराकत
4	नानपारा	33	मड़ियाहूँ
5	हण्डिया	34	बिन्दकी
6	भोगाँव	35	खागा
7	डेरापुर	36	मऊ
8	कोंच	37	राठ
9	सगड़ी	38	मौदहा
10	लालगंज	39	दादरी
11	पट्टी	40	बिल्सी
12	तिलोई	41	बिसौली
13	महराजगंज	42	बेहट
14	डलमऊ	43	देवबन्द
15	लालगंज	44	शिकोहाबाद
16	फूलपुर (आजमगढ़)	45	रुद्रपुर
17	बाह	46	नवाबगंज
18	बिलग्राम	47	मिलक
19	फतेहाबाद	48	धौरहरा
20	रुद्रपुर	49	फतेहपुर (बाराबंकी)
21	सहजनवाँ	50	जसराना
22	हाटा	51	बुढ़ाना
23	चकिया	52	खैर
24	सरधना	53	बीसलपुर
25	जलालपुर	54	रामसनेही घाट
26	बिलासपुर	55	हसनगंज
27	स्वार	56	सफीपुर
28	शाहाबाद	57	जानसठ
29	महसी		

परिशिष्ट-19
अधिकासी अभियन्ता द्वारा द्वितालक कक्ष का सुरक्षा प्रमाण
पत्र प्राप्त न किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	आगरा	8	औरैया
2	बलरामपुर	9	सोनभद्र
3	कानपुर नगर	10	गोरखपुर
4	शामली	11	कुशीनगर
5	बलिया	12	बौदा
6	आजमगढ़	13	फतेहपुर
7	गोण्डा	14	मिर्जापुर
क्र०सं०	उपकोषागार का नाम	क्र०सं०	उपकोषागार का नाम
1	मुसाफिरखाना	12	फतेहाबाद
2	शाहाबाद	13	किरावली
3	मिलक	14	खजनी
4	मोहनलालगंज	15	सहजनवाँ
5	भानपुर	16	चौरी-चौरा
6	कौंच	17	बाँसगाँव
7	गरौठा	18	हाटा
8	कुलपहाड़	19	शिकोहाबाद
9	बाँसडीह	20	सरधना
10	अतरौली	21	ऑवला
11	इगलास	22	चुनार

परिशिष्ट-20**कोषागार में मानक से कम सुरक्षा बलों की तैनाती**

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	बहराईच	33	पीलीभीत
2	इलाहाबाद (कले०)	34	लखीमपुरखीरी
3	मैनपुरी	35	फर्रुखाबाद
4	कन्नौज	36	उन्नाव
5	हाथरस	37	फिरोजाबाद
6	एटा	38	गाजीपुर
7	मऊ	39	मुजफ्फरनगर
8	बस्ती	40	गाजियाबाद
9	सीतापुर	41	हापुड़
10	अमेठी	42	सम्भल
11	कानपुर देहात	43	सन्तरविदासनगर
12	बलिया	44	बाराबंकी
13	प्रतापगढ़	45	शाहजहाँपुर
14	बरेली	46	बिजनौर
15	गोण्डा	47	जौनपुर
16	आजमगढ़	48	श्रावस्ती
17	झाँसी	49	मेरठ
18	रायबरेली	50	बागपत
19	हरदोई	51	मुरादाबाद
20	महोबा	52	चित्रकूट
21	शामली	53	गौतमबुद्धनगर
22	कानपुर नगर	54	फतेहपुर
23	अलीगढ़	55	हमीरपुर
24	कौशाम्बी	56	अम्बेडकरनगर
25	कासगंज	57	संतकबीरनगर
26	आगरा	58	वाराणसी
27	गोरखपुर	59	बदायूँ
28	बुलन्दशहर	60	अमरोहा
29	देवरिया	61	ललितपुर
30	महाराजगंज	62	बलरामपुर
31	सोनभद्र	63	इटवा
32	कुशीनगर	64	रामपुर

उपकोषागार में मानक से कम सुरक्षा बलों की तैनाती

क्र०सं०	उपकोषागार का नाम	क्र०सं०	उपकोषागार का नाम
1	तुलसीपुर	50	सलोन
2	उतरौला	51	गरौठा
3	महसी	52	मोट
4	कैसरगंज	53	मनकापुर
5	नानपारा	54	करनैलगंज
6	हण्डिया	55	फरीदपुर
7	फूलपुर	56	मीरगंज
8	सौराँव	57	नवाबगंज
9	मेजा	58	अतरौली
10	करछना	59	इगलास
11	छिबरामऊ	60	टहरौली
12	सिकन्दराराऊ	61	खैर
13	जलेशर	62	कुलपहाड़
14	घोसी	63	गभना
15	भानपुर	64	बाह
16	लहरपुर	65	टाण्डा
17	मिश्रिख	66	एल्मादपुर
18	सिंधौली	67	बिल्हौर
19	बिसवाँ	68	घाटमपुर
20	महमूदाबाद	69	किरावली
21	मुसाफिरखाना	70	शाहाबाद
22	डैरापुर	71	सिराथू
23	सिकन्दरा	72	पटियाली
24	रसूलाबाद	73	फतेहाबाद
25	जालौन	74	मिलक
26	बैरिया	75	स्वार
27	सिकन्दरपुर	76	बक्शी का तालाब
28	बेल्थरा रोड	77	मलीहाबाद
29	बॉसडीह	78	चोपन
30	रसड़ा	79	सलेमपुर
31	सगड़ी	80	रुद्रपुर
32	बूढ़नपुर	81	खजनी
33	चकरनगर	82	पूरनपुर
34	भरथना	83	कायमगंज
35	सैफई	84	बीसलपुर
36	चुनार	85	मोहनलालगंज
37	लालगंज (मिर्जापुर)	86	कैम्पियरगंज
38	मडिहान	87	हसनगंज
39	पट्टी	88	गोला
40	कुण्डा	89	दुखी
41	अमेठी	90	सिकन्दराबाद
42	तिलोई	91	हैदरगढ़
43	महराजगंज	92	चकिया
44	डलमऊ	93	फरेन्दा
45	फूलपुर (आजमगढ़)	94	नौतनवाँ
46	निधासन	95	निचलौल
47	पलिया	96	रामसनेहीघाट
48	पुरवा	97	सिरौली
49	सफीपुर	98	फतेहपुर

99	धौरहरा	127	मवाना
100	शिकोहाबाद	128	सरधना
101	रामनगर	129	पुवार्यौ
102	ऑवला	130	जखनियौ
103	मऊरानीपुर	131	गढमुक्तेश्वर
104	बहेडी	132	जलालाबाद
105	लालगंज मिर्जापुर	133	चन्दोसी
106	बुढाना	134	मौदहा
107	अतर्रा	135	दादरी
108	बबेरू	136	मैहदावल
109	नरैनी	137	नकुड़
110	तिलहर	138	बारा
111	जानसठ	139	कोरांव
112	बिलारी	140	हरैया
113	ठाकुरद्वारा	141	अमेठी
114	चौदपुर	142	तिलोई
115	धामपुर	143	महराजगंज
116	धनौरा	144	डलमऊ
117	नगीना	145	सलोन
118	नजीबाबाद	146	चरखा
119	बीकापुर	147	बिसौली
120	आलापुर	148	नकुड़
121	जलालपुर	149	बिन्दकी
122	टाण्डा	150	चुनार
123	खागा	151	पट्टी
124	तालबेहट	152	नजीबाबाद
125	महरोनी	153	नगीना
126	राठ	154	धनौरा

परिशिष्ट-21

**कोषागार के द्वितालक कक्ष में बहुमूल्य वस्तुओं का सत्यापन
न किया जाना।**

क्र०सं०	कोषागार का नाम	बहुमूल्य वस्तु की संख्या	क्र०सं०	कोषागार का नाम	बहुमूल्य वस्तु की संख्या
1	बलरामपुर	16	33	रामपुर	20
2	बहराईच	32	34	बुलन्दशहर	40
3	इलाहाबाद कले०	68	35	देवरिया	66
4	मैनपुरी	17	36	महराजगंज	05
5	कन्नौज	36	37	सोनभद्र	20
6	हाथरस	19	38	कुशीनगर	11
7	एटा	47	39	पीलीभीत	64
8	मऊ	23	40	लखीमपुरखीरी	48
9	बस्ती	43	41	फर्रुखाबाद	28
10	सीतापुर	10	42	चन्दौली	75
11	अमेठी	28	43	गाजीपुर	82
12	कानपुर देहात	50	44	मुजफ्फरनगर	109
13	बलिया	05	45	गाजियाबाद	29
14	औरैया	11	46	बौदा	60
15	इटवा	21	47	हापुड़	04
16	मिर्जापुर	69	48	सम्भल	08
17	प्रतापगढ़	17	49	सिद्धार्थनगर	44
18	जालौन	02	50	बाराबंकी	185
19	बरेली	53	51	शाहजहाँपुर	42
20	सुल्तानपुर	03	52	अमरोहा	14
21	गोण्डा	05	53	बिजनौर	06
22	आजमगढ़	05	54	फैजाबाद	79
23	झाँसी	62	55	जौनपुर	62
24	रायबरेली	21	56	बागपत	29
25	हरदोई	05	57	मुरादाबाद	68
26	महोबा	17	58	चित्रकूट	28
27	कानपुर नगर	122	59	फतेहपुर	35
28	अलीगढ़	54	60	हमीरपुर	41
29	कौशाम्बी	32	61	अम्बेडकरनगर	06
30	कासगंज	17	62	संतकबीरनगर	27
31	आगरा	71	63	वाराणसी	148
32	गोरखपुर	10	64	बदायूँ	45

**उपकोषागार के द्वितालक कक्ष में बहुमूल्य वस्तुओं का सत्यापन
न किया जाना।**

क्र०सं०	उपकोषागार का नाम	बहुमूल्य वस्तु की संख्या	क्र०सं०	उपकोषागार का नाम	बहुमूल्य वस्तु की संख्या
1	तुलसीपुर	02	40	रुद्रपुर	02
2	उतरौला	04	41	बिलासपुर	02
3	महसी	02	42	सलेमपुर	08
4	कैसरगंज	20	43	खजनी	02
5	करहल	03	44	पूरनपुर	07
6	छिबरामऊ	09	45	बीसलपुर	09
7	कोरौव	04	46	बौसगौव	06
8	जलेसर	11	47	डिबाई	01
9	अलीगंज	01	48	सिकन्दराबाद	01
10	हरैया	06	49	खुर्जा	02
11	सिधौली	02	50	मोहम्मदी	01
12	महमूदाबाद	06	51	चोरी-चौरा	04
13	सिकन्दरा	01	52	रामनगर	01
14	रसूलाबाद	01	53	हैदरगढ़	01
15	कोच	08	54	सकलडीहा	01
16	कालपी	02	55	रामसनेहीघाट	01
17	बैरिया	01	56	मवाना	19
18	बेल्थरा रोड	05	57	सैदपुर	03
19	बौसडीह	02	58	मुहम्मदाबाद	01
20	रसड़ा	01	59	जलालाबाद	01
21	विधूना	01	60	चन्दौसी	09
22	पट्टी	08	61	अतर्रा	09
23	कुण्डा	11	62	बबेरू	02
24	गरौठा	10	63	नरैनी	10
25	मोंठ	10	64	बडौत	11
26	इगलास	02	65	बिलारी	02
27	टहरौली	01	66	ठाकुरद्वारा	01
28	कुलपहाड़	06	67	चौदपुर	13
29	शाहाबाद	07	68	धामपुर	08
30	बाह	03	69	धनौरा	06
31	एत्मादपुर	04	70	नगीना	13
32	बिल्हौर	03	71	नजीबाबाद	07
33	घाटमपुर	15	72	सोहावल	01
34	सण्डीला	05	73	खागा	11
35	शाहाबाद	07	74	महरौनी	04
36	मिलक	02	75	मऊ	08
37	बक्शी का तालाब	02	76	राठ	08
38	मलीहाबाद	29	77	बेहट	04
39	बिन्दकी	03	78	छाता	21

परिशिष्ट-22 (क,ख,ग,)

कोषागारों का आकस्मिक, विस्तृत, आकस्मिक एवं विस्तृत दोनों का निरीक्षण
न किया जाना।

आकस्मिक "क"			
क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	महोबा	4	बदायूँ
2	पीलीभीत	5	अम्बेडकरनगर
3	बागपत		
विस्तृत "ख"			
क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	हाथरस	10	कुशीनगर
2	एटा	11	महराजगंज
3	गोण्डा	12	बौदा
4	हरदोई	13	श्रावस्ती
5	देवरिया	14	फिरोजाबाद
6	सोनभद्र	15	संतकबीरनगर
7	चन्दौली	16	चित्रकूट
8	गाजीपुर	17	गौतमबुद्धनगर
9	गोरखपुर	18	कासगंज
आकस्मिक एवं विस्तृत "ग"			
क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	आगरा	7	शाहजहाँपुर
2	मैनपुरी	8	मुरादाबाद
3	बहराइच	9	वाराणसी
4	सीतापुर	10	सहारनपुर
5	अमेठी	11	जवाहर भवन
6	शामली	12	राज भवन

परिशिष्ट-23(क,ख,ग,)

मुख्य कोषाधिकारी द्वारा उपकोषागारों का आकस्मिक, विस्तृत, आकस्मिक एवं विस्तृत दोनों का निरीक्षण न किया जाना।

आकस्मिक निरीक्षण "क"			
क्र०सं०	उपकोषागार का नाम	क्र०सं०	उपकोषागार का नाम
1	उतरौला	17	महराजगंज
2	मेजा	18	टहरौली
3	छिबरामऊ	19	बैरिया
4	कोरौव	20	फूलपुर
5	डेरापुर	21	मनकापुर
6	रसूलाबाद	22	करनैलगंज
7	जखनियौ	23	तरबगंज
8	बौसगौव	24	सण्डीला
9	हाटा	25	भरथना
10	अतर्रा	26	नरैनी
11	बबेरू	27	फतेहपुर
12	पुवायौ	28	जलालपुर
13	तिलहर	29	बीकापुर
14	खागा	30	राठ
15	मोदहा	31	बिलग्राम
16	पट्टी	32	बिलारी
विस्तृत "ख"			
क्र०सं०	उपकोषागार का नाम	क्र०सं०	उपकोषागार का नाम
1	बारा	21	लालगंज
2	कुलपहाड़	22	बडौत
3	चरखारी	23	सहजनवाँ
4	बूढ़नपुर	24	कैम्पियरगंज
5	गोला	25	कादीपुर
6	मुहम्मदी	26	खुर्जा
7	पलिया	27	चौरी-चौरा
8	हैदरगढ़	28	फरेन्दा
9	सिरौलीगौसपुर	29	धौरहरा
10	महरौनी	30	निधासन
11	बिल्सी	31	रामनगर
12	देवबन्द	32	रामसनेहीघाट
13	रुद्रपुर	33	सफीपुर
14	जानसठ	34	मऊ
15	ठाकुरद्वारा	35	नकुड़
16	सरधना	36	मऊरानीपुर
17	सिराथू	37	बुढ़ाना
18	सेफई	38	धनौरा
19	पटियाली	39	चौदपुर
20	कुण्डा		
आकस्मिक एवं विस्तृत दोनों			
	उपकोषागार का नाम	क्र०सं०	उपकोषागार का नाम
1	लहरपुर	7	सलेमपुर
2	मिश्रिख	8	खजनी
3	सादाबाद	9	डुमरियागंज
4	हण्डिया	10	पुरवा
5	लालगंज	11	चकरनगर
6	वाह	12	खेकड़ा

13	फतेहाबाद	15	धामपुर
14	किरावली	16	बिसवों

परिशिष्ट-24

उपजिलाधिकारी द्वारा उपकोषागार के द्वितालक कक्ष का निरीक्षण
न किया जाना।

क्र०सं०	उपकोषागार का नाम	क्र०सं०	उपकोषागार का नाम
1	तुलसीपुर	28	बड़ौत
2	उतरौला	29	सलेमपुर
3	कोरांव	30	सहजनवों
4	कैसरगंज	31	कैम्पियरगंज
5	जलेसर	32	गोला
6	हरैया	33	चौरी-चौरा
7	लहरपुर	34	बॉस गाँव
8	कुलपहाड़	35	फरेन्दा
9	बॉसडीह	36	डुमरियागंज
10	बूढ़नपुर	37	इटवा
11	भरथना	38	अर्तरा
12	फरीदपुर	39	बबेरू
13	मिलक	40	नरैनी
14	स्वार	41	धौरहरा
15	चुनार	42	पलिया
16	लालगंज मिर्जापुर	43	सिरौली गौसपुर
17	गभना	44	फतेहपुर (बाराबंकी)
18	वोंह	45	जलालपुर
19	फतेहाबाद	46	टाण्डा
20	किरावली	47	मेंहदावल
21	बक्शी का तालाब	48	मऊ
22	मोहनलालगंज	49	राठ
23	डिबाई	50	मौदहा
24	सिकन्दरा	51	छाता
25	स्याना	52	सरधना
26	मोदीनगर	53	ठाकुरद्वारा
27	चन्दौसी		

परिशिष्ट-25

नियत समय सीमा के अन्दर प्रथम पेंशन का भुगतान न किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	पेंशनर की संख्या
1	बलरामपुर	7
2	बहराईच	4
3	इलाहाबाद सिविल लाइन्स	9
4	इलाहाबाद कलेक्ट्रेट	10
5	कन्नौज	7
6	हाथरस	10
7	एटा	37
8	मऊ	12
9	बस्ती	10
10	सीतापुर	10
11	अमेठी	9

12	बलिया	8
13	मिर्जापुर	28
14	प्रतापगढ़	7
15	जालौन	20
16	सुल्तानपुर	8
17	आजमगढ़	7
18	झाँसी	20
19	रायबरेली	11
20	हरदोई	14
21	आगरा	10
22	गोरखपुर	2
23	लखनऊ कले0	4
24	बुलन्दशहर	10
25	देवरिया	4
26	सोनभद्र	5
27	कुशीनगर	5
28	पीलीभीत	8
29	लखीमपुरखीरी	5
30	फर्रुखाबाद	10
31	उन्नाव	10
32	गाजियाबाद	7
33	पी0ए0ओ0 नई दिल्ली	3
34	हापुड़	2
35	सम्भल	2
36	सिद्धार्थनगर	3
37	बाराबंकी	3
38	शाहजहाँपुर	12
39	ललितपुर	6
40	बिजनौर	6
41	श्रावस्ती	4
42	मेरठ	10
43	चित्रकूट	7
44	गौतमबुद्धनगर	10
45	हमीरपुर	9
46	जवाहर भवन	13
47	बदायूँ	9
48	कानपुर नगर	16
49	कौशाम्बी	6
50	अलीगढ़	14
	योग—	463

परिशिष्ट-26

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु के बाद बैंकों को प्रेषित पेंशन का ब्याज सहित बैंकों से प्राप्त कर शासकीय लेखे में जमा न किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	पेंशनरों की संख्या	धनराशि ₹
1	बलरामपुर	04	106463
2	बहराईच	02	71525
3	इलाहाबाद सिविल लाइन्स	14	92956
4	कन्नौज	10	257098
5	सीतापुर	07	369383
6	कानपुर देहात	08	471424
7	बलिया	06	264327
8	मिर्जापुर	07	158920
9	प्रतापगढ़	24	625054
10	जालौन	13	732725
11	सुल्तानपुर	10	246113
12	आजमगढ़	11	165681
13	झाँसी	04	351352
14	रायबरेली	22	1008870
15	हरदोई	11	1092350
16	महोबा	12	240865
17	शामली	04	46314
18	कानपुर नगर	16	510009
19	अलीगढ़	18	668071
20	कौशाम्बी	10	212160
21	आगरा	11	283467
22	लखनऊ कले0	21	1291344
23	बुलन्दशहर	12	524208
24	देवरिया	03	189792
25	महराजगंज	11	377302
26	पीलीभीत	14	331785
27	लखीमपुर खीरी	04	87022
28	फर्रुखाबाद	11	477231
29	उन्नाव	15	502119
30	चन्दौली	06	313366
31	गाजियाबाद	07	588813
32	हापुड़	10	49963
33	सम्भल	07	163488
34	बाराबंकी	10	256442
35	शाहजहाँपुर	06	149010
36	अमरोहा	12	506678
37	ललितपुर	06	127622
38	बिजनौर	05	93858
39	जौनपुर	58	3203194
40	श्रावस्ती	08	100579
41	मुरादाबाद	22	757264
42	चित्रकूट	13	394102
43	वाराणसी	06	249596
44	जवाहर भवन	88	4109670
45	बदायूँ	04	53221
	योग—	583	22872796

परिशिष्ट-27

**80 वर्ष तथा अधिक आयु के पेंशनरों को अतिरिक्त
भुगतान न किया जाना।**

क्र०सं०	कोषागार का नाम	पेंशनर की संख्या
1	हरदोई	969
2	गोरखपुर	12
3	फर्रुखाबाद	08
4	उन्नाव	06
5	सिद्धार्थनगर	80
6	अमरोहा	09
7	ललितपुर	07
8	जौनपुर	15
9	चित्रकूट	08
10	वाराणसी	18
11	इलाहाबाद कले०	02
12	कन्नौज	09
13	मऊ	10
14	बस्ती	15
15	अमेठी	08
16	कानपुर नगर	15
17	कौशाम्बी	10
18	कानपुर देहात	10
19	शामली	25
20	महोबा	25
21	हरदोई	969
22	प्रतापगढ़	07
23	देवरिया	05
24	बुलन्दशहर	10
25	गोरखपुर	12
26	लखीमपुर	10
27	पीलीभीत	19
28	सहारनपुर	856
29	जवाहर भवन	1523
30	कासगंज	09
	योग-	4681

परिशिष्ट-28**पेंशनरों से आयकर की श्रोत से कटौती न किया जाना।**

क्र०सं०	कोषागार का नाम	पेंशनर का नाम श्री/श्रीमती	पेंशन (प्रतिमाह) ₹
1	बलरामपुर	14	71956
2	इलाहाबाद सि०ला०	11	911568
3	इलाहाबाद कले०	15	1119406
4	मैनपुरी	7	567442
5	कन्नौज	10	1552812
6	सीतापुर	5	455955
7	अमेठी	7	508358
8	कानपुर देहात	5	348308
9	जालौन	15	1380793
10	गोण्डा	11	793967
11	आजमगढ़	5	328258
12	झौसी	20	1361915
13	रायबरेली	15	942650
14	हरदोई	15	1240748
15	महोबा	18	1172678
16	शामली	19	1398395
17	कानपुर नगर	10	805575
18	कौशाम्बी	7	442517
19	गोरखपुर	12	1047317
20	लखनऊ कले०	15	1178737
21	बुलन्दशहर	10	707946
22	देवरिया	4	197150
23	सोनभद्र	8	544956
24	कुशीनगर	11	852727
25	पीलीभीत	9	493800
26	फर्रुखाबाद	12	836887
27	उन्नाव	10	817937
28	फिरोजाबाद	10	863280
29	मुजफ्फरनगर	10	681342
30	गाजियाबाद	10	640895
31	पी०ए०ओ० नई दिल्ली	6	368034
32	सम्भल	6	398073
33	सन्त रविदासनगर	7	485136
34	सिद्धार्थनगर	5	390481
35	बाराबंकी	12	640374
36	मुरादाबाद	18	1180033
37	बदायूँ	5	323583
38	अलीगढ़	14	1021657
39	लखीमपुर खीरी	11	1463324
40	वाराणसी	28	29596973
41	गौतमबुद्धनगर	2	106000
		444	60239943

परिशिष्ट-29

**पेंशनरों के जीवित प्रमाण-पत्र एवं वार्षिक पेंशन भुगतान विवरण
संलग्न न किया जाना।**

क्र०सं०	कोषागार का नाम	पेंशनरों की संख्या
1	इलाहाबाद सिविल लाइन्स	06
2	मैनपुरी	05
3	प्रतापगढ़	03
4	कन्नौज	06
5	जालौन	18
6	झाँसी	15206
7	गाजियाबाद	1047
8	हापुड़	43
9	सम्भल	26
10	पी०ए०ओ० नई दिल्ली	32
11	देवरिया	10
12	सोनभद्र	10
13	चन्दौली	05
14	गाजीपुर	07
15	उन्नाव	09
16	फिरोजाबाद	09
17	मुजफ्फरनगर	655
18	बागपत	257
19	अमरोहा	327
20	मुरादाबाद	1184
21	बिजनौर	1094
22	फैजाबाद	08
23	जौनपुर	1119
24	वाराणसी	2912
25	ललितपुर	05
26	गौतमबुद्धनगर	04
27	जवाहर भवन	1827
28	अम्बेडकरनगर	11
	योग-	25845

परिशिष्ट-30**डिजिटल जीवित प्रमाण-पत्र निर्गत न किया जाना।**

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	इलाहाबाद सि०ला०	18	सोनभद्र
2	मैनपुरी	19	चन्दौली
3	कन्नौज	20	संतरविदासनगर
4	सीतापुर	21	मेरठ
5	अमेठी	22	मुजफ्फरनगर
6	कानपुर नगर	23	बागपत
7	कौशाम्बी	24	अमरोहा
8	झाँसी	25	मुरादाबाद
9	महोबा	26	बिजनौर
10	शामली	27	फतेहपुर
11	लखनऊ कले०	28	वाराणसी
12	गाजियाबाद	29	सहारनपुर
13	हापुड़	30	गौतमबुद्धनगर
14	सम्भल	31	जवाहर भवन
15	पी०ए०ओ०	32	अम्बेडकरनगर
16	देवरिया	33	कासगंज
17	बुलन्दशहर		

परिशिष्ट-31**पेंशनरों को मेंहगाई राहत (D.R.) का भुगतान न किया जाना।**

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	बलरामपुर	14	आजमगढ़
2	इलाहाबाद सिविल लाइन्स	15	कौशाम्बी
3	इलाहाबाद कलेक्ट्रेट	16	कासगंज
4	सीतापुर	17	लखनऊ कलेक्ट्रेट
5	अमेठी	18	बुलन्दशहर
6	कानपुर देहात	19	कूशीनगर
7	जालौन	20	पीलीभीत
8	गोण्डा	21	लखीमपुरखीरी
9	झाँसी	22	फर्रुखाबाद
10	रायबरेली	23	मुजफ्फरनगर
11	महोबा	24	गाजियाबाद
12	शामली	25	सम्भल
13	कानपुर नगर	26	अमरोहा

परिशिष्ट-32**पेंशन का कम (न्यूनतम) भुगतान किया जाना।**

क्रमांक	कोषागार का नाम	पेंशनरों की संख्या	धनराशि ₹
1	गोण्डा	2	7190
2	बुलन्दशहर	15	77653
3	देवरिया	3	27370
4	सोनभद्र	6	54000
5	कूशीनगर	2	5082
6	गाजियाबाद	5	23215
7	पी०ए०ओ० नई दिल्ली	2	9255
8	हापुड़	10	54999

9	लखीमपुरखीरी	6	22290
10	सम्भल	2	12915
11	बाराबंकी	10	40942
12	मुरादाबाद	2	11089
13	अमेठी	10	44991
14	कानपुर नगर	12	43826
15	बलरामपुर	3	19061
16	इलाहाबाद सिविल लाइन्स	2	5210
17	कन्नौज	12	51976
18	मऊ	6	37180
19	सीतापुर	7	154759
20	कानपुर देहात	17	86478
21	कौशाम्बी	12	43826
22	जालौन	10	54175
23	झाँसी	15	51686
24	महोबा	18	57173
25	शामली	7	29332
26	गोरखपुर	4	18072
27	उन्नाव	18	60753
28	फिरोजाबाद	9	69622
29	फर्रुखाबाद	9	38356
30	मेरठ	3	16171
31	मुजफ्फरनगर	7	21281
32	अमरोहा	10	55844
33	मुरादाबाद	13	79791
		269	1385563

परिशिष्ट-33

सा0भ0नि0 के कालातीत प्राधिकार पत्रों को कार्यालय महालेखाकार को वापस न किया जाना।

क्र0सं0	कोषागार का नाम	क्र0सं0	कोषागार का नाम
1	बलरामपुर	11	अलीगढ़
2	बहराईच	12	आगरा
3	इलाहाबाद सिविल लाइन्स	13	गोरखपुर
4	मऊ	14	लखनऊ कलेक्ट्रेट
5	बस्ती	15	सोनभद्र
6	बलिया	16	पीलीभीत
7	मिर्जापुर	17	लखीमपुरखीरी
8	प्रतापगढ़	18	बाराबंकी
9	गोण्डा	19	बिजनौर
10	कानपुरनगर	20	हमीरपुर

परिशिष्ट-34

कालातीत प्राधिकार पत्रों को बिना पुनर्वैधीकरण कराये भुगतान:

क्र0सं0	कोषागार का नाम
1	बलिया
2	प्रतापगढ़

परिशिष्ट-35

आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा राजस्व प्राप्ति लेखाओं का
मिलान न किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	बलरामपुर	31	महराजगंज
2	मैनपुरी	32	सोनभद्र
3	कन्नौज	33	कुशीनगर
4	मऊ	34	पीलीभीत
5	बस्ती	35	लखीमपुरखीरी
6	सीतापुर	36	फर्रुखाबाद
7	अमेठी	37	उन्नाव
8	कानपुर देहात	38	फिरोजाबाद
9	बलिया	39	चन्दौली
10	इटावा	40	गाजीपुर
11	मिर्जापुर	41	मुजफ्फर नगर
12	प्रतापगढ़	42	बोंदा
13	जालौन	43	हापुड़
14	बरेली	44	सन्तरविदासनगर
15	गोण्डा	45	सिद्धार्थनगर
16	आजमगढ़	46	बाराबंकी
17	झाँसी	47	शाहजहाँपुर
18	रायबरेली	48	जे०पी०नगर (अमरोहा)
19	हरदोई	49	बिजनौर
20	महोबा	50	फैजाबाद
21	शामली	51	मुरादाबाद
22	कानपुर नगर	52	फतेहपुर
23	अलीगढ़	53	सन्तकबीरनगर
24	कौशाम्बी	54	वाराणसी
25	कासगंज	55	बदायूँ
26	आगरा	56	गाजियाबाद
27	गोरखपुर	57	ललितपुर
28	लखनऊ कलेक्ट्रेट	58	हमीरपुर
29	बुलन्दशहर	59	सम्भल
30	देवरिया	60	मेरठ

परिशिष्ट-36

खण्डीय लेखाकारों द्वारा लेखा मिलान न किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	बलरामपुर	9	गाजियाबाद
2	हाथरस	10	हापुड़
3	सीतापुर	11	सम्भल
4	जालौन	12	सन्तरविदासनगर
5	महोबा	13	कानपुर नगर
6	कौशाम्बी	14	देवरिया
7	कासगंज	15	जवाहर भवन
8	बुलन्दशहर		

परिशिष्ट-37

टी0आर0 27 के अन्तर्गत आहरित धनराशि का समायोजन न किया जाना।

क्र0सं0	कोषागार का नाम	विभाग का नाम	समायोजन शेष ₹
1	बलरामपुर	समाज कल्याण विभाग	25957500
2	मैनपुरी	न्याय विभाग	170792
3	एटा	न्याय विभाग	188161
4	अमेठी	समाज कल्याण विभाग	42740600
5	कानपुर देहात	---	1500000
6	बलिया	राजस्व विभाग / समाज कल्याण विभाग	5000000
7	प्रतापगढ़	समाज कल्याण विभाग	2340000
8	गोण्डा	---	1933926
9	रायबरेली	समाज कल्याण विभाग	4097500
10	महोबा	---	2638750
11	कानपुर नगर	---	4097500
12	अलीगढ़	समाज कल्याण विभाग	159486750
13	आगरा	समाज कल्याण विभाग	234823750
14	देवरिया	समाज कल्याण विभाग / शिक्षा विभाग	139080530
15	सोनभद्र	समाज कल्याण विभाग	13033000
16	कुशीनगर	समाज कल्याण विभाग	30832
17	चन्दौली	समाज कल्याण विभाग	46145188
18	गाजियाबाद	रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट	400000
19	सिद्धाथनगर	राजस्व विभाग	442100
20	बिजनौर	शिक्षा विभाग	455290
		कृषि एवं शिक्षा	1455250
21	मुरादाबाद	शिक्षा विभाग	781754
		आहरण	1371300
		समायोजन	1395500
22	अम्बेडकरनगर	राजस्व विभाग	8016100
23	वाराणसी	गृह विभाग पुलिस	6500000

परिशिष्ट-38(क)

कोषागारों में राजस्व प्राप्ति चालानों पर 13 अंकीय कोड अंकित न किया जाना।

क्र0सं0	कोषागार का नाम	क्र0सं0	कोषागार का नाम
1	बलरामपुर	15	गोरखपुर
2	बझाईच	16	बुलन्दशहर
3	इलाहाबाद सिविल लाइन्स	17	देवरिया
4	इलाहाबाद कलेक्ट्रेट	18	पीलीभीत
5	मैनपुरी	19	लखीमपुरखीरी
6	कन्नौज	20	फर्रुखाबाद
7	हाथरस	21	उन्नाव
8	मऊ	22	फिरोजाबाद
9	बस्ती	23	गाजियाबाद
10	सीतापुर	24	हापुड़
11	अमेठी	25	सम्भल
12	कानपुर देहात	26	बाराबंकी
13	बलिया	27	जे0पी0 नगर अमरोहा
14	जालौन	28	बिजनौर

29	आजमगढ़	44	मेरठ
30	झोंसी	45	मुरादाबाद
31	रायबरेली	46	गौतमबुद्धनगर
32	महोबा	47	हमीरपुर
33	शामली	48	संतकबीरनगर
34	कानपुर नगर	49	बदायूँ
35	कोशाम्बी	50	एटा
36	लखनऊ कलेक्ट्रेट	51	कुशीनगर
37	गोण्डा	52	महराजगंज
38	हरदोई	53	सिद्धार्थनगर
39	औरया	54	वाराणसी
40	इटावा	55	चित्रकूट
41	बरेली	56	सहारनपुर
42	रामपुर	57	जवाहर भवन
43	कासगंज		

**उपकोषागारों में राजस्व प्राप्ति चालानों पर 13 अंकीय
कोड अंकित न किया जाना।**

क्र०सं०	उपकोषागार का नाम	क्र०सं०	उपकोषागार का नाम
1	तुलसीपुर	33	मेंहनगर
2	उत्तरौला	34	फूलपुर (आजमगढ़)
3	महसी	35	आँवला
4	कैसरगंज	36	लालगंज आजमगढ़
5	नानपारा	37	मऊरानीपुर
6	हण्डिया	38	बहेड़ी
7	फूलपुर इलाहाबाद	39	लालगंज प्रतापगढ़
8	सोराँव	40	सलोन
9	मेजा	41	गरौठा
10	करछना	42	मोंठ
11	भोगाँव	43	मनकापुर
12	करहल	44	करनैलगंज
13	छिबरामऊ	45	फरीदपुर
14	बारा	46	मीरगंज
15	कोराँव	47	नवाबगंज
16	सादाबाद	48	टहरौली
17	सिकन्दराराऊ	49	कुलपहाड़
18	अलीगंज	50	तरबगंज
19	घोसी	51	कैराना
20	मुहम्मदाबाद	52	सैदपुर
21	हरैया	53	एत्मादपुर
22	भानपुर	54	चायल
23	लहरपुर	55	बिल्हौर
24	हरगाँव	56	घाटमपुर
25	मिश्रिख	57	किरावली
26	सिधौली	58	सण्डीला
27	बिसवाँ	59	सिराथू
28	महमूदाबाद	60	पटियाली
29	डेरापुर	61	कैराना
30	सिकन्दरा	62	बिलग्राम
31	रसूलाबाद	63	फतेहाबाद
32	कोच	64	मिलक

65	कालपी	105	स्वार
66	जालौन	106	बक्शी का तालाब
67	बैरिया	107	मलीहाबाद
68	बेल्थरा रोड	108	चोपन
69	बॉसडीह	109	रुद्रपुर
70	रसड़ा	110	पूरनपुर
71	बूढ़नपुर	111	कायमगंज
72	भरथना	112	बीसलपुर
73	सैफई	113	मोहनलालगंज
74	अमेठी	114	कैम्पियरगंज
75	तिलोई	115	मुहम्मदाबाद
76	डलमऊ	116	गोला
77	लालगंज (रायबरेली)	117	पुवायां
78	दुद्धी	118	जमनियों
79	बॉसगॉव	119	गढ़मुक्तेश्वर
80	डिबाई	120	गुन्नौर
81	सिकन्दराबाद	121	औराई
82	खुर्जा	122	भदोही
83	स्याना	123	बडौत
84	घोरावल	124	बिलारी
85	हाटा	125	ठाकुरद्वारा
86	निधासन	126	कॉट
87	मोहम्मदी	127	चौदपुर
88	पलिया	128	हसनपुर
89	पुरवा	129	नगीना
90	धौरहरा	130	नजीबाबाद
91	गोला	131	बीकापुर
92	शिकोहाबाद	132	मड़ियाहूँ
93	रामनगर	133	बिन्दकी
94	हैदरगढ़	134	खागा
95	मोदीनगर	135	मऊ
96	चकिया	136	राठ
97	सकलडीहा	137	उझानी
98	फरेन्दा	138	मौदहा
99	नौतनवाँ	139	दादरी
100	निचलौल	140	दातागंज
101	सिरौली	141	सहसवान
102	फतेहपुर बाराबंकी	142	छाता
103	मवाना	143	धनौरा
104	सरधना	144	फतेहाबाद

परिशिष्ट-38(ख)

कोषागारों में राजस्व प्राप्ति चालानों पर 15 अंकीय कोड अंकित न किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	बलरामपुर	23	पीलीभीत
2	बइराईच	24	लखीमपुरखीरी
3	इलाहाबाद कलेक्ट्रेट	25	फर्रुखाबाद
4	मैनपुरी	26	उन्नाव
5	कन्नौज	27	फिरोजाबाद
6	हाथरस	28	गाजियाबाद
7	मऊ	29	हापुड
8	बस्ती	30	सम्भल
9	सीतापुर	31	बाराबंकी
10	अमेठी	32	जे०पी० नगर (अमरोहा)
11	कानपुर देहात	33	बिजनौर
12	बलिया	34	जौनपुर
13	जालौन	35	मेरठ
14	आजमगढ़	36	मुरादाबाद
15	झाँसी	37	गौतमबुद्धनगर
16	रायबरेली	38	हमीरपुर
17	महोबा	39	संतकबीरनगर
18	शामली	40	बदायूँ
19	कानपुर नगर	41	शाहजहाँपुर
20	कौशाम्बी	42	जौनपुर
21	बुलन्दशहर	43	सहारनपुर
22	देवरिया		

उपकोषागारों में पूंजीगत चालानों पर 15 अंकीय वर्गीकरण अंकित न किया जाना।

क्र०सं०	उपकोषागार का नाम	क्र०सं०	उपकोषागार का नाम
1	उतरीला	21	बक्शी का तालाब
2	कैसरगंज	22	मलीहाबाद
3	नानपारा	23	चोपन
4	हण्डिया	24	सलेमपुर
5	फूलपुर (इला०)	25	रुद्रपुर
6	सोरांव	26	कायमगंज
7	मेजा	27	बीसलपुर
8	करछना	28	मोहनलालगंज
9	भोगाँव	29	हसनगंज
10	करहल	30	दुधौ
11	छिबरामऊ	31	डिबाई
12	कोराँव	32	खुर्जा
13	सादाबाद	33	स्याना
14	सिकन्दराराऊ	34	पुरवा
15	मुहम्मदाबाद	35	सफीपुर
16	भानपुर	36	शिकोहाबाद
17	हरगाँव	37	सकलडीहा
18	मिश्रिख	38	निचलौल
19	सिंधौली	39	मवाना
20	महमूदाबाद	40	सैदपुर

41	भोगनीपुर	70	सरधना
42	डेरापुर	71	मुहम्मदाबाद
43	सिकन्दरा	72	जमनियों
44	रसूलाबाद	73	जखनियों
45	कोंच	74	गढ़मुक्तेश्वर
46	कालपी	75	ओराई
47	जालौन	76	भदोही
48	सिकन्दरपुर	77	बड़ौत
49	सगड़ी	78	बिलारी
50	बूढ़नपुर	79	ठाकुरद्वारा
51	विधूना	80	कोठ
52	अमेठी	81	चौदपुर
53	तिलोई	82	हसनपुर
54	डलमऊ	83	नगीना
55	लालगंज	84	रुदौली
56	मऊरानीपुर	85	बिन्दकी
57	सलोन	86	खागा
58	गरौठा	87	मऊ
59	मोंठ	88	राठ
60	करनैलगंज	89	उझानी
61	कुलपहाड़	90	मौदहा
62	चायल	91	दादरी
63	बिल्हौर	92	मेंहदावल
64	घाटमपुर	93	बिल्सी
65	किरावली	94	दातागंज
66	सण्डीला	95	छाता
67	सिराधू	96	मछलीशहर
68	चरखारी	97	धनौरा
69	बीकापुर	98	जलालपुर

परिशिष्ट-39

सी0सी0एल0 / डी0सी0एल0 को नियत समय से बैंको को निर्गत न किया जाना।

क्र0सं0	कोषागार का नाम	विलम्बित दिनों की सं0
1	इलाहाबाद कलेक्ट्रेट	11-20
2	सीतापुर	11-20
3	औरैया	01-10
4	इटावा	01 -10
5	गोरखपुर	01 -10
6	रामपुर	01 -10

परिशिष्ट-40

ऋण अदायगी के चालानों पर विस्तृत विवरण अंकित न किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	मास	लेखाशीर्ष	धनराशि ₹
1	प्रतापगढ़	10/18	6425 सहकारिता के लिए ऋण	971990
		01/19	6235 सामाजिक सुरक्षा के लिये ऋण	1000
		04/19	6425 सहकारिता के लिये ऋण	412204
2	सुल्तानपुर	02/19	6425 सहकारिता के लिए ऋण Dk 73663	1000
		03/19	6425 सहकारिता के लिए ऋण CQ- 25898, 25971, 26048, 33924, 10,11,13,5,4,3	16000
		03/19	6401 कृषि कार्य के लिये ऋण CP-o6660,6697, 6741, 94666, 12,14	9000
3	अलीगढ़	05/19	6235 सामाजिक सुरक्षा के लिये ऋण/EE861	6500
		12/18	6235 सामाजिक सुरक्षा के लिये ऋण/LKD 7873	2000
		10/18	6235 सामाजिक सुरक्षा के लिये ऋण/JH 63359	7500
		03/19	6851 ग्राम्य व लघु उद्योगों के लिये ऋण C 144493,98, 518, 517	855360
4	आगरा	02/19	6235 सामाजिक सुरक्षा के लिये ऋण	6500
5	मिर्जापुर	07/18	6235 सामाजिक सुरक्षा के लिये ऋण	1250
		9/18	6235 सामाजिक सुरक्षा के लिये ऋण	1000
		11/18	6235 सामाजिक सुरक्षा के लिये ऋण	6000
		03/19	6235 सामाजिक सुरक्षा के लिये ऋण	500
	सोनभद्र	18/12	6235 सामाजिक सुरक्षा के लिये ऋण 6900/01/LD 47844/13/12/18	58000
6	कादीपुर सुल्तानपुर	10 चालान सं०	6425 सहकारिता के लिये ऋण	2000
		11	6425 सहकारिता के लिये ऋण	1000
		13	6425 सहकारिता के लिये ऋण	2000
		12	6401 कृषि कार्य के लिये कर्ज	2000
		19	6401 कृषि कार्य के लिये कर्ज	2000
		15	0049 ब्याज प्राप्ति/अन्य प्राप्ति	2000

परिशिष्ट-41

वैयक्तिक जमा लेखाओं के प्रशासकों से अवशेष को स्वीकार्य प्रमाण पत्र न प्राप्त किया जाना।

क्र०सं०	उपकोषागार का नाम	क्र०सं०	उपकोषागार का नाम
1	इलाहाबाद कलेक्ट्रेट	6	कासगंज
2	इटावा (नमूना जॉच)	7	पीलीभीत
3	मैनपुरी	8	शाहजहाँपुर
4	कन्नौज	9	जे०पी० नगर
5	रायबरेली	10	हमीरपुर

परिशिष्ट-42

तीन वर्षों से अधिक समय से असंचालित जमा लेखों को बन्द न किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	इलाहाबाद सिविल लाइन्स	15	सुल्तानपुर
2	इलाहाबाद कलेक्ट्रेट	16	सन्तकबीरनगर
3	मैनपुरी	17	महोबा
4	कन्नौज	18	कौशाम्बी
5	हाथरस	19	बुलन्दशहर
6	सीतापुर	20	लखीमपुरखीरी
7	कानपुर देहात	21	बोदा
8	बलिया	22	सम्भल
9	इटावा	23	ललितपुर
10	जालौन	24	चित्रकूट
11	झाँसी	25	वाराणसी
12	हरदोई	26	बदायूँ
13	एटा	27	पीलीभीत
14	आजमगढ़	28	बाराबंकी

परिशिष्ट-43

लेखाशीर्ष 8338 के स्थानीय निधियों में जमा अवशेषों को लेखाशीर्ष 8009 राज्य भविष्य निधि में स्थानान्तरित न करना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	धनराशि ₹
1	इलाहाबाद कलेक्ट्रेट	27633781
2	लखनऊ कलेक्ट्रेट	5007746
3	कुशीनगर	150828

परिशिष्ट-44

चुनाव जमानत राशि को जब्त कर शासकीय खाते में जमा न किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	विभाग का नाम	धनराशि ₹
1	बलरामपुर	पंचायत चुनाव	3163350
		स्थानीय निकाय चुनाव	948791
2	मैनपुरी	पंचायती एवं स्थानीय निकाय चुनाव	612673
3	कन्नौज	पंचायत चुनाव	64850
4	हाथरस	स्थानीय चुनाव निर्वाचन	1543350
5	मऊ	ग्राम पंचायत निर्वाचन	173219
6	सीतापुर	ग्राम पंचायत निर्वाचन	1436700
7	अमेठी	स्थानीय निकाय चुनाव	7887700
8	आजमगढ़	स्थानीय निकाय चुनाव जमा	1524040
		जिला पंचायत चुनाव जमा	142384
9	रायबरेली	स्थानीय निकाय	1265325
10	हरदोई	पंचायती एवं स्थानीय निकाय चुनाव	11676065
11	शामली	स्थानीय निकाय चुनाव	73500
		पंचायत चुनाव	66970
12	कानपुर नगर	पंचायती एवं स्थानीय निकाय चुनाव	4174806
13	बुलन्दशहर	पंचायती एवं स्थानीय निकाय चुनाव	29250
14	पीलीभीत	पंचायती एवं स्थानीय निकाय चुनाव	1396050
		पंचायत चुनाव	110125

15	फिरोजाबाद	चुनाव जमा	3423314
		स्थानीय निकाय चुनाव	2362142
		पंचायत चुनाव	2198545
16	सम्भल	पंचायत चुनाव	1810250
17	जै०पी० नगर (अमरोहा)	पंचायत एवं स्थानीय चुनाव	36000
18	बिजनौर	पंचायत	1222595
		स्थानीय निकाय	764550
19	फैजाबाद	पंचायत एवं स्थानीय चुनाव	1085928
20	श्रावस्ती	नगर पंचायत / ग्राम पंचायत	553075
21	मुरादाबाद	ग्राम पंचायत चुनाव	123775
		स्थानीय चुनाव	42181
22	अम्बेडकरनगर	पंचायत चुनाव	96150
23	संतकबीरनगर	पंचायत चुनाव	825843
24	रामपुर	स्थानीय निकाय	2094500
		पंचायत	252950
		योग—	53180946

परिशिष्ट-45

एक ही लघुशीर्ष में जमा किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	धनराशि ₹
1	गाजियाबाद	5256825
2	हापुड़	7442327
3	मेरठ	5266919
4	बागपत	2800221
5	गौतमबुद्धनगर	824426
6	झाँसी	13886606
7	कुशीनगर	19252264
8	सहारनपुर	4978624
योग—		59708212

परिशिष्ट-46

ई-पेमेन्ट बैंक खातों में विसंगतियों के कारण लम्बित भुगतान।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	अमेठी	08	हापुड़
2	जालौन	09	बिजनौर
3	रायबरेली	10	मुरादाबाद
4	महोबा	11	कौशाम्बी
5	कानपुर नगर	12	गाजियाबाद
6	लखनऊ कलेक्ट्रेट	13	पी०ए०ओ० नई दिल्ली
7	बुलन्दशहर		

परिशिष्ट-47

खराब एवं निष्प्रयोज्य पैडलाक का निस्तारण न किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार/उपकोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार/उपकोषागार का नाम
1	बहराइच	11	आगरा
2	बिजनौर	12	सोनभद्र
3	बलरामपुर	13	चन्दौली
4	मैनपुरी	14	गाजीपुर
5	अमैठी	15	गोरखपुर
6	आजमगढ़	16	पीलीभीत
7	हरदोई	17	मुजफ्फरनगर
8	प्रतापगढ़	18	ललितपुर
9	सुल्तानपुर	19	चित्रकूट
10	अलीगढ़		
क्र०सं०	उपकोषागार का नाम	क्र०सं०	उपकोषागार का नाम
1	हण्डिया	5	नरैनी
2	बेल्थरा रोड	6	पट्टी
3	कादीपुर	7	टाण्डा
4	फरेन्दा		

परिशिष्ट-48

स्टाम्प विक्रेताओं से आयकर शपथ विवरण न प्राप्त किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	उपकोषागार का नाम
1	गोण्डा	1	रसड़ा
2	हरदोई	2	मनकापुर
		3	फूलपुर

परिशिष्ट-49**कोषागार/उपकोषागार में असुरक्षित परिवहन।**

क्र०सं०	कोषागार	क्र०सं०	कोषागार
1	कुशीनगर	2	कासगंज
क्र०सं०	उपकोषागार का नाम	क्र०सं०	उपकोषागार का नाम
1	हण्डिया	33	हसनगंज
2	मेजा	34	दुद्धी
3	करछना	35	बाँसगाँव
4	महमूदाबाद	36	घोरावल
5	डेरापुर	37	पुरवा
6	सिकन्दरा	38	चौरी-चौरा
7	रसूलाबाद	39	सफीपुर
8	कौच	40	शिकोहाबाद
9	जालौन	41	रामनगर
10	सैफई	42	हैदरगढ़
11	चुनार	43	रामसनेहीघाट
12	लालगंज	44	सिरौली गौसपुर
13	पट्टी	45	चन्दौसी
14	अमेठी	46	बुढ़ाना
15	तिलोई	47	अतरा
16	मऊरानीपुर	48	नरैनी
17	बहेड़ी	49	ठाकुरद्वारा
18	गरौठा	50	चौदपुर
19	फरीदपुर	51	हसनपुर
20	नवाबगंज	52	नगीना
21	कुलपहाड़	53	नजीबाबाद
22	टाण्डा	54	बदलापुर
23	एल्मादपुर	55	मड़ियाहूँ
24	किरावली	56	मछलीशहर
25	पटियाली	57	तालबेहट
26	स्वार	58	छाता
27	सलेमपुर	59	हसनपुर
28	रुद्रपुर	60	सैदपुर
29	खजनी	61	पुरवा
30	सहजनवाँ	62	कालपी
31	मोहनलालगंज	63	चकरनगर
32	कैम्पियरगंज	64	हैदरगढ़

परिशिष्ट-50

द्वितालक कक्ष में स्टाम्पों का भौतिक सत्यापन न किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	मैनपुरी	28	आगरा
2	कन्नौज	29	गोरखपुर
3	हाथरस	30	लखनऊ कलेक्ट्रेट
4	एटा	31	बुलन्दशहर
5	मऊ	32	महाराजगंज
6	बस्ती	33	कुशीनगर
7	कानपुर देहात	34	लखीमपुरखीरी
8	औरैया	35	फर्रुखाबाद
9	इटवा	36	उन्नाव
10	गोण्डा	37	मुजफ्फरनगर
11	झाँसी	38	बौदा
12	रायबरेली	39	सम्भल
13	हरदोई	40	सिद्धार्थनगर
14	महोबा	41	अमरोहा
15	शामली	42	बागपत
16	कानपुर नगर	43	वाराणसी
17	कौशाम्बी	44	बदायूँ
18	प्रतापगढ़	45	अलीगढ़
19	सोनभद्र	46	देवरिया
20	मुरादाबाद	47	चन्दौली
21	बिजनौर	48	गाजीपुर
22	जौनपुर	49	बलिया
23	फतेहपुर	50	बाराबंकी
24	ललितपुर	51	शाहजहाँपुर
25	चित्रकूट	52	श्रावस्ती
26	हमीरपुर	53	बरेली
27	कांसगंज		
क्र०सं०	उपकोषागार का नाम	क्र०सं०	उपकोषागार का नाम
1	हण्डिया	21	गरौठा
2	फूलपुर	22	मोंठ
3	सौराँव	23	मनकापुर
4	मेजा	24	करनैलगंज
5	करछना	25	टहरौली
6	करहल	26	कुलपहाड़
7	छिबरामऊ	27	एत्मादपुर
8	बारा	28	किरावली
9	कोराँव	29	निचलौल
10	जलेश्वर	30	रामसनेहीघाट
11	महाराजगंज	31	सिरौली
12	डैरापुर	32	फतेहपुर
13	सिकन्दरा	33	मवाना
14	बेल्थरा रोड	34	बौसी
15	बौसडीह	35	इटवा
16	रसड़ा	36	डुमरियागंज
17	बूढनपुर	37	पुवाया
18	सिराथू	38	बुढाना
19	खजनी	39	अतर्रा
20	सहजनवाँ	40	बबेरू

41	बीसलपुर	71	नरैनी
42	कैम्पियरगंज	72	धनौरा
43	हसनगंज	73	चौदपुर
44	गोला	74	शाहाबाद
45	बौसगाँव	75	पटियाली
46	हाटा	76	बिलारी
47	निधासन	77	ठाकुरद्वारा
48	पुरवा	78	मिल्कीपुर
49	चौरी-चौरा	79	जलालपुर
50	सफीपुर	80	तालबेहट
51	फरेन्दा	81	मऊ
52	नौतनवाँ	82	बिसौली
53	जानसठ	83	दातागंज
54	बड़ौत	84	सहसवान
55	चौदपुर	85	चरखारी
56	धामपुर	86	अतरौली
57	धनौरा	87	इगलास
58	हसनपुर	88	खैर
59	नगीना	89	गभना
60	नजीबाबाद	90	वाह
61	आलापुर	91	फतेहाबाद
62	जलालपुर	92	तिलहर
63	खागा	93	सरधना
64	उझानी	94	मीरगंज
65	मौदहा	95	रामपुर
66	देवबन्द	96	बिलासपुर
67	दादरी	97	मिलक
68	बिन्दकी	98	स्वार
69	सिकन्दरपुर	99	टाण्डा
70	बेल्थरारोड		

परिशिष्ट-51

एकतालक कक्ष में स्टाम्पों का भौतिक सत्यापन न किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	बस्ती	18	कासगंज
2	अमेठी	19	आगरा
3	इटावा	20	गोरखपुर
4	बरेली	21	लखनऊ कलेक्ट्रेट
5	गोण्डा	22	बुलन्दशहर
6	रायबरेली	23	महाराजगंज
7	हरदोई	24	कुशीनगर
8	महोबा	25	पीलीभीत
9	कौशाम्बी	26	लखीमपुरखीरी
10	प्रतापगढ़	27	मुजफ्फरनगर
11	बिजनौर	28	सम्भल
12	चित्रकूट	29	सिद्धार्थनगर
13	हमीरपुर	30	बागपत
14	सहारनपुर	31	हापुड़
15	गौतमबुद्धनगर	32	बलिया
16	वाराणसी	33	श्रावस्ती
17	बदायूँ	34	मिर्जापुर
क्र०सं०	उपकोषागार का नाम	क्र०सं०	उपकोषागार का नाम
1	फूलपुर	32	बहेड़ी
2	छिबरामऊ	33	लालगंज
3	घोसी	34	सलोन
4	हरैया	35	बिन्दकी
5	भानपुर	36	दातागंज
6	मुसाफिरखाना	37	मनकापुर
7	विधूना	38	करनैलगंज
8	मोहनलालगंज	39	फरीदपुर
9	डिबाई	40	बिलग्राम
10	स्याना	41	मीरगंज
11	मोदीनगर	42	एत्मादपुर
12	नौतनवाँ	43	किरावली
13	ठाकुरद्वारा	44	रामसनेहीघाट
14	तालबेहट	45	सिरौली
15	बिन्दकी	46	फतेहपुर
16	सहसवान	47	तालबेहट
17	उझानी	48	बिसौली
18	देवबन्द	49	ठाकुरद्वारा
19	मऊरानीपुर	50	डुमरियागंज
20	मीरगंज	51	पुर्वोया
21	नवाबगंज	52	अतर्रा
22	स्वार	53	मऊ
23	बीसलपुर	54	सगड़ी
24	निधासन	55	नरैनी
25	रामनगर	56	जानसठ
26	हैदरगढ़	57	बड़ौत
27	तिलहर	58	तिलहर
28	सरधरा	59	धामपुर
29	चौदपुर	60	धनौरा
30	अतरौली	61	गभना
31	इगलास	62	गढ़मुक्तेश्वर

63	मऊ	72	नगीना
64	सगड़ी	73	नजीबाबाद
65	शाहाबाद	74	जलालपुर
66	सरधना	75	बिन्दकी
67	बुढ़ाना	76	खागा
68	बिलारी	77	उझानी
69	औवला	78	मौदहा
70	मऊरानीपुर	79	देवबन्द
71	हसनपुर	80	जलेसर

परिशिष्ट-52

निष्प्रयोज्य/अप्रचलित स्टाम्पों का विनिष्ठीकरण।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	औरैया	14	फरूखाबाद
2	इटावा	15	गाजियाबाद
3	मिर्जापुर	16	बौदा
4	प्रतापगढ़	17	सिद्धार्थनगर
5	झाँसी	18	बिजनौर
6	महोबा	19	फैजाबाद
7	अलीगढ़	20	चित्रकूट
8	आगरा	21	फतेहपुर
9	गोरखपुर	22	हमीरपुर
10	रामपुर	23	वाराणसी
11	जे०पी० नगर (अमरोहा)	24	बदायूँ
12	देवरिया	25	फिरोजाबाद
13	सोनभद्र	26	मेरठ
क्र०सं०	उपकोषागार का नाम	क्र०सं०	उपकोषागार का नाम
1	मोहनलालगंज	2	बड़ीत

परिशिष्ट-53

भूतपूर्व विधायक से वाहन अग्रिम पर देय ब्याज की वसूली न किया जाना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	धनराशि ₹
1	बाराबंकी	आगणन नहीं किया गया है।
2	आगरा	17820
3	लखीमपुरखीरी	24704
	योग-	42524

परिशिष्ट-54

कोषागार पर भुगतान प्राधिकृत करने वाले अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर कम्प्यूटर पर स्कैन करके न रखा जाना।

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	कन्नौज	8	गोरखपुर
2	एटा	9	जे०पी० नगर अमरोहा
3	कानपुर देहात	10	मुरादाबाद
4	बुलन्दशहर	11	चित्रकूट
5	पीलीभीत	12	जवाहर भवन
6	इलाहाबाद कलेक्ट्रेट	13	लखनऊ कलेक्ट्रेट
7	ललितपुर		

परिशिष्ट-55

साइबरक्राइम, अटैक और साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण प्राप्त न करने वाले कोषागारों की सूची:-

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	कन्नौज	18	लखनऊ जवाहर भवन
2	मऊ	19	फिरोजाबाद
3	बस्ती	20	रायबरेली
4	अमेठी	21	मुजफ्फरनगर
5	बदायूँ	22	कानपुर नगर
6	कानपुर देहात	23	कौशाम्बी
7	औरैया	24	कासगंज
8	मिर्जापुर	25	पीलीभीत
9	प्रतापगढ़	26	लखीमपुर
10	जालौन	27	उन्नाव
11	गौतमबुद्धनगर	28	पी०ए०ओ० नई दिल्ली
12	वाराणसी	29	बाराबंकी
13	श्रावस्ती	30	अमरोहा
14	मेरठ	31	सहारनपुर
15	बरेली	32	ललितपुर
16	मुरादाबाद	33	बिजनौर
17	सुल्तानपुर		

परिशिष्ट-56

कम्प्यूटर, यू०पी०एस० एवं अन्य हार्डवेयर पर यूनिक संख्या आवंटित न करने वाले कोषागारों की सूची:-

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	बदायूँ	14	गौतमबुद्धनगर
2	लखनऊ कले०	15	प्रतापगढ़
3	हापुड़	16	झाँसी
4	सम्भल	17	रायबरेली
5	बाराबंकी	18	कानपुर नगर
6	ललितपुर	19	कासगंज
7	बहराइच	20	बुलन्दशहर
8	मऊ	21	पीलीभीत
9	बस्ती	22	लखीमपुरखीरी
10	अमेठी	23	गाजियाबाद
11	औरैया	24	अमरोहा
12	इटवा	25	वाराणसी
13	मिर्जापुर	26	लखनऊ जवाहर भवन

परिशिष्ट-57

कम्प्यूटर एवं थिनक्लाइन में यू0एस0बी0 पोर्ट कोबन्द न करने वाले कोषागारों की सूची:-

क्र0सं0	कोषागार का नाम	क्र0सं0	कोषागार का नाम
1	हापुड़	17	आगरा
2	सम्भल	18	लखनऊ कले0
3	मऊ	19	ललितपुर
4	बदायूँ	20	श्रावस्ती
5	औरैया	21	बुलन्दशहर
6	इटवा	22	पीलीभीत
7	मिर्जापुर	23	लखीमपुरखीरी
8	बरेली	24	उन्नाव
9	लखनऊ जवाहर भवन	25	चन्दौली
10	अमरोहा	26	गाजीपुर
11	मेरठ	27	जौनपुर
12	सुल्तानपुर	28	वाराणसी
13	रायबरेली	29	गाजियाबाद
14	कानपुर नगर	30	सन्तरविदासनगर
15	कौशाम्बी	31	बाराबंकी
16	कासगंज	32	सहारनपुर

परिशिष्ट-58

साफ्टवेयर लाइसेन्स की इनवेन्टरी तैयार न करने वाले कोषागार की सूची:-

क्र0सं0	कोषागार का नाम	क्र0सं0	कोषागार का नाम
1	हापुड़	16	वाराणसी
2	ललितपुर	17	उन्नाव
3	मऊ	18	अमरोहा
4	रायबरेली	19	फिरोजाबाद
5	आगरा	20	गाजीपुर
6	मेरठ	21	गाजियाबाद
7	जौनपुर	22	कासगंज
8	वाराणसी	23	कन्नौज
9	श्रावस्ती	24	बस्ती
10	बदायूँ	25	मिर्जापुर
11	लखनऊ कले0	26	कानपुर नगर
12	सम्भल	27	कौशाम्बी
13	बुलन्दशहर	28	बरेली
14	सन्तरविदासनगर	29	पीलीभीत
15	लखीमपुरखीरी		

परिशिष्ट-59

सोशल साइट को बन्द न करने वाले कोषागारों की सूची

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	गाजियाबाद	14	गौतमबुद्धनगर
2	बाराबंकी	15	श्रावस्ती
3	ललितपुर	16	जोनपुर
4	बलरामपुर	17	वाराणसी
5	बहराइच	18	बदायूँ
6	कन्नौज	19	रायबरेली
7	अमेठी	20	कानपुर नगर
8	कानपुर देहात	21	कौशाम्बी
9	इटावा	22	कासगंज
10	औरैया	23	लखनऊ कलेक्ट्रेट
11	मिर्जापुर	24	बुलन्दशहर
12	बरेली	25	पीलीभीत
13	सुल्तानपुर	26	लखीमपुर खीरी

परिशिष्ट-60

हार्डवेयर/साफ्टवेयर की इन्वेन्टरी न रखने वाले कोषागारों की सूची:-

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट	12	औरैया
2	सहारनपुर	13	इटावा
3	जवाहर भवन	14	मिर्जापुर
4	बलरामपुर	15	प्रतापगढ़
5	बहराइच	16	बरेली
6	कन्नौज	17	रायबरेली
7	मऊ	18	कानपुर नगर
8	बस्ती	19	कौशाम्बी
9	अमेठी	20	कासगंज
10	वाराणसी		बुलन्दशहर
11	अयोध्या		

परिशिष्ट-61

कोषागारों में खराब कम्प्यूटर/थिनक्लाइन की सूची

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	मेरठ	13	सन्तरविदासनगर
2	अयोध्या	14	बाराबंकी
3	मिर्जापुर	15	अमरोहा
4	सुल्तानपुर	16	बिजनौर
5	झाँसी	17	वाराणसी
6	आगरा	18	बलरामपुर
7	सोनभद्र	19	बहराइच
8	लखीमपुर	20	कन्नौज
9	फिरोजाबाद	21	मऊ
10	चन्दौली	22	अमेठी
11	मुरादाबाद	23	कानपुर देहात
12	श्रावस्ती	24	औरैया

25	गाजीपुर	28	मिर्जापुर
26	मुजफ्फरनगर	29	प्रतापगढ़
27	पी०ए०ओ० नई दिल्ली		

परिशिष्ट-62**नेटवर्क सुरक्षा इनवेन्टरी तैयार न करने वाले कोषागारों की सूची**

क्र०सं०	कोषागार का नाम	क्र०सं०	कोषागार का नाम
1	सहारनपुर	12	प्रतापगढ़
2	बलरामपुर	13	गौतमबुद्धनगर
3	बहराइच	14	अयोध्या
4	कन्नौज	15	वाराणसी
5	हापुड़	16	लखनऊ जवाहर भवन
6	सम्भल	17	बरेली
7	सन्तरविदासनगर	18	झाँसी
8	मऊ	19	फिरोजाबाद
9	औरैया	20	मुजफ्फरनगर
10	इटवा	21	पी०ए०ओ० नई दिल्ली
11	मिर्जापुर		

*_**



प्रकाशक :
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

मुद्रक द्वारा: राजेश कार्पोरेशन, इलाहाबाद 9415284506